वार्षिक प्रतिवेदन
तथा लेखा विवरण
2014-15

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

सांकतोड़िया, पत्रालय - डिसेरगढ़, जिला - बर्द्धमान (प.बं.)

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1	प्रबंधन	1
2	बैंकर/ लेखा परीक्षक/ मिशन कथन / दूरदर्शी कथन	2
3	वार्षिक आम बैठक की सूचना	3
4	अध्यक्ष का कथन	4
5	निदेशकीय प्रतिवेदन	6
6	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	121
7	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब	122
8	31 मार्च, 2015 तक का तुलन–पत्र	141
9	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	143
10	वर्ष 31 मार्च, 2015 के लिए नकद प्रवाह विवरण	145
11	तुलन–पत्र का नोट फॉर्मिंग अंग	147
12	लाभ एवं हानि लेखा का नोट फॉर्मिंग अंग	173
13	महत्वपूर्ण लेखा नीति	186
14	लेखा पर अतिरिक्त नोट्स	192

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वर्ष 2014 - 15 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण

श्री राकेश सिन्हा
अध्यक्ष - सह - प्रबन्ध निदेशक
श्री एस. चक्रवर्ती
निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री चन्दन कुमार दे
निदेशक (वित्त) (28.02.2015 तक)
श्री रमेश चंद्र
निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना
(30.06.2014 तक)
श्री के. एस. पात्र
निदेशक (कार्मिक)
श्री बी.आर.रेड्डी
निदेशक (तकनीकी) योजना परियोजना
(30.09.2014 से)

अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण :

श्री ए. चटर्जी
निदेशक (वित्त) कोल इंडिया लिमिटेड
(28.02.2015 तक)
श्री वी. पेद्दन्ना
निदेशक, कोयला मंत्रालय
श्री सी.के. दे
निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड
(19.03.2015 से)

बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक :

श्री के.के. गौतम (28.02.2015 तक)

अंशकालीन गैर-आधिकारिक निदेशकगण :

श्री सुव्रत चौधरी (23.06.2014 तक)
श्री एस.के. मोहंती (23.06.2014 तक)
श्री एस.एम. लोढ़ा (23.06.2014 तक)
श्री एस.एम. शर्मा (08.09.2014 तक)

आमंत्रित सदस्य :

श्री ए.के. गुप्ता
मुख्य संचालनप्रबन्धक, ईस्टर्न रेलवे

कंपनी सचिव :

श्री वी.आर. रेड्डी

27 जून 2015 को प्रबंधन

कार्यकारी निदेशकगण

श्री चन्दन कुमार दे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
श्री एस. चक्रवर्ती
निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री के.एस. पात्र
निदेशक (कार्मिक)
श्री बी.आर.रेड्डी
निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना

अंशकालीन आधिकारिक निदेशकगण :

श्री वी. पेद्दन्ना
निदेशक, कोयला मंत्रालय
श्री सी.के. दे
निदेशक (वित्त), कोयला मंत्रालय

आमंत्रित सदस्य :

श्री ए.के. गुप्ता
मुख्य प्रबन्धक (संचालन), ईस्टर्न रेलवे

कंपनी सचिव :

श्री वी.आर. रेड्डी

वर्ष 2014 -15 के दौरान बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक	एक्सिस बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	केनरा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक		

वर्ष 2014-15 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक

1) मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी , 162, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700068

वर्ष 2014-15 के दौरान शाखा लेखा परीक्षकगण

मेसर्स यू एस साहा एंड कंपनी, 228 कमलालय सेंटर, द्वितीय तल, 156 ए लेनिन सरणी, कोलकाता - 700013

मेसर्स आर पी बूबना एंड कंपनी, कल्याणी एस्टेट्स, 209, ए जे सी बोस रोड, द्वितीय तल, कमरा संख्या 87, कोलकाता - 700017

मेसर्स एल.बी. झा एवं कंपनी, जीएफ-1, सिलेंडर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

मेसर्स यू. एस. साहा एवं कंपनी, 35, बहिर सर्वमंगला रोड, बर्द्धमान-713101

मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएट, 39, कलना रोड, बदामतला, बर्द्धमान-713401

वर्ष 2014-15 के दौरान मूल्य लेखा परीक्षक

1. मेसर्स बी जी चौधरी एंड कंपनी, श्री अपार्टमेंट्स, 4ए, 11/47ए, पांडित्य रोड, कोलकाता -700029
2. मेसर्स मनी एंड कंपनी, अशोका, 111 साउदर्न एवेन्यू, कोलकाता - 700029
3. मेसर्स दत्ता घोष भट्टाचार्या एवं एसोसिएट्स, 37 गोबिंदो बोस लेन, कोलकाता 700025
4. मेसर्स एम जी एसोसिएट्स, पंजाबी पाड़ा, आर एन रोड, बर्नपुर, आसनसोल, जिला - बर्द्धमान-713325
5. मेसर्स बासु बनर्जी चक्रवर्ती चट्टोपाध्याय एंड कंपनी, 42/बी शिबतला स्ट्रीट, हुगली-712258
6. मेसर्स ए टी एम एंड एसोसिएट्स, 36/1 ब्लॉक-ए, बांगुर एवेन्यू, कोलकाता-700055

वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

(1) मेसर्स अभिजीत दत्ता एंड एसोसिएट्स, 8/2 किरण शंकर रॉय रोड, कमरा-2 एवं 3, द्वितीय तल, कोलकाता-700001, (2) मेसर्स डी एन दोकानिया एंड एसोसिएट्स, 103ए, शांति भवन, बैंक मोड़, धनबाद- 826001, (3) मेसर्स एस के मल्लिक एंड कंपनी, बीकानेर बिल्डिंग, 8-बी, लालबाजार स्ट्रीट, प्रथम तल, कमरा- 02, कोलकाता-700001, (4) मेसर्स मित्रा घोष एंड रॉय, कमरा-5, लेक एवेन्यू, कोलकाता - 700026, (5) मेसर्स के. एल. बनर्जी एंड कंपनी, हेस्टिंग्स चेम्बर्स, 7 सी, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता - 700001, (6) मेसर्स एस.के. भट्टाचार्य एंड कंपनी, 4, किरण शंकर रॉय रोड, राजा चेम्बर्स, कोलकाता-700001, (7) मेसर्स अमित राय एंड कंपनी, 5-बी, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद -211001, (8) मेसर्स ए.जे.एस. एंड एसोसिएट्स, 55-बी, एस पी मुखर्जी रोड, प्रथम तल, निकट हाजरा क्रॉसिंग, कोलकाता- 700026, (9) मेसर्स एम.सी. मित्तल एंड कंपनी, वेहू हाउस, 13, दरियागंज, नई दिल्ली 110002, (10) मेसर्स एच.पी. झुनझुनवाला एंड कंपनी, 907, मार्शल हाउस, 33/1 एन एस रोड, कोलकाता-700001 (11) मेसर्स पी.डी. रूंगटा एंड कंपनी, 21, हेमंत बासु सरणी, तृतीय तल, कमरा न. 317, कोलकाता 700001, (12) मेसर्स एसबीए एसोसिएट्स, 27, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, पंचम तल, कोलकाता 700013, (13) मेसर्स के.एन. जैन एंड कंपनी, 2, लाल बाजार स्ट्रीट, द्वितीय तल, कमरा न. 204, 205, कोलकाता 700001, (14) मेसर्स जी जी एम एंड कंपनी, 503, पर्णश्री, आरआईसी मोड़, कोलकाता 700060, (15) मेसर्स ए.आर. माइती एंड कंपनी, सेंटर पॉइंट, कमरा 442, 21 ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कोलकाता 700001.

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पो० - डिसरगढ़, जिला : बर्द्धमान, पिन - 713333

मिशन कथन

खान सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना।

दूरदर्शी कथन

पर्यावरण एवं सामाजिक संपोषण का सम्मान करते हुए खदान से बाजार तक सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू नेतृत्व से वैश्विक खिलाड़ी प्रमुख के रूप में स्थापित करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय – डिसरगढ़, जिला : बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल – 713333
कंपनी सचिवालय
सीआईएल – यू10101डबल्यूबी1975जीओ1030295
वेबसाइट : www.easterncoal.gov.in

सन्दर्भ संख्या : ईसीएल/सीएस / 15 / (2012) / 2242 दिनांक : 05.06.2015

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 40 वीं बैठक आगामी 27 जून, 2015 (शनिवार) को इसके पंजीकृत कार्यालय - सांकतोड़िया , पोस्ट: डिसरगढ़, जिला : बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल) - 713333 में सुबह 11.00 बजे निम्नलिखित कारोबार के लिए होगी :

सामान्य कारोबार :

1. 31 मार्च, 2014 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं निदेशकों के प्रतिवेदन से प्राप्त, विचार एवं स्वीकार करना ।
2. निदेशक श्री सुब्रत चक्रवर्ती (डीआईएन - 02586945) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी अधिनियम की धारा 152(6) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है।
3. निदेशक श्री के एस पात्र (डीआईएन - 06739224) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो कंपनी अधिनियम की धारा 152(6) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है।

बोर्ड के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालय :
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रा : डिसरगढ़, पिन - 713333
जिला : बर्द्धमान (प. बंगाल)

(वी. आर. रेड्डी)
महामहाप्रबंधक (वित्त)
कंपनी सचिव
दिनांक : 5 जून, 2014

टिप्पणीयाँ :

(क) कोई सदस्य जो सम्मेलन में भाग लेने एवं मत देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं एवं प्रतिनिधि के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं है। वार्षिक आम बैठक के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत भरा हुआ प्रॉक्सि जमा हो जाना चाहिए ताकि वह प्राक्सी प्रभावी हो सके

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 139(5) के अनुसार एक सरकारी कंपनी के महालेखापरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 142(1) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी के द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय की जाती है अथवा आम बैठक में कंपनी जिस प्रकार निर्धारित करे। कंपनी की 30 जुलाई, 2001 को सम्पन्न आठवीं असाधारण आम बैठक में आपकी कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मण्डल को वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने को प्राधिकृत किया

प्रतिलिपि :

क) मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंट्स, वैधानिक लेखापरीक्षक
162, जोधपुर पार्क, कोलकाता – 700068.

ख) मेसर्स मितुल जैन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव्स, सचिवालयीन लेखापरीक्षक
3, महर्षि देवेन्द्र रोड, तृतीय तल, कोलकाता – 700007.

ग) समस्त निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ।

अध्यक्ष का कथन

मित्रों,

ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के 40वें वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी है। निदेशकों का प्रतिवेदन, वित्तिय वर्ष 2014-15 के लिए परीक्षित लेखा के साथ-साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के महालेखा परीक्षक की समीक्षा एवं रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है।

1. किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उर्जा बड़े निर्विष्टों में से एक है। आज भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है तथा भारत में कोयला उर्जा कारकों में प्रबल है, जिसका कुल बुनियादी ऊर्जा उत्पादन में 52% योगदान है। हमारी कंपनी गैर कोकिंग कोयले के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है, जो विभिन्न विद्युत संयंत्रों, सीमेंट कारखानों इत्यादि की जरूरतों को पूरा करती है।

2. हमारी कंपनी की रणनीतिक दृष्टि यह है कि पर्यावरण एवं सामाजिक दायित्व का खयाल रखते हुए उत्पादन में बढ़ोत्तरी, प्रतियोगितात्मक एवं लाभदायकता के साथ खुद को त्वरित विकास के पथ पर स्थापित करना।

3. समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत ईसीएल 2014-15 में बीआईएफआर के नाग पाश से मुक्त होने में सफल हुई है।31.12.2014 को कंपनी ने ₹916.87 करोड़ का सकारात्मक नेटवर्थ दर्ज की एवं इस प्रकार बीआईएफआर ने एसआईसीए (SICA) के अनुच्छेद 3(1) के अंतर्गत ईसीएल को बीमार कंपनी की श्रेणी से मुक्त घोषित कर दिया।

4. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ईसीएल ने सभी मापदण्डों को पार कर लिया है। इस दौरान ईसीएल ने कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10.99% की वृद्धि के साथ 38.00 मिलियन टन के लक्ष्य को पार कर 40.006 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। कंपनी ने 94.047 मिलियन घन मीटर अधिभार विस्थापित किया जो तक अब तक का सर्वोच्च है और अपने लक्ष्य का 106.89% है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 9.66% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। लंबे समय के पश्चात भूमिगत उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 6.13% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। झांझरा एवं अन्य खदानों में कंटीन्यूअस माइनर, पीएसएलडब्ल्यू जैसे मास प्रोडक्शन तकनीक के स्थापन से भूमिगत उत्पादन में आने वाले वर्षों में सुधार आएगा।

5. वर्ष 2014-15 के दौरान, ईसीएल द्वारा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.11% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 38.409 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया गया जो अपने लक्ष्य का 101% है।

6. वर्ष 2014-15 के दौरान, परियोजनाओं नामतः न्यू केन्दा खुली खदान की यूसीई, झांझरा लो हाइट सीएम की यूसीई, खोट्टाडीह

ओसीपी की आरसीई को बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई।

7. वर्ष 2014-15 के दौरान, दो परियोजनाओं नामत: कुमारडीह–बी सीएम तथा न्यू केन्दा ओसी को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है।

8. श्रीपुर एवं निमचा परियोजनाओं में हाईवाल खनन तकनीक लागू करने का प्रस्ताव है। भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 31.03.2015 को ईसीएल के विभिन्न भूमिगत खदानों में 215 एसडीएल, 27 एलएचडी तथा 44 यूडीएम कार्य कर रहे हैं।

9. कोयला उत्खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का हमारी कंपनी द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है तथा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भूमि क्षय, जंगल कटाव इत्यादि पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त निवारक कदम उठाए जा रहे हैं। ये निवारक कदम नियमित रूप से सभी मानकों, अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने 66500 पौधारोपण किया जिससे 35 हैक्टेयर भूमि आच्छादित हुई।

10. पेय जलापूर्ति, शैक्षणिक सुविधाओं एवं स्वास्थ्य देखभाल में सुधार द्वारा ईसीएल कमान क्षेत्र के आस-पास के गाँवों में सतत विकास एवं सीएसआर गतिविधियों के लिए हम सदा प्रतिबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान, सतत विकास, कल्याणकारी एवं सीएसआर गतिविधियों पर हमारी कंपनी ने लगभग ₹ 2485.68 लाख रूपये व्यय किये। साथ ही, हम स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ विद्यालय अभियान) के अंतर्गत ₹ 82.92 करोड़ रूपयों की लागत से विभिन्न विद्यालयों में 3488 शौचालयों के निर्माण या उनकी मरम्मत के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

11 हमने खान सुरक्षा को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो ईसीएल में कोर उत्पादन पद्धति के एक भाग के रूप में जाना जाता है। खान सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए ईसीएल ने वर्ष के दौरान कई उपायों पर कठोरता से कदम उठाया है।

12. हमारी कंपनी ने भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय लोक उद्यम (सीपीएसई) के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशा-निर्देश की शर्तों का पालन किया है। जैसा कि उपरोक्त दिशा-निर्देश के तहत आवश्यक है, निदेशकों के प्रतिवेदन में कंपनी अभिशासन पर एक अलग खंड शामिल किया गया है तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाण पत्र लिया गया है।

13. हम वर्ष 2014-15 के दौरान, 42 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ईसीएल आगे बढ़ती रहेगी।

मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रेल, बैंकर्स सभी कर्मियों, मजदूर संगठनों, उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

स्थान सांकतोड़िया
दिनांक 27 जून,2015

(चन्दन कुमार दे)
अध्यक्ष

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारकगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

सज्जनों,

मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ निदेशक मंडल की तरफ से कंपनी का 40 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं प्रबंधन के जवाबों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

विशेष उपलब्धियाँ :

क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 2014-15 के दौरान बीआईएफआर की परिधि से बाहर आ गयी।

ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र अनुषंगी कंपनी है जिसने बिक्री प्राप्ति के साथ-साथ अन्य सभी मापदण्डों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को पार किया है।

ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र अनुषंगी कंपनी है जिसने भूमिगत उत्पादन में न केवल अपना लक्ष्य हासिल किया है बल्कि 6% से अधिक की सकारात्मक वृद्धि भी दर्ज की है।

घ) समूह अवधारणा के रूप में राष्ट्रीयकरण के समय मिले सभी खदानों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी ले ली गयी है।

ङ) राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति के करकमलों से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न खदानों को कुल सात (07) पुरस्कार प्राप्त हुए।

च) राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए ईसीएल को वर्ष 2013-14 के लिए "ग" क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार (द्वितीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को यह पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति के करकमलों से प्राप्त हुआ।

छ) गैर-नवरत्न/महारत्न लोक क्षेत्र की कंपनियों के बीच विप्स (WIPS) के माध्यम से कार्यकारी महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रशंसनीय कार्यों के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ज) अंतः-कंपनी एथलेटिक टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में ईसीएल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

1.0 **उत्पादन :**

1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है :

विवरण	ईकाई	2014-2015			2013-2014	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति %	वास्तविक	निरपेक्ष	प्रतिशत %
1. उत्पादन :	(मिलियन टन)						
i. कच्चा कोयला - भूमिगत		7.25	7.292	100.57	6.871	0.421	6.13
खुली खदान		30.75	32.714	106.39	29.175	3.539	12.13

मद	ईकाई	2014-2015			2013-2014	गत वर्ष तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति %	वास्तविक	निरपेक्ष	प्रतिशत
ii) कोकिंग कोयला							
– मिश्रित		38.00	40.006	105.28	36.046	3.960	10.99
– अन्य							
iii) गैर-कोकिंग कोयला							
		0.00	0.004	100.00	0.010	-0.006	-60.00
		0.00	0.029	100.00	0.038	-0.009	-23.68
		38.00	39.973	105.19	35.998	3.975	11.04
2. उपरि संस्तर हटाव	मि.घ.मी.	88.0	94.047	106.89	85.176	8.287	9.06
3. उत्पादकता (ओएमएस)	टन						
- भूमिगत		0.527	0.534	101.33	0.48	0.054	11.25
- खुली खदान		12.116	12.121	100.04	10.96	1.161	10.59
- समग्र		2.333	2.445	104.80	2.12	0.325	15.33

1.2. पद्धति क्षमता की उपयोगिता : **(प्रतिशत में)**

विवरण	2014-2015			2013-2014
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति %	वास्तविक
क) भूमिगत	79.11	79.56	100.57	70.76
ख) खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	100.33	88.32	88.03	105.80
ग) खुली खदान (भाड़े का) उत्खनन	101.19	113.98	112.64	173.68
घ) खुली खदान (विभागीय+भाड़े का) उत्खनन	100.81	108.28	107.41	147.06
ङ) कुल [(भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)]	97.99	86.40	88.17	101.55
च) समग्र (भूमिगत+खुली खदान) (भाड़े+विभागीय)	**99.69**	**106.80**	**107.13**	**130.77**

2.0 वित्तीय परिणाम :

2.1 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में कंपनी का सकल विक्रय विगत वर्ष के ₹11959.92 करोड़ की तुलना में ₹ 13413.84 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.29% की वृद्धि देखी गई। आलोच्य वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष कर-पूर्व ₹ 1299.28 करोड़ एवं कर-पश्चात ₹ 872.23 करोड़ की तुलना में कर-पूर्व ₹ 1782.41 करोड़ तथा कर-पश्चात ₹ 1139.40 करोड़ का लाभ दर्ज किया। विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षिता लाभ ब्याज, मूल्यह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समायोजन से पूर्व सभी व्यय चार्ज करने के पश्चात लाभ(+)/हानि(-)	2505.87	1831.37
न्यून : पीआरपी / अधिकारी अधिवर्षिता लाभ का प्रभाव	90.98	88.51
न्यून : बीमांकिक प्रावधान (एएस - 15)	148.96	–54.31
न्यून : ब्याज	---	---
न्यून - मूल्य ह्रास / हानि / खदान बंदी प्रावधान	311.28	284.53
न्यून : ऊपरी संस्तर निष्कासन समायोजन	174.42	210.00
ब्याज, मूल्य ह्रास, हानि तथा उपरि संस्तर निष्कासन समायोजन के पश्चात वर्ष हेतु लाभ(+)/हानि(-)	1780.23	1302.64
न्यून : पूर्वावधि समायोजन	–2.18	3.36
पूर्वावधि समायोजन विचार करने के पश्चात निवल लाभ (+)/हानि(-)	1782.41	1299.28
नकदी लाभ	2539.88	1518.43
कर के पश्चात लाभ	1339.40	872.23

2.2 पूँजीगत व्यय :

आलोच्य वर्ष के दौरान कुल पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के ₹ 408.87 करोड़ की तुलना में ₹ 686.69 करोड़ (विनिमय उतार - चढ़ाव छोड़कर) व्यय रहा।

2.3 पूँजीगत संरचना : (₹ करोड़ में)

विवरण	2014-2015	2013-14
क. शेयर पूँजी :		
I. प्राधिकृत शेयर पूँजी (₹ 1000 प्रत्येक के 2,50,00,000 इक्विटी शेयर)	4600.00	2500.00
II. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (₹ 1000 प्रत्येक के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
III. 6% तक गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयरों का भुगतान, पूर्ण भुगतान (प्रत्येक ₹ 1000 के 20509700 शेयर)	2250.97	
ख. ऋण निधियाँ :		
I. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)		518.97
II. एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा	170.21	168.07

2.4 विदेशी ऋणों का पुनः भुगतान : (₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-2014
I. कोल इंडिया के माध्यम से विदेशी ऋण का पुनः भुगतान	5.75	5.74

2.5 वर्ष के दौरान रॉयल्टी, सेस, नौभरण उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर का भुगतान / समायोजन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15				2013-14			
	प.बंगाल	**झारखण्ड**	**केन्द्र**	**कुल**	**प.बंगाल**	**झारखण्ड**	**केन्द्र**	**कुल**
i) कोयले पर रायल्टी	12.29	320.47	–	332.76	11.80	300.65	–	312.45
ii) आरई एवं पीई कर	1411.72	–	–	1411.72	1455.22	–	–	1455.22
iii) एमएमबीएच कर	1.69	–	–	1.69	1.62	–	–	1.62
iv) पीडब्ल्यू एवं सड़ककर	1.74	–	–	1.74	1.62	–	–	1.62
v) विक्रय कर (वैट/सीएसटी)	283.71	79.72	–	363.43	313.55	68.06	–	381.61
vi) नौभरण उत्पाद शुल्क	–	–	38.44	38.44	–	–	35.78	35.78
vii) स्वच्छ ऊर्जा कर	–	–	307.78	307.78	–	–	189.55	189.55
viii) कोयले पर उत्पाद शुल्क	–	–	565.40	565.40	–	–	547.20	547.20
कुल	**1711.15**	**400.19**	**911.62**	**3022.96**	**1783.81**	**368.71**	**772.53**	**2925.05**

2.6. निदेशकगण के दायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह कहते एवं सुनिश्चित करते हैं कि :-

क. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयार करने में सामग्री प्रेषण से संबंधित लेखा मानकों का पालन उचित व्याख्या के साथ किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को चुना एवं उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और न्याय तथा आकलन किया, साथ ही मूल्य-परक एवं बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग किया कि वे एक सत्य, स्पष्ट कार्यकलाप को कंपनी के वित्तीय वर्ष के अन्त में उस काल के लाभ के साथ पेश करें।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निदेशकों ने यथेष्ट लेखांकन प्रतिवेदन को सही एवं पर्याप्त सावधानी से लागू किया है जिससे कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा हो सके तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव हो सके।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखा की तैयारी लाभकारी कारोबार वाली संस्थान के रूप में की है।

ङ. सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित पद्धति की योजना बनायी है एवं इस प्रकार की पद्धति समुचित थी तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

3.0 योजना :

3.1 परिचालन का अधिकार क्षेत्र :-

कंपनी में कुल 14 परिचालन क्षेत्र हैं जिनमें 103 कार्यकारी खदानें (75 भूमिगत खदान, 19 खुले खदान तथा 9 मिश्रित खदान) हैं।

3.2 वर्ष 2014-15 के लिए नियोजित एवं वास्तविक तथा वर्ष 2015-16 के लिए योजना :

क्रम सं.	विवरण	2014-15			2013-14 के	2015-16
		लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य (आरई)	वास्तविक	वास्तविक	नियोजित
I.	उत्पादन (मिलियन टन)	38.00	38.00	40.006	36.046	42.13
II.	योजना व्यय (₹ करोड़ में)	970.00	970.00	686.69	408.87	1030.50

3.3 अनुसंधान एवं विकास :

3.3.1 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

सीआईएल मंडल के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के अंतर्गत चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न किया गया है।

3.3.2 एस एण्ड टी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी अनुदान के अंतर्गत चालू एस एण्ड टी अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न किया गया है।

3.4 कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण :

2014-15 तक एलएचडी/एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक के तहत 65 भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण एवं यांत्रिकीकरण का प्रयास जारी रहा। 2014-15 के दौरान 05 मानविक क्षेत्रों को यंत्रीकृत किया गया। 31.03.2015 को विभिन्न भूमिगत खदानों की सूची में 215 एसडीएल एवं 27 एलएचडी थे। 2014-15 के दौरान, 215 एसडीएल से 4.385 मिलियन टन एवं 27 एलएचडी से 0.95 मिलियन टन तथा 01 डोसको से 0.025 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया। कोयले की तैयारी की स्थिति में सुधार तथा फेस में सपोर्ट के साथ-साथ ड्रिलर की कमी से निबटने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 44 यूडीएम के क्रय का आदेश जारी किया गया।

तात्कालिक प्रौद्योगिकी के अलावा झांझरा एवं सार्पी परियोजना में शटल कार के साथ संयुक्त सतत खदान के परिनियोजन द्वारा मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्थापित किया जा चुका है। 2014-15 के दौरान, झांझरा परियोजना में 02 कंटीन्यूअस माइनरों से 0.990 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। वहीं सार्पी परियोजना से कंटीन्यूअस माइनर के संचालन से 2014-15 के दौरान 0.407 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ।

3.5 भूमिगत उत्पादन में सुधार हेतु उठाए गए कदम :

विभिन्न संचालन बाधाओं, अपर सीम के तलीकरण, केवेंग के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी इत्यादि पर विचार करते हुए हटाए गए मैनुअल ऑपरेशन एवं लोडिंग ऑपरेशन में एसडीएल/एलएचडी को तैनात कर मैनुअल खदान से सेमि-मेकनाइज्ड ऑपरेशन में बदलने के अलावा 12 वीं योजना में अधिक संख्या में भूमिगत खदानों जैसे झांझरा लो हाईट सीएम, कुमारडीही बी,खोट्टाडीह, तिलाबनी, शंकरपुर, सिद्धुली के लिए शटल कार के साथ सतत खदान स्थापित कर मुख्यतः मास प्रोडक्शन तकनीक द्वारा भूमिगत उत्पादन में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की गई है।

3.6 वर्ष के दौरान ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि
1	न्यू केंदा ओसी (यूसीई)	1.20	127.72	13.09.2014 को स्वीकृत
2	झांझरा लो हाईट कंटीन्यूअस माइनर (यूसीई)	0.72	114.23	06.12.2014 को स्वीकृत
3	तिलाबोनी भूमिगत	1.86	727.40	27.01.2015 को स्वीकृत
4	खोट्टाडीह ओसीपी (आरसीई)	1.50	60.10	25.12.2014 को स्वीकृत

3.7 वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि
1	कुमारडीह-बी सीएम	1.02	117.90	29.05.2014 को स्वीकृत
2	न्यू केंदा ओसी	1.20	127.72	21.10.2014 को स्वीकृत

3.8 परियोजना निरूपण का विवरण :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूंजी निवेश (₹ करोड़ में)
1	तिलाबोनी भूमिगत	1.86	727.40
2	रीकास्ट हुर्रा-सी ओसी	3.00	आउटसोर्सिंग -396.69 विभागीय-1095.57
3	नकराकोंडा-कुमारडीह-बी ओसी	3.00	आउटसोर्सिंग-181.86 विभागीय-926.06
4	परासीया-बेलबाद भूमिगत	1.83	886.41
5	मोहनपुर विस्तार ओसी	2.00	आउटसोर्सिंग-326.55
6	चितरा विस्तार ओसी	4.00	आउटसोर्सिंग-1055.23 विभागीय-1589.15
7	रिकास्ट ऑफ सिद्धुली	OC:1.00 & UG:1.02	605.78
8	नबकाजोड़ा-माधवपुर भूमिगत खदान फेज - 1	1.08	1310.60

3.9 पूँजीगत परियोजनाएँ / योजनाएँ :

i) नवीन परियोजनाओं की संख्या : 02 (कुमारडीह-बी सीएम एवं न्यू केन्दा ओसी)

ii) अन्य - 16

iii) कुल - 18

3.10 नयी पहल एवं भविष्य के कार्यक्रम :

भूमिगत एवं खुली खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए 2014-15 में निम्नलिखित कदम उठाए गये :

क) हाई-वाल माइनिंग की प्रस्तुति :

21.10.2014 को सम्पन्न 83 वी बैठक में सीआईएल बोर्ड के ईएससी ने निम्नलिखित पैचों/साइटों में हाई-वाल माइनिंग द्वारा कोयला निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

क्रम	ब्लॉक/सीम का नाम	अधिकतम ड्रिवेज लंबाई के लिए निकाला जाने वाला अनुमानित रिजर्व (मि टन)		आवश्यक भूमि (हेक्टर)	क्षमता (मि.टन. प्रति वर्ष) तथा पूंजी निवेश (करोड़ में)
		300 मीटर	200 मीटर		
1	श्रीपुर/तालतोड (आर-I)	0.86	0.81	81.61	0.50 (मि. टन प्रति वर्ष) एवं ₹36.65 करोड़
2	निमचा/(आर-IXए)	1.84	1.66	120.90	

ख) वर्तमान भूमिगत खदानों का तकनीकी अप-ग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण : जिन वर्तमान भूमिगत खदानों को तकनीकी अप-ग्रेडेशन तथा आधुनिकीकरण के लिए जिन खदानों को चिन्हित किया गया है उनमें बैजना, श्यामपुर बी, सिदुली, बिनाकुड़ी, कुमारडीह-बी (सी एवं ई पीट), घुसिक तथा निमचा प्रमुख हैं। मेसर्स केपीएमजी एडवाईजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त कार्य का जिम्मा दिया गया। उन्होंने अंतिम रिपोर्ट ईसीएल एवं कोयला मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है एवं यह रिपोर्ट स्वीकार्य भी है।

ग) मास उत्पादन तकनीक की प्रस्तुति [कंटीन्यूअस माइनर (सीएम)] : XII / XIII योजना में निम्नलिखित खदानों में कंटीन्यूअस माइनर लगाने हेतु खदानों का चिन्हित किया गया है :

क्रम सं	खदान/परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)
1	कुमारडीही-बी सीएम	1.02	117.90
2	झांझरा लो हाइट सीएम	0.72	114.23
3	तिलाबोनी यूजी	1.86	727.40
4	सिदुली यूजी	खुली खदान : 1.00 एवं भूमिगत : 1.02	605.78
5	शंकरपुर	भूमिगत : 1.163 मि टन प्रति वर्ष	

		खुली खदान : 2.00 मि टन प्रति वर्ष	401.43
6	पड़ासीया-बेलबाद भूमिगत	1.83	886.41
7	नबकाजोड़ा-माधबपुर भूमिगत खदान	1.08	1310.60
8	खोट्टाडीह सीएम	1.00	127.17

घ) झांझरा भूमिगत खदान में द्वितीय सेट सीएम की स्थापना 04.05.2014 को की गयी तथा मई, 2014 से इससे उत्पादन भी आरंभ हो गया। झांझरा आर-VI सीम पीएसएलडबल्यू के लिए 08.01.2013 को पीएसएलडबल्यू की आपूर्ति एवं संचालन हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। मार्च, 2014 में चीन में प्रोटोटाइप सपोर्ट की जाँच हुई। 10.02.2015 को रोड हेडर के ज़मीनी ट्रायल की अनुमति डीजीएमएस द्वारा प्राप्त हुई। 12.02.2015 को डीजीएमएस द्वारा लॉगवाल के लिए वैद्युतिक उपकरणों के ज़मीनी ट्रायल की अनुमति मिली। बेल्ट कनवेयर्स के लिए साइड लोडर तथा वैद्युतिक उपकरणों के ज़मीनी ट्रायल की अनुमति डीजीएमएस द्वारा 24.02.2015 को प्राप्त हुई। ब्रेक बल्क कार्गो (मुख्यत: समस्त पावर सपोर्ट्स) 25.02.2015 को चीन से भेजे गये।

ङ) मैन-राइडिंग पद्धति की प्रस्तुति : हरीपुर और पड़सीया कोलियरी में मैन-राइडिंग पद्धति की शुरुआत के लिए आदेश जारी कर दिया गया एवं उपकरणों की आपूर्ति भी कर दी गई है जिनकी जाँच की जा रही है। झांझरा लॉगवाल एवं द्वितीय सेट सीएम के लिए 03 फ्री-स्टीयर्ड व्हेकिल्स की उपलब्धता के लिए कदम उठाए गए हैं।

3.11 क) 2014-15 के दौरान स्वीकृत ओसी पैचों का विवरण :

क्रम सं.	पैच का नाम	क्षेत्र	खदान का रिजर्व (मि.टन)	ओबी की मात्रा (मि.क्यूबिक मीटर)
1	बेनिजेमेहारी (विस्तार)	सलानपुर	2.40	10.50
2	कालीपहाड़ी पैच-सी	श्रीपुर	0.087	1.00
3	दमलिया (विस्तार)	सातग्राम	0.35	1.25
4	डाबर (फेज-III)	सलानपुर	6.73	22.93
5	शंकरपुर (फेज-IV)	केंदा	4.40	12.80
6	नॉर्थ सियारसोल (विस्तार)	कुनुस्तोड़िया	2.00	9.30
7	डालूरबांध (फेज-III)	पांडवेश्वर	2.60	31.00
8	पड़ासीया (सेमाडोंगा)	कुनुस्तोड़िया	0.50	6.00
9	कनासरा (विस्तार)	मुगमा	0.50	1.90
10	नारायणकुड़ी ओसी पैच की संशोधित योजना	कुनुस्तोड़िया	1.36	6.18

3.12 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति
1.	न्यू केन्दा ओसी की यूसीई : क्षमता 1.2 मि टन प्रतिवर्ष हेतु कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड की स्वीकृति के लिए ईसीएल बोर्ड की स्वीकृति एवं संस्तुति	माह	सितंबर, 2014	हासिल हुआ। न्यू केन्दा ओसी के पीआर की यूसीई 12.09.2014 को ईसीएल बोर्ड

क्रम सं	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति
				द्वारा स्वीकृत एवं संस्तुति हुई ताकि उसे कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड के समक्ष अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
2.	न्यू केन्दा ओसी की यूसीई : क्षमता 1.2 मि टन प्रतिवर्ष की कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा स्वीकृति	माह	दिसंबर, 2014	हासिल हुआ। न्यू केन्दा ओसी पीआर की यूसीई 21.10.2014 को सीआईएल बोर्ड की 83वीं ईएससी में प्रस्तुत की गयी एवं इसे स्वीकृति भी मिल गयी।
3.	झांझरा लो-हाइट कंटीन्यूअस माइनर की यूसीई : क्षमता 0.72 मि टन प्रतिवर्ष हेतु कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड की स्वीकृति के लिए ईसीएल बोर्ड की स्वीकृति एवं संस्तुति	माह	अक्तूबर, 2014	हासिल नहीं हुआ। ईसीएल की निदेशक मंडली की 06.12.2014 को सम्पन्न 274 वीं बैठक में यूसीई को स्वीकृति मिली।
4.	झांझरा लो-हाइट कंटीन्यूअस माइनर की यूसीई : क्षमता 0.72 मि टन प्रतिवर्ष की कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा स्वीकृति	माह	जनवरी, 2014	झांझरा लो-हाइट सीएम : क्षमता 0.72 मि टन प्रतिवर्ष की यूसीई को स्वीकृति के लिए 22.12.2014 को कोल इंडिया लिमिटेड में प्रस्तुत किया गया। 27.02.2015 को आयोजित अपनी बैठक में सीआईएल बोर्ड ने प्रथम वर्ष का व्यय ₹31.23 करोड़ स्वीकृत किया है। पीआर की अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
5.	झांझरा में कंटीन्यूअस माइनर के द्वितीय सेट की स्थापना।	माह	जून, 2014	हासिल हुआ। 04.05.2014 को स्थापित किया गया।
6.	पीएएफ की शिफ्टिंग द्वारा राजमहल ओसी परियोजना में गाँवों का पुनर्वास	पीएएफ की संख्या	125	95

क्रम सं	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	माप इकाई	लक्ष्य की प्राप्ति
7.	पीएएफ की शिफ्टिंग द्वारा सोनपुर बजारी ओसी (संयुक्त) परियोजना में गांवों का पुनर्वास	पीएएफ की संख्या	105	338
8.	पीएसएलडब्ल्यू परियोजना के लिए झांझरा में लॉन्गवाल पैनल हेतु बॉटम गेट के ड्रेज की पूर्णता	माह	फरवरी, 2015	हासिल हुआ। 09.11.2014 को 1673 मीटर का बॉटम गेट ड्रिवेज पूर्ण हुआ।
9.	झांझरा पीएसएलडब्ल्यू परियोजना के लिए पावर्ड रूफ सपोर्ट की जाँच एवं डीजीएमएस की स्वीकृति	माह	सितंबर, 2014	हासिल हुआ। झांझरा पीएसएलडब्ल्यू परियोजना के लिए पावर्ड रूफ सपोर्ट की जाँच चीन में पूरी हुई। डीजीएमएस द्वारा पावर्ड रूफ सपोर्ट की स्वीकृति 03.09.2014 को मिली।
10.	एमओएसपीआई की निगरानी में नयी परियोजनाओं के 03 मास्टर कंट्रोल नेटवर्क का अद्यतन	माह	15 मार्च, 2015	हासिल हुआ। एमओएसपीआई की निगरानी में नयी परियोजनाओं के 03 मास्टर कंट्रोल नेटवर्क के अद्यतन की तैयारी की गयी एवं 30.12.2014 को एमओएसपीआई, नई दिल्ली तथा सीआईएल को भेजी गयी।
11.	ग्राउंड प्रोब (माइन व्यू) रडार मेथड के माध्यम से केन्दा क्षेत्र में प्योर केन्दा कोलियरी के पुराने परित्यक्त वर्किंग्स तथा लोअर केन्दा कोलियरी के 07 नंबर पिट की वर्तमान वर्किंग्स के बीच आर- सीम का बैरियर थिकनेस निश्चित करना	माह	जनवरी, 2014	जून, 2014 के महीने में सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा रडार सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया। सितंबर, 2014 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
12.	कोयला स्टेक/अधिभार जमाव की आग से निबटने के लिए वाटर जेल का उपयोग	माह	दिसंबर, 2014	वाटर जेल हेतु ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उपलब्धता प्रक्रियाधीन है।
13.	पूंजी व्यय	₹ करोड़ में	970.00	686.69

3.13 परियोजना निगरानी एवं कार्यान्वयन की स्थिति :

अनुलग्नक - III में विवरण दिया गया है। (अलग से)

4.0 प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन :

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन के अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है। (अनुलग्नक-IV)

5.0 कोयले का विपणन :

5.1 उठाव की सम्मुखीन माँग :

वर्ष 2014-15 में 38.00 मिलियन टन कोयले का उठाव (ऑफ-टेक) किया जाना था, जबकि 38.469 मिलियन टन किया गया और इस प्रकार संतुष्टि का प्रतिशत 101% रहा। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रगत माँग एवं उठाव का विवरण निम्नलिखित है : (आँकड़े मिलियन टन में)

सेक्टर	उठाव 2014-2015			उठाव 2013-2014		
	माँग	वास्तविक	संतुष्टि%	माँग	वास्तविक	संतुष्टि%
विद्युत	33.727	35.102	104	29.950	31.052	104
सीमेन्ट	0.128	0.080	62	0.200	0.064	32
सी.पी.पी (ओआरएस)	0.279	0.090	32	0.403	0.123	31
सी.पी.पी(इस्पात)	0.303	0.364	120	0.300	0.313	104
इस्पात (ब्लेंड)	0.014	0.007	47	0.008	0.007	88
स्पांज आयरन	0.227	0.134	59	0.807	0.146	18
निर्यात	--	0.004	--	--	--	--
लोको	--	0.001	--	--	--	--
डीईएफ	--	0.001	--	0.030	0.004	13
कोलियरी खपत	0.38	0.249	66	0.340	0.277	81
अन्य	2.942	2.438	83	3.162	4.269	135
कुल	**38.000**	**38.469**	**101**	**35.200**	**36.255**	**103**

5.2. वैगनों का प्रतिदिन औसत भारण (लोडिंग) :

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-2015 के लिए वैगनों में क्षेत्रवार औसत भारण (लोडिंग) निम्नलिखित है :

(आँकड़े बॉक्स/दिन में)

कार्यक्षेत्र	वैगनों का भारण (लोडिंग)			
	2014-15		2013-14	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	656	696	701	663
मुगमा / सलानपुर	180	190	150	164
आद्रा	20	19	24	16
चिरकुंडा	122	28	201	76
राजमहल (वार्फ वाल)	142	143	00	130
कुल	1120	1076	1076	1049

5.3 विधिवार प्रेषण :

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-2015 में विधिवार प्रेषण निम्नवत है :

(आँकड़े मिलियन टन में)

प्रेषण की विधि/पद्धति	2014-15	2013-14
रेल	25.538	24.594
रोड	1.639	1.936
हिंडोला (एमजीआर)	11.043	9.444
कुल	**38.220**	**35.978**

5.4. 31 मार्च, 2015 को कोयले का भंडार निम्नवत है :

(आँकड़े लाख टन में)

कार्यक्षेत्र	31.03.2015 को
रानीगंज	14.1996
मुगमा / सलानपुर	2.9417
एस. पी. माइन्स	2.7250
राजमहल	14.6465
कुल	**34.5128**

5.5. हाजिर 'ई' नीलामी एवं वायदा 'ई' नीलामी :

	2014-2015			2013-14		
विधि	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (%)	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (%)
हाजिर ''ई'' नीलामी						
रेल	6.12	35.11	19.93	23.22	59.71	9.35
रोड	12.77	263.83	60.70	15.82	164.69	30.80
कुल	**18.89**	**298.94**	**48.94**	**39.04**	**224.40**	**19.13**

5.6. बिक्री प्राप्ति :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
बिक्री प्राप्ति	14015.75	14108.85

5.7 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

क) 2014-15 के दौरान, ईसीएल कोल इंडिया की एकमात्र अनुषंगी कंपनी रही जिसने वार्षिक कार्यकारी योजना (AAP) के अनुसार ऑफटेक का लक्ष्य हासिल किया। ईसीएल ने ऑफटेक के लक्ष्य का 101% हासिल किया।

ख) कैश एंड कैरी पद्धति की प्रस्तुति के उपरांत, विभिन्न बिजली घरों की बकाया राशि घटकर ₹ 1385.64 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 1877.97 करोड़ थी।

6.0 उपकरणों की संख्या (एच. ई. एम. एम.)

6.1 31 मार्च, 2014 की तुलना में 31 मार्च, 2015 को उपकरणों की संख्या तथा वर्ष 2014-15 में किए गए मुख्य मरम्मत / पुनरूद्धार निम्नलिखित है :

उपकरण	को उपकरणों की संख्या		2014-15 के दौरान उपकरणों की मरम्मत / पुनरूद्धार	
	31.03.2015	31.03.2014	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
ड्रेगलाइन	1	1	—	—
डम्पर	270	232	—	—
डोजर	87	87	—	—
शॉवेल	62	71	—	—
ड्रिल	47	48	1	1

6.2 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-2015 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानकों के तहत प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपयोगिता एवं प्रतिशत उपलब्धता निम्नलिखित है :

उपकरण	उपलब्धता				उपयोगिता			
	सीएमपीडी आईएल मानक	2014-15	2013-14	% में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि	सीएमपीडी आईएल मानक	2014-15	2013-14	% में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि
ड्रैगलाइन	85	94.16	91.98	2.18	73	89.70	87.09	0.54
डम्पर	67	78.12	72.10	6.02	50	37.11	38.21	–1.26
डोजर	70	69.45	69.45	—	45	28.28	27.27	–3.58
शॉवेल	80	79.04	75.49	3.55	58	49.89	45.40	–0.85
ड्रिल	78	82.26	79.27	2.99	40	30.94	30.35	–0.79

ड्रैगलाइन, डंपर तथा ड्रिल की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के मानकों से अधिक है। शॉवेल एवं डंपर की प्रतिशत उपलब्धता सीएमपीडीआईएल के मानकों करीब है तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि की उपलब्धता से अधिक अथवा समान है। ड्रैगलाइन की प्रतिशत उपयोगिता सीएमपीडीआईएल के मानकों से अधिक है। शॉवेल, डोज़र तथा ड्रिल की उपयोगिता का

प्रतिशत पिछले वर्ष की सी अवधि की तुलना में अधिक है। कई परियोजनाओं में डंपर संचालकों की कमी तथा भूमि समस्या के कारण डंपर की प्रतिशत उपयोगिता थोड़ी बाधित हुई है।

डम्पर उपयोगिता में सीएमपीडीआईएल मानकों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम :

- डंपर की उपयोगिता में सुधार के लिए आंतरिक स्रोतों से डंपर संचालकों (प्रशिक्षु) की भर्ती हेतु कदम उठाये गये।
- परियोजनाओं के एचईएमएम निष्पादन की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की गयी है तथा ब्रेकडाउन को टालने के लिए मुख्यालय से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।

6.3 वर्ष 2014-2015 में खुली खदान परियोजनाओं को उपलब्ध कराये गए नए / प्रतिस्थापित उपकरण निम्नवत है:

उपकरण	संख्या	परियोजना
डंपर	58	सोनपुर बजारी-1, शंकरपुर-5, राजमहल-6, मोहनपुर-5, खोड़ाडीह-15, जामबाद-12, डाबर-3, चितरा-5, बोनजेमेहरी-2, बारामुरी-4
डोजर	9	चितरा-1, गोपीनाथपुर-2, जामबाद-2, खोड़ाडीह-1, राजमहल-3
शॉवेल	3	चितरा - 2, शंकरपुर - 1,

7.0 ऊर्जा संरक्षण :

7.1.1. विद्युत एवं ईंधन की खपत :

क्रम विवरण	इकाई	2014-15	2013-14
I) बिजली खरीद			
क. खरीदी गई यूनिट	M.KWH	846.31	836.38
ख. आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	601.47	579.90
ग. दर/यूनिट (औसत)	₹ / KWH	7.11	6.93
घ. बिजली की विशेष खपत (लगभग)	KWH/Cum	7.01	23.20
II) स्व उत्पादन (डीजी सेट द्वारा) :			
क) उत्पादित यूनिट	लाख KWH	6.22	6.63
ख) उत्पादित यूनिट प्रति लीटर डीजल तेल	KWH/Ltr.	5.85	6.23
ग) उत्पादन की लागत	₹ / KWH	8.94	10.30
III) विद्युत की उपलब्धता :			
क) विद्युत की औसत उपलब्धता	MVA	170.83	167.18
ख) विद्युत की माँग	MVA	178.77	181.27
ग) % उपलब्धता	%	95.56	92.23

7.1.2 चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की प्रगति :

चिनाकुड़ी विद्युत संयंत्र का पट्टा 31.03.2012 को समाप्त हो गया। नए सिरे से पट्टा के लिए निविदा सूचना भेजी गई है। 2014-15 के दौरान कोई आकर्षक बिजली उत्पादन नहीं है।

7.2 ऊर्जा संरक्षण एवं लेखा परीक्षण :

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रमाणित उर्जा लेखा परीक्षक के रूप में सीएमपीडीआईएल को सूचीबद्ध किया गया है। 2014-15 में खास काजोड़ा कोलियरी, बंकोला भूमिगत कोलियरी, खास केन्दा, न्यू केन्दा तथा ईस्ट निमचा कोलियरी मेंऊर्जा लेखापरीक्षण किया गया। जुलाई, 2014 में खास काजोड़ा एवं बंकोला भूमिगत खदान का मसौदा प्रतिवेदन सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रस्तुत किया गया। सोनपुर बजारी ओसीपी में ब्राहरी एजेंसी; मेसर्स स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षण किया गया तथा जून, 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

2013-14 में ₹160.88 की तुलना में 2014-15 में प्रति टन कोयले के उत्पादन में ऊर्जा लागत ₹150.76 रहा।

7.3 भूमिगत मशीनरी का कार्य निष्पादन :

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण निम्नलिखित है –

उपकरण	2014-15		2013-14	टिप्पणी
	पंजी पर	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	उत्पादकता (टन प्रति दिन)	
एसडीएल	215	61	60	
एलएचडी	27	102	91	
रोड हेडर	1	73	79	रोड हेडर मशीन (यूके-डोस्को) बहुत पुराना है एवं 1984 में शुरू हुई थी। यह मॉडल अप्रचलित है एवं स्पेयर्स आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
कंटीन्यूअस माइनर	3	1491	1498	2013-14 के 1072860 टन कोयला उत्पादन की तुलना में 2014-15 के दौरान 30.22% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1397083 टन कोयलेका उत्पादन किया गया।

7.4. सीएचपी का कार्य-निष्पादन :

31 मार्च, 2015 को कंपनी 06 वृहद सीएचपीज एवं 02 छोटी सीएचपीज का परिचालन हो रहा था। मार्च, 2015 के दौरान, वृहद सीएचपी द्वारा 18.99 मिलियन टन एवं छोटी सीएचपी द्वारा 0.309 मि. टन कोयला संचालित किया गया।

7.5. एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1.	झांझरा में विस्तृत की स्थापना	माह	फरवरी, 2015	आगे समय माँगा गया जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2.	रोड वे-ब्रिज पर सीसीटीवी आधारित सर्विलेन्स पद्धति की स्थापना	स्थापित किए गए कैमरों की संख्या	08	हासिल किया गया। 10
3.	झांझरा परियोजना में मैन राइडिंग हेतु फ्री-स्टीयर्ड व्हेकिल्स की आपूर्ति-आदेश की प्रस्तुति	माह	फरवरी, 2015	हासिल किया गया। 13.01.2015 क्रयादेश जारी किया गया।
4.	भूमिगत खदान हेतु चेयर-लिफ्ट पद्धति की उपलब्धता	खदानों की संख्या	01	हासिल किया गया।
5.	बाहरी एजेंसी के माध्यम से किसी भी कोलियरी में ऊर्जा संरक्षण की बेंचमार्किंग का कार्य			
	क) विशेष बिजली/वैद्युतिक ऊर्जा खपत	माह	मार्च, 2015	हासिल किया गया। कार्य पूरा किया गया तथा 23.02.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
	ख) विशेष डीजल खपत	माह	मार्च, 2015	हासिल किया गया। कार्यादेश 24.01.2015 को जारी किया गया।

8.0 कल्याणगत सुख सुविधाएँ :

क्रम सं०	मद	31.3.14 को संचयी स्थिति	2014-15 के दौरान उपलब्धि	31.3.15 का संचयी स्थिति
1	**सहकारी समिति**			
	क) सहकारी ऋण समिति	74	0	74
	ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार	30	0	30
	ग) केन्द्रीय सहकारी	04	0	04
	घ) सहकारी समिति को ऋण एवं निवेश (₹ लाख में)	63.80	0	63.80
2.	बैंकिंग सुविधा - कार्यरत शाखाओं की संख्या	26	1	27

क्रम सं०	मद	31.3.14 को संचयी स्थिति	2014-15 के दौरान उपलब्धि	31.3.15 का संचयी स्थिति
3.	कैंटीन	82	0	82
4.	शैक्षणिक सुविधाएं			
	क) डीएवी विद्यालय	4	2	6
	ख.i) आवर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	162	0	162
	ii) आवर्ती अनुदान की राशि (₹ लाख में)	4159.89	373.92	4533.81
	ग.i) अनावर्ती अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	387	00	387
	ii) अनावर्ती अनुदान की राशि (₹ लाख में)	288.21	15	303.21
	घ.i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	79	0	79
	ii) तदर्थ अनुदान स्वीकृति की राशि (₹ लाख में)	69.60	0	69.60
	ङ) विद्यालय में लगे हुए बसों की सं.	156	0	156
5.	**खेलकूद पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)**	379.91	17.47	397.38
6.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	70.25	2.31	72.56
7.	**कोल इंडिया लि. छात्रवृत्ति**			
	क) प्रदान की गई छात्रवृत्ति की संख्या	14492	922	15414
	ख) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	173.37	19.12	192.49
8.	बेजबोर्ड कर्मचारियों के बच्चे जो चुने गए इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके लिए वित्तीय सहयोग हेतु कोल इंडिया लि. योजना -			
	क) स्वीकृत बेजबोर्ड कर्मियों के बच्चों की परवरिश की संख्या	232	80	312
	ख) स्वीकृति राशि (₹ लाख में)	41.72	20.69	62.41

9.0 चिकित्सीय सुविधाएँ :

9.1 कुल 1032 बेड की क्षमता के साथ 02 केंद्रीय अस्पताल, 11 क्षेत्रीय अस्पताल एवं 115 डिस्पेंशरी कर्मियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 113 एम्बुलेंस कार्यरत थे।

ईसीएल कमान क्षेत्र के आस-पास के इलाकों की चिकित्सा की जरूरतों का ध्यान सीएसआर के तहत 05 मोबाइल चिकित्सा वाहन द्वारा रखा गया।

9.2. कर्मियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा हेतु बाहर भेजा गया एवं उनके चिकित्सा में हुआ व्यय तथा स्वचालित डिसपेंशरी द्वारा तय इलाज किए गऐ ग्रामीणों की संख्या :

विवरण	2014-15	2013-14
बाहर भेजे गए मरीजों की संख्या :	1372	1329
उनके इलाज पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	10.83	12.80
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम		
- शिविरों की संख्या	24	18
- लाभुकों की संख्या	2092	685
मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा तय किए गए गाँव		
- शिविरों की संख्या	1007	544
- लाभुकों की संख्या	47090	30969

उपरोक्त के साथ-साथ, शारीरिक रूप से अशक्त कुल 125 लोगों को औषधीय सहायता प्रदान की गयी। कोल इंडिया लिमिटेड की सीपीआरएमएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त अधिशासियों पर भी कंपनी ने ₹ 2.44 करोड़ का चिकित्सा व्यय किया। 2014-15 के दौरान, औषधि की उपलब्धता में कुल ₹ 2.95 करोड़ रूपयों का सदुपयोग किया गया।

9.3 2014-15 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ :

क) केंद्रीय अस्पताल, कल्ला में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन।

ख) केंद्रीय अस्पताल, कल्ला (05 बेड) की डायलिसिस यूनिट का पुनरुद्धार-कार्य।

ग) कैंसर सर्विक्स शुरुआती स्तर पर पता लगाने के लिए केंद्रीय अस्पताल, कल्ला एवं सांकतोड़िया अस्पताल में कॉल्पोस्कोपी की स्थापना।

घ) हमारे अस्पताल में बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त ओपीडी जाँच की सुविधा दी जाती है।

ङ) सांकतोड़िया अस्पताल में एंडो-यूरोलॉजी (ENDO-UROLOGY) सर्जरी आरंभ की गयी।

10.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 135 (2) के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व पर प्रतिवेदन निदेशकीय प्रतिवेदन के अंग के रूप में अलग अनुभाग में प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक - V)। सीएसआर से संबंधित एमओयू गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति / उपलब्धि
1.	केन्दा क्षेत्र में विविध कौशल विकास केन्द्र बनवाना	माह	25.03.2015	हासिल किया। 25.02.2015 से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है।
2.	पांडवेश्वर क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच पेय जल की आपूर्ति हेतु अजय नदी से खोट्टाडीह ग्राम तक पाइपलाइन बिछाना	माह	25.03.2015	हासिल किया। 01.03.2015 को कार्य पूरा किया गया।

10.1 सामाजिक सुविधाएँ :

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने कर्मियों के कल्याण के साथ-साथ खदानों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों / समुदायों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाएँ, औद्योगिक संरचना, रोड एवं रेलवे साइडिंग, जलापूर्ति तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ इत्यादि के विकास के लिए बहुत से कदम उठाये गए हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

10.1.1 आवासीय भवन :

कम्पनी में कुल मिलाकर 91180 आवासीय घर हैं जिसमें से 62960 मानक क्वाटर तथा 28220 गैर मानक क्वाटर है। वर्तमान में आवासीय संतुष्टि 118% से अधिक है। इन क्वाटरों की नियमित रूप से मरम्मत एवं रखरखाव किया जाता है। साथ ही, ब्लॉक रीपेयरिंग की अवधारणा के तहत, आवासीय क्वाटरों के सम्पूर्ण ब्लॉकों की पूर्ण मरम्मत का जिम्मा लिया गया है। वर्ष 2014-15 में ब्लॉक मरम्मत कार्यक्रम के तहत ₹ 19.88 करोड़ का बजट ब्लॉक मरम्मत कार्यों में दिया गया तथा करीब 4141 क्वाटरों की पूर्ण मरम्मत की गई।

10.1.2 कल्याण भवन :

कर्मियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीयकरण के बाद परिसम्पत्तियों मे जबरदस्त सुधार हुआ है, विवरण निम्नलिखित है -

(क) अस्पताल - 13, (ख) औषधालय - 115,
(ग) कैंटीन - 82, (घ) आरामगृह - 137,
(ङ) बहु-उद्देशीय संस्थान - 12, (च) वयस्क शिक्षा केन्द्र - 03,
(छ) सामुदायिक केन्द्र - 54

10.1.3 जल आपूर्ति :

ईसीएल ने अपने क्वाटरों में रहने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ आस-पास के निवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति पर हमेशा विशेष ध्यान दिया है। कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए 22 स्लो सैंड फिल्टर, 20 रेपिड ग्रेविटी फिल्टर मौजूद हैं। 11 रीवर बेड बोर-वेल्स भी हैं।

इसके अतिरिक्त, ईसीएल पश्चिम बंगाल सरकार के आरसीएफए-1 एवं आरसीएफए-2 जलापूर्ति योजना एवं झारखण्ड सरकार के चिरकुंडा जलापूर्ति योजना के साथ भागीदारी की है जिससे 5,40,000 जनसंख्या को जलापूर्ति की जाती है। वर्ष 2014-15 में, 07 प्रेशर फिल्टर एवं इलेक्ट्रो क्लोरिनेटर की स्थापना की गयी।

11.0. अवसंरचना विकास :

कोयले का प्रेषण ईसीएल की एक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं तथा इसे प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जाता है। मुख्यत: सड़क एवं रेलवे द्वारा कोयले का प्रेषण किया जा रहा है। इस विषय में ईसीएल ने उचित कदम उठाया है। कुछ चल रहे एवं नए कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

क) सड़कें : वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कोयला परिवहन सड़क को मजबूत करने के लिए 14.58 किलोमीटर (लगभग) लंबाई के 06 कार्य पूरे किए गए। जिसमें ₹ 831.19 लाख का खर्च आया।

साथ ही, वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 46.57 किलोमीटर कोयला परिवहन सड़कों के विस्तार एवं निर्माण का कार्य सौंपा

गया जिसकी कुल लागत ₹ 3163.77 लाख थी।

ख) रेलवे साइडिंग, व्हार्फवाल इत्यादि।

क्रम.स.	कार्य का नाम	कार्यादेश लागत (लाख में)	वर्तमान स्थिति
1	सोनपुर बाजारी परियोजना की सेवाओं के लिए नए रेलवे साइडिंग का निर्माण (परियोजना की लागत ₹ 108.15 करोड़)	5940.00	कार्य प्रगति पर है।
2.	कुमारडीही-बी कोलियरी, बंकोला क्षेत्र के अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर में कुमारडीही-बी रेलवे साइडिंग में व्हार्फवाल का निर्माण	155.93	
3.	बंकोला कोलियरी, बंकोला क्षेत्र के साइडिंग संख्या 1 एवं 2 में व्हार्फवाल का निर्माण	155.03	
4.	आरओसीपी में रेलवे साइडिंग के आसपास व्हार्फवाल एवं नाले का निर्माण	359.83	
5.	डालूरबांध कोलियरी, पांडवेश्वर क्षेत्र में डालूरबांध-पांडवेश्वर रेलवे साइडिंग में ठोस व्हार्फवाल, आरसीसी बाउंड्री-वाल, आरसीसी पुलिया, पक्का नाला एवं अर्थ फिलिंग चबूतरे का निर्माण	116.70	
6.	जे के नगर रेलवे साइडिंग, सतग्राम क्षेत्र में आरसीसी व्हार्फवाल का निर्माण	172.75	

ग) **अन्य कार्य :** खदान से साइडिंग/कोयला डीपो तक कोयले के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य/जिला बोर्ड की सड़कों के रख-रखाव तथा उसके विकास के लिए ईसीएल राज्य सरकार तथा अन्य जिला बोर्ड अधिकारियों को निधि भी मुहैया करवाती है। 2014-15 के दौरान, पूर्ण की गयी सड़कों का विवरण इस प्रकार है : -

क्रम.स.	कार्य का नाम	ईसीएल द्वारा दत्त (₹ लाख में)	वर्तमान स्थिति
1	आसनसोल अनुमंडल, पीडब्ल्यूडी, आसनसोल के अंतर्गत आने वाली उखड़ा-हरीपुर सड़क का सुधार 1.80 किलोमीटर से 5.00 किलोमीटर (2.6 किलोमीटर का फैलाव)	238.03	1. कार्य पूरा कर लियागया। यह कार्य पीडब्ल्यूडी, आसनसोल द्वारा किया गया।
2	रानीशायर मोड़ से निमचा केबिन तक सड़क को मजबूत करना (3.2 कि मी) तथा रानीशायर मोड़ से निमचा रेल-ओवर पुल होते हुए एवं मेजिया सड़क से जुड़ते हुए बर्न्स क्लब तक सड़क का फैलाव।	100.00	2. कार्य पूरा कर लियागया। यह कार्य पीडब्ल्यूडी, आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

12.0 खान सुरक्षा

12.1 वर्ष 2014-15 के लिए दुर्घटना सांख्यिकी :

वर्ष	2014-15*	2013-14
i) प्राणघातक दुर्घटनाएँ (संख्या)	4	11
ii) मृत्यु (संख्या)	4	11
iii) गंभीर चोट (संख्या)	73	62
iv) विपत्ति/मि.टन. उत्पादन	0.10	0.305
v) विपत्ति/ 3 लाख श्रमिक-पारी	0.073	0.195

(* डीजीएमएस से साथ सामंजस्य का विषय है)

12.2 खान सुरक्षा संबंधी उपाय :

ईसीएल के खदानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईएसओ द्वारा लिए गए कार्य :

क) खदानों की जाँच एवं पाई गई कमी के निवारण हेतु त्रिमित स्तर सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। खान सुरक्षा की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह सुरक्षा बोर्ड की नियमित बैठक होती है इस बैठक में सभी कार्यकारी निदेशक, समस्त विभागीय प्रधान, समस्त सुरक्षा बोर्ड सदस्य, समस्त क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा समस्त क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहते हैं।

ख) घातक दुर्घटना होने के बाद त्रिदस सुरक्षा समिति की विशेष बैठक करना तथा विशेष सुरक्षा समिति द्वारा सुझाए गए सुझावों का कार्यान्वियन करना।

ग) मूल कारणों को जानने तथा आवश्यक सुधार करने के क्रम में घातक दुर्घटनाओं की जाँच।

घ) पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दुर्घटनाओं/खतरनाक संयोगों/पास आती घटनाओं की जाँच निष्कर्ष के समान सुरक्षा परिपत्र जारी करना।

ङ) निवारक कदम उठाने के लिए जानलेवा एवं गंभीर दुर्घटनाओं की सांख्यिकी का विश्लेषण करना एवं अनुरक्षण करना।

च) भूमिगत खदान में किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति से निबटने के लिए भूमिगत खान कर्मियों के लिए 30 मिनट की अवधि का एससीसीआर आपूर्त किया गया।

छ) खान बचाव केन्द्र, सीतारामपुर के लिए पॉज़िटिव प्रेशर टाइप के 45 एससीबीए आपूर्त किए गए

ज) विभिन्न संवर्गों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंत: क्षेत्रीय टीम द्वारा आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षण किया गया।

झ) 16.02.2015 से 21.02.2015 तक वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह, 2015 मनाया गया।

ञ) डिग्री-III गैसीय खदानों के लिए मीथेन तथा कार्बन-मोनोक्साइड की निगरानी।

ट) सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों के बीच निरंतर अंतराल पर परिवार परामर्श सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

ढ) खान सुरक्षा पर सम्पन्न हुए 10 वें सम्मेलन के अनुमोदन के अनुसार, भूमिगत खदानों के कार्यकारी डिस्ट्रिक्ट्स में से 90% को यांत्रीकृत कर दिया गया है।

ड) खदानों में सामग्रियों की आपूर्ति और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी है।

ड) खदानों में रूफ व्यवहार के अध्ययन तथा रूफ सपोर्ट के सुधार के लिए ईसीएल मुख्यालय मे स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है एवं इसी तरह सभी क्षेत्रों में भी स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए गए हैं। जब जरूरत हो तब आरएमआर निकाला जाता है तथा तदनुसार सपोर्ट रूल तैयार करवाता है।

ण) खनन तथा खनन-कार्य से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सुरक्षित संचालन प्रक्रिया तथा खनन मशीनरी/एचईएमएम का संचालन किया गया तथा संबंधित कर्मियों के बीच वितरित किया गया।

त) स्रोतों में धूल एवं मिट्टी को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

थ) सुरक्षा प्रबंधन योजना पर आधारित जोखिम आंकलन की तैयारी तथा उसके कार्यान्वयन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

द) आईएमई के साथ, ठेका कर्मियों का प्रशिक्षण निरंतर जारी है।

12.3 ईसीएल में खान सुरक्षा निगरानी एजेंसी :

डीजीएमएस के वैधानिक नियमावली के अतिरिक्त, निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर खान सुरक्षा की स्थिति की निगरानी की जाती है :

स्तर	के द्वारा निगरानी की जाती है
खान स्तर	1. कर्मी निरीक्षक : खान नियमावली-1955 के अनुसार 2. खान सुरक्षा समिति : खान नियमावली-1955 के अनुसार गठित
क्षेत्रीय स्तर	1. द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समिति की बैठक 2. सुरक्षा अधिकारी समन्वय बैठक
मुख्यालय स्तर	1. मुख्यालय स्तर पर द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समिति की बैठक 2. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी समन्वय बैठक 3. आईएसओ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

विविध वर्षों मे रूफ बोल्टों की खपत की संख्या निम्नलिखित हैं :

(संख्या लाख में)

खपत	2014-15	2013-14
रूफ बोल्ट	10.81	9.30
सीमेंट कैपसूल	34.38	34.16

12.4 सुरक्षा लेखा परीक्षण :

आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षण कर दिया गया है। डीजीएमएस की सिफारिश पर बाह्य एजेंसियों द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षण का आयोजन प्रक्रियाधीन है।

12.5 मानसून की तैयारी :

ईसीएल मुख्यालय में 10.06.2014 से 15.10.2014 तक 27 x 7 के आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया जिसमें सभी क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क रखने एवं आवागमन के लिए वाहनों एवं टेलीफोन के साथ अधिकारियों की व्यवस्था की गई।

"बाढ़ चेतावनी संदेश" प्राप्त करने हेतु डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (हाईडल) के साथ नजदीकी संपर्क रखा गया, जब कभी पंचेत एवं मैथन डेम से पानी छोड़ा जाता है। निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर कोलकाता से "मौसम पुर्वानुमान रिपोर्ट" टेलीफोन एवं फैक्स द्वारा प्राप्ति हेतु नजदीकी संपर्क रखा गया ताकि भारी वर्षा/गर्जन/शोवर की चेतावनी क्षेत्रों को दी जा सके।

12.6 सुरक्षा प्रशिक्षण :

वर्ष	... के लिए दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण			
	फ्रंटलाईन पर्यवेक्षक		श्रमिकों का निरीक्षण	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
2014-15	4	112	3	38
2013-14	4	96	3	41

12.7 वैधानिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रशिक्षण :

परीक्षा का प्रकार	प्रशिक्षित कर्मियों की सं०	प्रशिक्षण संस्थान
क) ...में उपस्थित होने के लिए		
प्रथम श्रेणी - कोयला	8	एमटीएस, धधका
द्वितीय श्रेणी - कोयला	8	एमटीएस, धधका
माइनिंग सरदार	61	एमटीएस, धधका
सर्वेक्षक	6	एमटीएस, धधका
बिजली पर्यवेक्षक	23	एमटीएस, धधका
वाईंडिंग इंजन ड्राईवर	30	एमटीएस, रतिबाटी
गैस टेस्टिंग	23	एमटीएस, धधका
ख) व्यवसाय पाठ्यक्रम :		
सर्वेक्षक	28	एमटीएस, धधका
माईनिंग सरदार	50	एमटीएस, धधका
इलेक्ट्रीशियन	30	एमटीएस, धधका
ग) डिप्लोमा इन माईनिंग (अंशकालिन)	163	रानीगंज माईनिंग इंस्टीच्यूट

12.8 व्यवसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी पर वैधानिक) 2014-15 :

प्रशिक्षण का प्रकार	2014-15	2013-14
आधारभूत (बेसिक)	869	1313
पुनश्चर्या (रीफ्रेशर)	10010	9672
विशेष प्रशिक्षण	6707	5653
आई.ओ.डी	99	121
ठेका श्रमिक	2305	3833

12.9. ईसीएल में खान बचाव सेवाएँ :

खान बचाव स्टेशन, सीतारामपुर ; पुनश्चर्या प्रशिक्षण के साथ खान बचाव कक्ष (आरआरआरटी) केंद्र तथा झांझरा, मुगमा और कालीदासपुर में संचालित खान बचाव कक्षों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरी, बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र, ईस्को की रामपुर कोलियरी के साथ-साथ नगर प्रशासन एवं लोक प्राधिकरण (आवश्यक होने पर) को खान बचाव सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

12.9.1 वर्ष के दौरान खान बचाव सेवाओं द्वारा निम्नलिखित खदानों में आग / लगातार गर्म होने की घटनाओं का सफलतापूर्वक निपटारण किया गया।

क्रम. सं.	कोलियरी	क्षेत्र	दिनांक		घटना की प्रकृति
			कब से	कब तक	
1	पांडवेश्वर	पांडवेश्वर	19.05.2014	21.05.2014	पुराने वर्किंग में निरंतर तपन से निबटना
2	लखीमाता	मुगमा	23.07.2014	24.07.2014	फ़ाउल एरिया की सीलिंग
3	मंदमान	मुगमा	13.08.2014	11.10.2014	भूमि के अंदर की आग एवं तपन को नियंत्रित करना।
4	झांझरा	झांझरा	04.10.2014	18.10.2014	निरंतर तपन एवं आग से निबटना।
5	महावीर ओसीपी	कुनुस्तोड़िया	19.02.2015	07.03.2015	कोल बेंच फायर से निबटना।
6	श्रीपुर ग्राम के नजदीक	श्रीपुर	03.05.2014	–	एक अवैध खदान में फँसे 06 लोगों को बचाना
7	इारा ग्राम	सतग्राम	04.07.2014	–	कुंवा खोदते हुए गैस की चपेट में आए 03 लोगों को बचाना।
8	न्यू केन्दा	केन्दा	06.08.2014	–	03 पिट न्यू केन्दा कोलियरी से एक मृत शरीर बरामद करना।

12.9.2 प्रशिक्षण :

खान बचाव केन्द्र में पुनश्चर्या (रीफ्रेशर) के साथ-साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण निरंतर प्रदान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

विवरण	2014-15	2013-14
प्रशिक्षित सुरक्षा बचाव कर्मियों की संख्या	668	676
हाल में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	23	26
पुनश्चर्या प्रथाओं की संख्या	8392	6040
आपातकालिनों की संख्या	9	13

12.9.3 खरीदे गए नए उपकरण :

45 एससीबीए (बीजीईओ पीएके 240 आर) तथा 02 डमी बॉडी MANIKIN (67 किलोग्राम) खरीदे गए। एससीसीआर की जाँच में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान, एक मोटराइज्ड ट्रेड मिल खरीदा गया।

12.9.4 आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता :

वर्ष 2014-15 के लिए आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता, पूर्वी अंचल दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को हुआ जिसमें 12 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया।

12.9.5 अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोल एवं मेटल) :

14.01.2015 से 17.01.2015 तक 45 वाँ अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोल एवं मेटल) खान बचाव स्टेशन, रामगढ़ (सीसीएल)में आयोजित किया गया। ईसीएल से दो टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

12.9.6 खान बचाव स्टेशन के लिए बजट प्रावधान :

विवरण	पूंजीगत बजट (₹ लाख में)		राजस्व बजट (₹ लाख में)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
स्वीकृत	576.26	6.10	1639.17	1614.05
व्यय	325.98	5.86	1491.43	1460.67

12.10 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति / उपलब्धि
1.	पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक मिलियन टन कोयले के उत्पादन में प्राणघातक दुर्घटनाओं की दर में आयी कमी	% कमी	4	हासिल किया। 67.21
2.	पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक मिलियन टन कोयले के उत्पादन में गंभीर चोटों की दर में आयी कमी	% कमी	4	हासिल नहीं हुआ। -6.047
3.	जोखिम आंकलन पर आधारित संरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी	खदानों की संख्या	25	हासिल हुआ। 30 खदानों के लिए योजना तैयार की गई।

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

13.1 वजन स्थिति :

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में बिजली घरों की आपूर्ति एवं अन्य खाते के लिए ईपीएस की मात्रा तौल निम्नलिखित है :

विवरण	2014-15			2013-14		
	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल	पावर ईपीएस	अन्य खपत	कुल
प्रेषित मात्रा (लाख/टन)	351.02	31.17	382.19	310.52	48.84	359.36
ईपीएस के तहत मात्रा तौल (लाख/टन में)	346.02	31.17	377.24	307.25	48.67	355.92
ईपीएस के तहत तौल %	95.59	100.00	98.70	98.95	99.65	99.04

13.2 साइजिंग स्थिति :

2014-15 में कुल कोयला प्रेषण 382.19 लाख टन था जिसमें से बिजली सेक्टर को 361.02 लाख टन कोयले का प्रेषण किया गया। सीएचपी/एफबी सुविधा के अलावा साइडिंग से प्रेषण में साइजिंग का कार्य डोज़र से किया गया एवं इस प्रकार बिजली घरों को 100% यंत्रीकृत क्रश्ड कोयला आपूर्त कराया गया। वैकल्पिक पद्धति के माध्यम से 100% साइज्ड कोयला प्रेषित किया गया। विवरण नीचे दिया जा रहा है :

कोयले की साइजिंग	2014-15			2013-14		
	विद्युत	अन्य	कुल	विद्युत	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में साइज्ड (लाख/टन) मात्रा	294.30	17.49	312.01	269.31	38.14	286.80
%	83.84	56.11	81.58	86.73	69.08	80.69
डीजेडआर/एमएनएल	56.72	13.68	70.40	41.21	17.07	68.62
%	16.16	43.89	18.42	13.27	30.92	19.31
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

13.3 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति / उपलब्धि
1.	सीएचपी/फीडर ब्रेकर/भूमिगत कोयले के माध्यम से रेल द्वारा बिजली घरों में साइज्ड कोयले का प्रेषण	%	85	84
2.	बिजली घरों में स्वीकृत नमूने/आकलन के अंतर्गत प्रेषण	%	98	100

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति / उपलब्धि
3.	प्रेषण के पहले वैद्युतिकृत वे-ब्रिजों में वजन	%	96	98.7
4.	उपभोक्ताओं द्वारा उनकी शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए कंपनी की वेबसाइट पर एक पॉर्टल का निर्माण में हासिल हुआ।	माह	मई, 2014	अप्रैल, 2014 में हासिल हुआ।
5.	ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का निपटान	%	90	100

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ :

संस्था की पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में इसकी जटिल भूमिका पर विचार करते हुए, ईसीएल में प्रबंधन कार्यों के साथ सतर्कता गतिविधियाँ वास्तव में एकीकृत हो गयी हैं। विभिन्न स्टेकधारकों के बीच विश्वास जगाने के लिए पिछले साल उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों के परिणामस्वरूप कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण सुधार आया एवं उन्हें इस वर्ष एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। नियमित अंतराल में अकस्मात निरीक्षण किए गए तथा बड़ी संख्या में मामलों की गहन जाँच की गई जिनमें प्रणाली सुधार उपायों पर ज़ोर दिया गया। रिसाव तथा प्रणाली में उठाईगिरी पर नियंत्रण रखते हुए महत्वपूर्ण बचाव पर फोकस करते हुए निवारक सतर्कता को जारी रखा गया है। सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न स्टेकधारकों के लिए संचालित जागरूकता-सह-प्रेरणात्मक कार्यक्रम से कंपनी के लाभांश में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ई-उपलब्धता, ई-भुगतान, रिवर्स ऑक्शन बिडिंग, सीसीटीवी, शिकायत दर्ज करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि को प्रस्तुत कर उत्तोलन तकनीक के लिए सतर्कता विभाग द्वारा की गई पहल से कंपनी के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है।

14.1 निवारक सतर्कता :

सतर्कता विभाग द्वारा किए जा रहे अकस्मात निरीक्षण की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई है जो कंपनी के समस्त परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसके अलावा, एक हज़ार से अधिक लाभुकों को कवर करते हुए विभिन्न स्टेकधारकों के लिए सतर्कता जागरूकता-सह-प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। इन प्रयासों का कंपनी की कार्य-संस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ा एवं इसके प्रदर्शन में सर्वमुखी सुधार आया है।

क्र.स.	विषय	संख्या
1	आकस्मिक जाँच / निरीक्षण आयोजित	50
2	सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित :	
	(i) आंतरिक संकाय सदस्यों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	18
	(ii) अंशधारकों की बैठक	1
	(iii) निबंध / चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिता	5
	(iv) बाह्य संकाय सदस्यों द्वारा सेमिनार/कार्यशाला	2

14.2 सुधार के लिए उठाए गए कदम :

वर्ष 2014-15 के दौरान, निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार प्रस्ताव प्रबंधन को प्रस्तुत किये गये है :

क) केंद्रीय अस्पताल, कल्ला में प्रावधानों की उपलब्धता तथा उनके अनुरक्षण/देखरेख के संबंध में एक प्रणाली सुधार।

ख) कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रणाली सुधार के रूप में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

ग) ईसीएल द्वारा जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई उन भूमिहारों को किये जाने वाले भुगतान को केवल ई-मोड (यानी एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से ही किये जाने के संबंध में प्रणाली सुधार के कदम उठाए गये हैं।

14.3 दंडात्मक सतर्कता :

जानबूझकर कपटपूर्ण इरादे से की गयी अनियमितताओं से सख्ती से निपटा गया तथा संबंधित आचरण नियमावली के अनुसार अनुकरणीय दंडात्मक उपाय किए गए। 11 लोगों को विभिन्न प्रकार की सज़ा दी गयी।

14.4 उत्तोलन तकनीक :

संस्था की पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग द्वारा उत्तोलन तकनीक के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए गए। ई-टेंडरिंग का पूरी तरह संचालन किया जा रहा है एवं 2014-15 में 1015 टेंडरों का प्रवर्तन किया गया जिनमें से 578 टेंडर अवार्ड किया गया तथा 379 टेंडरों को अंतिम रूप दिया जाना प्रक्रियाधीन है। टेंडर प्रक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला औसत समय घटकर 95.93 दिन रह गया एवं वर्तमान वर्ष में न्यूनतम पूर्ण अवधि 23 दिनों की रही। यह न सिर्फ अपने आप में व्यापक बचाव को दर्शाता है बल्कि कंपनी की इज्जत तथा इसके सद्भाव में बढ़ावा हुआ है। डिस्काउंट-बिडिंग की प्रस्तुति से सभी बिड्स में विचारणीय कॉस्ट-कटिंग में मदद मिली है। ई-भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया जिससे मानविक हस्तक्षेप हस्तक्षेप को दूर करने में मदद मिली है एवं इससे भ्रष्ट गतिविधियों में कमी आई है। ई-शासकीय पहल ने न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी तथा लोकप्रिय बनाया बल्कि इससे बहुत हद तक कागज़ी एवं नीरस कार्य में कमी आई। सतर्कता विभाग द्वारा लॉन्च किए गए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन का सभी ने स्वागत किया क्योंकि इसकी सहायता से अपने विचारों/शिकायतों/समाधान को प्रकाश में लाना आसान हो गया।

14.5 एकीकरण करार कार्यक्रम का कार्यान्वयन :

ईसीएल में एकीकरण करार विधिवत कार्यान्वित किया गया। आरंभिक सीमा 2 करोड़ रूपये तय किए गए। संबंधित संविदाओं में एकीकरण करार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान दो स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर नियुक्त किए गए।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 27 अक्तूबर, 2014 से 01 नवम्बर, 2014 तक ईसीएल ने "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया। अपनी गतिविधियों के सभी आयामों पर ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने के लिए तथा जीवन के सभी आयामों से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु उदारतापूर्वक कार्य करने के लिए 27.10.2014 को ईसीएल की सभी स्थापनाओं में शपथली गयी संगोष्ठी, कार्यशाला, स्टेकधारकों के साथ बैठक आदि जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यालय के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों एवं इकाइयों में किया गया ताकि स्टेकधारकों के बीच एकता के संदेश का प्रचार किया जा सके। जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में 600 विद्यार्थियों की विशाल प्रतिभागिता रही। ईसीएल की सतर्कता पत्रिका "सचेतना" का अगला अंक भी प्रकाशित हुआ है।

14.7 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

क. जागरूकता-सह-प्रेरणात्मक कार्यक्रमों में निरंतर परस्पर संवाद के माध्यम से हमारे कर्मचारियों एवं अंशधारकों के उत्साह में

महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिससे प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ सतर्कता कार्यक्रमों का एकीकरण हुआ है।

ख. निरंतर निगरानी से उत्पादन आँकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की प्रवृति को नियंत्रित किया जा सका है तथा दंडों की मात्रा में भी कमी आयी है।

ग. कौशल विकास के साथ-साथ पारदर्शिता में भी वृद्धि करने के लिए आईटी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कदम उठाये गये।

15.0 कर्मियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XII के अंतर्गत कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक किसी भी कर्मी ने प्राप्त नहीं किया है।

16.0 राजभाषा कार्यान्वयन :

ईसीएल मुख्यालय तथा इसके 11 क्षेत्र "ग" क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं जहाँ हमारे 86% कर्मचारी पदस्थापित हैं। केवल 03 क्षेत्र "क" क्षेत्र (झारखंड) में स्थित हैं। आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत उठाए गए कदमों पर आधारित हमारी निम्नलिखित विशेष उपलब्धियाँ रही हैं :

1. मुख्यालय के शत-प्रतिशत कंप्यूटरों में यूनीकोड सक्रिय करके हिंदी में काम करने योग्य बना दिया गया है।क्षेत्रों में भी प्राय: 90 प्रतिशत कम्प्यूटरों में यूनीकोड सक्रिय किया जा चुका है।

2. सभी फाइलों के कवर पर उनके विषय हिंदी में लिखने का नियम शत प्रतिशत लागू किया गया।

3. ई.सी.एल. कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर प्रबंधन की ओर से उनके नाम, पदनाम, सेवा अवधि इत्यादि के विवरण सहित उन्हें दिया जाने वाला स्मृति-चिह्न हिंदी में बनवाकर दिया जाता है।

4. प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को यूनीकोड पद्धति से हिंदी में टंकण का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में करने के लिए सक्षम हो सकें। यह प्रशिक्षण वर्तमान समय में भी नए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लगातार जारी है।

5. सभी विभागों के उपस्थिति रजिस्टर में कर्मचारियों/अधिकारियोंके नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य किया गया। अधिकांश कर्मी अपना हस्ताक्षर हिंदी अथवा अपनी मातृभाषा में करते हैं।

6. आलोच्य अवधि में "क" क्षेत्र में 68.60%, "ख" क्षेत्र में 66.20% एवं "ग" क्षेत्र में 57.65% हिंदी पत्राचार किया गया।

7. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 01.09.2014 से 14.09.2014 के दौरान ईसीएल में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसके दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी भाषण तथा हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हिन्दी भाषी एवं हिंदीतर भाषी कर्मियों के लिए अलग-अलग किया गया जिसमें मुख्यालय तथा क्षेत्रों के कुल प्रतिभागियों ने भाग लिया। समस्त प्रतिभागियों को 49 पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

   ईसीएल मुख्यालय के साथ-साथ समस्त क्षेत्रों में भी हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

8. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न प्रान्तों से पधारे विशिष्ट कवियों ने शिरकत की। यह आयोजन 28.03.2015 को राजमहल क्षेत्र में किया गया।

9. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा 29.12.2014 को बर्नपुर में आयोजित राजभाषा संबंधित संवैधानिक

प्रावधान विषयक एक उच्च स्तरीय कार्यशाला में ईसीएल ने सक्रिय भूमिका निभायी। इसके पहले 21.11.2014 को आयोजित नराकास की बैठक में भी ईसीएल की महत्वपूर्ण सहभागिता रही।

10. वर्ष 2014-15 के दौरान ईसीएल में कुल 07 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 27.05.2014 को कंपनी के मुख्य महाप्रबंधकों, एवं विभागीय प्रधानों के लिए उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) व कार्यालय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार दुबे ने संबोधित किया।

11. ईसीएल को वर्ष 2013-14 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में स्वीकार्य है। ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राजभाषा समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों से द्वितीय पुरस्कार के रूप में रजत शील्ड ग्रहण किया। विदित हो कि 2013-14 के लिए "ग" क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओडिसा तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के विस्तृत अंचल में फैले हुए पूर्वी निकोर्दों क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा कोल इण्डिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों के बीच यह एकमात्र पुरस्कार है जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है।

12. हिन्दी में प्रकाशित होने वाला वाल पोस्टर ईसीएल समाचार का प्रकाशन निरंतर जारी है तथा जनवरी,2015 तक इसके 11 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं। इसमें ईसीएल के सचित्र समाचार, कर्मियों की उपलब्धियाँ आदि फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं।

13. इसके अतिरिक्त सांकतोड़िया अस्पताल से चेतना, सतर्कता विभाग से सचेतना तथा विप्स की ईसीएल शाखा की ओर से जागृति शीर्षक से वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया जिसमें हिन्दी के आलेख, लेख तथा अन्य सामग्री प्रकाशित की गयी।

17.0 बीआईएफआर एवं बीआरपीएसई स्थिति :

31 मार्च, 1999 को कंपनी का शुद्ध मूल्य नकारात्मक हो गया एवं कंपनी नवम्बर, 1999 में बीआईएफआर में चली गई। कंपनी का मामला संख्या 501/2000 के तहत पंजीकृत किया गया।

बीआईएफआर ने नवम्बर, 2004 में ईसीएल की सुधार योजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी। योजना के अनुसार, कंपनी का शुद्ध मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड की छूट के साथ 2008-09 तक सकारात्मक होने की उम्मीद की गई। दिनांक 06 अक्तूबर, 2006 को आर्थिक मामले पर केबिनट समिति ने बीआरपीएसई की संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। संशोधित योजना के अनुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य 2009-10 तक सकारात्मक होने की आशा की गई।

22.09.2014 को आयोजित हुई सुनवाई में बीआईएफआर ने निम्नलिखित निर्देश दिये : -

क) निगरानी एजेंसी (भारतीय स्टेट बैंक) ने कंपनी के समक्ष योजना के उन भागों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट करे जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है तथा साथ ही अनारक्षित ऋण के अधित्याग एवं चालू खाता शेष के इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करे।

ख) निगरानी एजेंसी (भारतीय स्टेट बैंक) एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन

ठीक उसी रूप में हुआ है जिस रूप में वह स्वीकृत हुई थी।

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 01.01.2014 को ईसीएल को लिखे अपने पत्र के माध्यम से ₹ 519 करोड़ के अनारक्षित ऋण के अधित्याग तथा 31 मार्च, 2003 को ₹ 1532 करोड़ के चालू खाता शेष को इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तित करके कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से राहत एवं छूट की शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा ताकि अनारक्षित ऋण एवं 31.03.2003 को चालू खाता शेष की पूर्ण संतुष्टि के साथ ईसीएल द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को ₹ 2051 के कुल मूल्य के गैर-परिवर्तनशील, संचयी,प्रतिदेय वरीयता शेयरों को जारी किया जा सके।

प्रत्येक ₹ 1000 के फेस मूल्य के 6% गैर-परिवर्तनशील, संचयी,प्रतिदेय वरीयता शेयरों का पूर्ण भुगतान करने के लिए 08 नवंबर, 2014 को सम्पन्न अपनी 310 वीं बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) ने ईसीएल के ₹ 519 करोड़ के अनारक्षित ऋण तथा 31 मार्च, 2003 को ₹ 1532 करोड़ के चालू खाता शेष के कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ₹ 2051 करोड़ के कुल मूल्य का परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

तदोपरांत, कंपनी की नियमावली के अनुच्छेद-15 के अनुसार, अंशधारकों की स्वीकृति से, ईसीएल बोर्ड ने कोल इंडिया लिमिटेड को उनके स्तर पर विचार के लिए ₹ 1000/- प्रत्येक के 2,05,09,700 6% गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर जारी किये।

कंपनी की लेखा के अनुसार, 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त अवधि हेतु कंपनी ने ₹ 916.87 करोड़ की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

30.01.2015 को सम्पन्न अपनी बैठक में बीआरपीएसई ने ईसीएल के मामले की समीक्षा की। 11.02.2015 को हुई बीआईएफआर सुनवाई में बेंच ने अधोलिखित आदेश जारी किया : -

"बीमार कंपनी, मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (बीआईएफआर मामला संख्या 501/2000) को, इसका नेटवर्थ सकारात्मक हो जाने के कारण, एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के प्रावधानों के आधार पर बीमार औद्योगिक कंपनी के तमगे से मुक्त किया जाता है।"

18.0 कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी से लैस सेवाएँ :

18.1 ईसीएल में ई-निविदाप्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

क) 31.03.2015 तक 4893.03 करोड़ रूपयों की राशि के कुल 1015 टेंडर ईसीएल ई-टेंडरिंग पोर्टल https://ecltenders.gov.in पर प्रकाशित किए गए जिनमें से कुल 578 टेंडरों को अंतिम रूप दियागयाएवं शेष टेंडर अंतिम रूप दिये जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

ख) 371 बोलीदाताओं को मुख्यालय के ई-प्रोक्योरमेंट प्रकोष्ठ में प्रशिक्षण दिया गया।

ग) ई-टेंडरिंग प्रकोष्ठ ने ई-टेंडरिंग से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को जी-टॉक, टीम व्यूवर, एम्मे जैसे सॉफ्टवेयरों की मदद से घर बैठे या दूर से ही प्रशिक्षण अथवा आवश्यक सहायता प्रदान की है। इस संदर्भ में, ईसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों के कुल 585 अधिकारियों को तकनीकी सहायता/ प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

घ) वित्त-वर्ष 2014-15 में मुख्यालय समेत विभिन्न क्षेत्रों एवं कर्मशालाओं के 20 अधिकारियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) की व्यवस्था की गई तथा इसकी शुरुआत से कुल 266 अधिकारियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा

चुकी है।

ङ) ई–टेंडरींग के संबंध में ई–टेंडरींग प्रकोष्ठ एमआईएस रिपोर्ट तैयार कर साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर सतर्कता विभाग समेत संबंधित विभागों में भिजवाता है।

च) क्षेत्रीय स्तर पर फ्लोट होने वाले ई–एनआईटी, बीओक्यू, एलओसी तथा टेंडरों के नियम एवं शर्तों जैसे कागजात तैयार करने के संबंध में ईसीएल के क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय उपयोगकर्ताओं के चाहने पर ई–टेंडरींग प्रकोष्ठ निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है।

18.2 विशेष उपलब्धियाँ :

क) काजोड़ा क्षेत्र को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में ऑनलाइन एमएमएस एप्लिकेशन का क्रियान्वयन किया गया है। काजोड़ा में 03 महीनों के अंदर सामग्री संयोजन स्थापित करके वहाँ भी एमएमएस क्रियान्वित किया जाएगा।

ख) ईसीएल के सभी क्षेत्रों में LAN संयोजन का कार्य मेसर्स ईसीआईएल को सौंपा गया।

ग) 18.09.2014 को सलानपुर क्षेत्र में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित कोयला ट्रकों की निगरानी हेतु परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ तथा इसे ईसीएल के समस्त क्षेत्रों में लागू करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

घ) वेब आधारित फाइल ट्रैकिंग पद्धति को मुख्यालय में लागू करने के लिए उसका सफल परीक्षण किया गया।

ङ) ईसीएल के समस्त क्षेत्रों में वर्क्स एंड सर्विसेस टेंडरों का ई–टेंडरींग समाधान रोल आउट किया गया।

च) ई–टेंडरींग पोर्टल के माध्यम से टेंडरों की पूर्णता की औसत अवधि 2014 में घटकर 76 दिन हो गयी जो बोली की वैधता के 75 दिनों की अवधि के लगभग बराबर है। यहाँ तक कि पांडवेश्वर क्षेत्र से संबंधित एक टेंडर को तो 18 दिनों में ही अंतिम रूप दे दिया गया जिसमें से 10 दिन तो केवल प्रकाशन में ही लगे।

छ) ईसीएल के ई–टेंडरींग पोर्टल में स्थापित नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सॉफ्टवेयर के सरकारी ई–प्रोक्योरमेंट की जाँच एवं लेखापरीक्षण एसटीक्यूसी द्वारा किया गया तथा कार्यक्षमता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता से संबंधित सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं में शिकायत पायी गयी।

ज) टेंडरों के प्रकाशन तथा उन्हें अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में ईसीएल के ई–टेंडरींग पोर्टल की वृद्धि 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमशः 150% तथा 425% हुई है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप टेंडरों को अंतिम रूप दिये जाने के तरीके में पारदर्शिता आयी है तथा यह प्रतिस्पर्धी दरों पर भी संभव हुआ है जिससे मूल्यवान राशि कि बचत भी हुई है।

19.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार :

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ताल मेल रखने के लिए 2014-15 में निम्नलिखित उपलब्धि हासिल की गयी :

क) भूमिगत संचार :काजोड़ा क्षेत्र में 15 लाइनों के साथ 04 ऑटो मैनुअल भूमिगत सम्प्रेषण पद्धति स्थापित की गयी।

ख) डबल्यूएएन : मुख्यालय/क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों/वेब्रिजों के बीच कुल 96 स्थानों के अतिरिक्त नेटवर्क सम्प्रेषण की प्रस्तुति के

लिए कदम उठाए गए हैं।

20.0 भूमि अधिग्रहण एवं भू-सूचना की स्थिति :

20.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2014-15 के लिए मोड वार, परियोजना वार भूमि अधिग्रहण/कब्जा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अधिग्रहण की विधि	अधिग्रहित (हेक्टेअर में)	कब्जा (हेक्टेयर में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	118.03	118.03
सीबीए अधिनियम	92.67	238.81
सरकारी भूमि का स्थानांतरण	12.01	12.01
कुल	222.71	368.85

सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार की 13.11.2014 को सम्पन्न बैठक के बाद निम्नलिखित सरकारी भूमि के ईसीएल के खदानों/परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी :

1. खोट्टाडीह एवं बेलपहाड़ी मौज़ा केंद्र की 106.73 एकड़ सरकारी निहित भूमि का खोट्टाडीह परियोजना के लिए स्थानांतरण तथा माँग को ₹ 272,18,13,065/- से घटाकर ₹ 36,32,64,738/- किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 17.02.2015 को दी गयी।

2. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सातग्राम क्षेत्र के मल्लिक बस्ती, मौज़ा – निमचा की 15.57 एकड़ सरकारी भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा ₹ 4,36,02,929/- की माँगी गयी राशि का ईसीएल द्वारा भुगतान कर दिया गया।

3. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के एगरा मौज़ा की 14.02 एकड़ सरकारी भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा ₹ 7,61,00,000/- का ईसीएल द्वारा भुगतान किया गया।

4. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा श्रीपुर क्षेत्र के काली पहाड़ी ओसीपी में काली पहाड़ी मौज़ा की 14.11 एकड़ सरकारी भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा ₹ 11,42,62,946/- का ईसीएल द्वारा भुगतान किया गया।

5. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के नारायणकुड़ी ओसीपी में एगरा तथा नारायणकुड़ी मौज़ा की 22.05 एकड़ सरकारी भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा ₹ 11,42,62,946/- की माँग का ईसीएल द्वारा भुगतान किया गया।

6. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा डाबर फेज-III ओसीपी में 23.61 एकड़ सरकारी भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा ₹ 7,31,73,170/- का ईसीएल द्वारा भुगतान कर किया गया।

20.2 सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 के तहत प्रगति :

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	लोहांडीहा 90.67 हेक्टर	धारा 11(i) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु अभ्यावेदन 07.04.2014 तैयार किया गया।
2	ललमटिया फेज-IX राजमहल 4.047 हेक्टर	धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना 10.12.2014 को तैयार की गयी। मसौदा अधिसूचना हेतु अभ्यावेदन प्रक्रियाधीन है।
3	ललमटिया फेज-X राजमहल 13.79 हेक्टर	धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु अभ्यावेदन 13.10.2014 को कोयला मंत्रालय में भेज दिया गया है। धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु 13.01.2015 को कोयला मंत्रालय में भेज दिया गया है।
4	ललमटिया फेज-XI राजमहल 2.99 हेक्टर	धारा 4(i) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु अभ्यावेदन 13.03.2015 को कोयला मंत्रालय में भेज दिया गया है।
5	सिमलोंग फेज-II राजमहल 249.70 हेक्टर	धारा 7(i) के अंतर्गत अधिसूचना 09.07.2014 को तैयार की गयी। धारा 9(i) के अंतर्गत अधिसूचना 05.02.2015 को तैयार की गयी। धारा 11(i) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु अभ्यावेदन 26.02.2015 तैयार किया गया।

20.3 पुनर्वास की स्थिति :

वर्ष 2014-15 के दौरान, पुनर्वास के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये गये :

क्षेत्र का नाम	दिये गये प्लॉट	मैट्रिक मुआवजा	कुल पीएपी/हाउसहोल्ड जिनके लिए पुनर्वास की सुविधा दी गयी
सोनपुरबजारी	225	113	338
सलानपुर	0	17	17
राजमहल *	745	14	759
कुल	970	144	1114

* अभी तक वास्तविक शिफ्टिंग नहीं हो पायी है। नये घरों का निर्माण जारी है।

20.4 रेत की खनन पट्टे की स्थिति :

01.04.2014 से 30.09.2014 तक तथा 01.10.2014 से 31.03.2015 तक के लिए भंडारण के उद्देश्य हेतु रेत के निकासी के लिए अस्थायी कार्य परमिट संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल, सीएण्ड आई विभाग, कोलकाता से क्रमशः10.04.2014 एवं 29.09.2014 को प्राप्त किया गया है।

20.5 एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति/उपलब्धि
1.	भूमि का अधिग्रहण–249 हेक्टर भूमि हेतु धारा 9(i) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होना	माह	फरवरी, 2015	249.701 हेक्टर भूमि हेतु धारा 9(i) के अंतर्गत अधिसूचना फरवरी, 2015 में तैयार हो गई।
2	भूमि का अधिग्रहण – 92 हेक्टर भूमि हेतु धारा 11(i) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होना	माह	फरवरी, 2015	92.67 हेक्टर भूमि हेतु धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना अप्रैल, 2014 में तैयार हो गई
३.	150 हेक्टर भूमि पर कब्जा	माह	फरवरी, २०१५	भूमि को कब्जे में ले लिया गया है – 31.01.2015 के अंदर 176.37 हेक्टर

21.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं कर्मियों की रक्षा करना है। कंपनी के पास तीन प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। .

1. ईसीएल सुरक्षा – 01.04.2014 को 1619
2. संविदात्मक सुरक्षा – 2229 कर्मी
3. सीआईएसएफ – 950 कर्मी (लगभग)

ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा का मुख्य कर्तव्य कंपनी की संपत्ति जैसे- भंडार, कार्यालय, विस्फोटक मैगजीन घर, डीपो, अधिकारी बंगला/कॉलोनी एवं अति विशिष्ट ड्यूटी, लोडेड रेल रेकों, ट्रीपिंग ट्रक/डम्पर का कोल डीपो/साइडिंग से रेलवे वजन घरों तक सुरक्षा करना जब तक वजन कार्य पूरा नहीं हो जाता। वर्ष भर सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा छापा मारने का कार्य भी किया जाता है। ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को ईसीएल क्षेत्र में हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को भंग करने की समस्या से निपटने के लिए भी लगाया जाता है।

संविदात्मक सुरक्षा :

डीजीआर प्रयोजित एजेंसियों के द्वारा संविदा पर सुरक्षा कर्मियों को सामान्यतः बाह्य स्रोत पैच ईसीएल की कुछ कोलियरियों तथा रेलवे रेकों की सुरक्षा पर लगाया जाता है, जब विभागीय सुरक्षा की भारी कमी होती है।

सीआईएसएफ:

सीआईएसएफ को राजमहल, सोनपुर बजारी एवं एसपी माइन्स में स्थिर ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा मुगमा क्षेत्र, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोड़िया एवं पांडवेश्वर कालीदासपुर तथा सतग्राम क्षेत्रों में भी इनके कैम्प हैं। ये लोग मोबाइल ड्यूटी पर रखे गए हैं तथा अवैध खनन, कोयले की चोरी तथा अवैध कोयला डीपो पर छापा मारते हैं। कंपनी कोलियरी/क्षेत्रों में हड़ताल/घेराव के दौरान भी सीआईएसएफ की मदद लेते हैं।

ईसीएल में सुरक्षा-व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदम :

क. ईसीएल के विस्फोटक मैगजीन में तैनाती के लिए के लिए 449 सीआईएसएफ कर्मियों की माँग को सीआईएसएफ मुख्यालय भेजा गया जिनमें से 210 सीआईएसएफ कर्मियों की स्वीकृति गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गयी है।

ख. 106 सुरक्षा उप-निरीक्षकों का नव नियोजन प्रक्रियाधीन है।

ग. विस्फोटक मैगजीन, केंद्रीय भंडार एवं रेलवे साईडिंग में सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकि गैजेटरी की स्थापना हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

घ. ईसीएल मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरों एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ङ. ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को सीआईएसएफ प्रशिक्षकों द्वारा हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया जो विस्फोटक मैगजीन की सुरक्षा लिए तैनात किये जाएँगे।

च. अन्य श्रेणी के कर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया जो प्रशिक्षण के उपरांत दोनों श्रेणी – महिला एवं पुरूष में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात किये जाएंगे।

छ. स्थानीय पुलिस स्टेशनों से जब्त कोयले इकट्ठा करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। ईसीएल ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों से ज़ब्त कोयला प्राप्त किया है।

ईसीएल में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम :

क) खुफिया संग्रह

ख) विभागीय पे लोडर/डोजर एवं कभी-कभी संविदा पर लेकर अवैध खनन स्थलों तथा धसान प्रभावित स्थलों की डोजिंग/सीलिंग इत्यादि।

ग) सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा, पुलिस द्वारा औचक जाँच की जाती है तथा अवैध कोयला, कोल लोडेड ट्रक जब्त करके असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले कर रहे हैं।

घ) केन्द्रीय /राज्य/ जिला स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जाती हैं। डोजड अवैध खनन स्थलों के फिर से खुलने से रोकने के लिए जिला प्राधिकारी एवं अनुमंडलीय प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशनों को चौकसी जाँच बढ़ाने की सलाह दी है।

ङ) प्रभावित स्थलों की क्षेत्रीय टीम जिसमें मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, सीआईएसएफ द्वारा नियमित जाँच की जाती है। तदनुसार कमांडेंट सीआईएसएफ के साथ नियमित बैठक की जाती हैं।

च) अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा हेतु आसनसोल अनुमंडल के लिए सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया है।

च) अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा हेतु आसनसोल अनुमंडल के लिए सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया है।

छ) न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के तार्किक निष्कर्ष के लिए ईसीएल ने इन मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए वकील नियुक्त किया है।

ज) न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द ट्रायल हेतु कदम उठाने के लिए सरकारी वकील से भी चर्चा हुई है।

कोयले की चोरी की जाँच/ रोक के लिए उठाए गए कदम :

क. कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ कर्मी/निजी सुरक्षा कर्मी के साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा आकस्मिक जाँच/छापे किये गए। जाँच/छापा के दौरान, कोयला की जब्ती, शरारती तत्वों की गिरफ्तारी तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करायी गई।

ख. साईडिंग से रेलवे धर्मकाँटा तक कोयला से भरे रेक का अनुरक्षण सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाता है।

ग. चुराई गई /अवैध कोयला खनन के साथ भरे हुए वाहनों का पता लगाने के लिए कोयला बेल्ट में 8 सामरिक बिंदुओं की पहचान की जाती है।

घ. 01 सितम्बर 2011 से आगे आसनसोल-दुर्गापुर में कमीशन दर लागू करने के बाद कोयला चोरी की गतिविधियों को रोकने में सुधार आया है सीआईएसएफ एवं ईसीएल सुरक्षाकर्मियों के साथ कमीशन रेट अधिकारियों ने विभिन्न कदम उठाए है जिसके परिणामस्वरूप ईसीएल के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कोयला चोरी की गतिविधियाँ कम हुई है।

ङ. कोयला चोरी को कम करने के उद्देश्य से सलानपुर क्षेत्र में जीपीएस पद्धति लागू की गयी तथा इसके अन्य क्षेत्रों में भी लागू किये जाने की योजना है।

क) ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध कोयला तस्करी एवं अवैध कोयला खनन से जब्ती का विवरण :

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	जब्त कोयला (टन)	जब्त वाहन	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	एफआईआर दायर किया गया
अवैध तस्करी से कोयला जब्ती						
2014-15	पश्चिम बंगाल	319	2183	35	09	22
	झारखण्ड	300	2046	09	00	02
	कुल	**619**	**4229**	**44**	**09**	**24**
2013-14	कुल	688	3869	06	02	08
	अंतर	–69	360	38	7	16
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयला की जब्ती						
2014-15	पश्चिम बंगाल	17	35.15	0	0	08
	झारखण्ड	41	236.72	0	0	08
	कुल	**58**	**271.87**	**0**	**0**	**16**
2013-14	कुल	127	04	-	06	03
	अंतर	–69	267.87	-	–6	13

ख) डोजिंग / सीलिंग / अवैध खनन स्थलों की फीलिंग के दौरान ईसीएल के लीज होल्ड एवं लीज होल्ड के बाहर डोजिंग स्थल

पर ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया। 2013-14 के दौरान निम्नलिखित डोजिंग / सीलिंग का कार्य अवैध खनन को रोकने के लिए किया गया।

वर्ष	राज्य	डोज्ड साइट संख्या	उपयोग की गई मात्रा (लाख घन)	खपित (लगभग) (₹ लाख में)	स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजे गए एफआईआर/सूचना
2014-15	पश्चिम बंगाल	683	0.56	24.43	28
	झारखण्ड	167	1.57	59.24	26
	कुल	**850**	**2.13**	**83.67**	**54**
2013-14	कुल	867	35.37	179.42	121
	अंतर	–17	–33.24	–95.75	–67

अवैध खनन को रोकने एवं कोयले की चोरी जैसी प्रवृत्ति को बंद करने के उद्देश्य से राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है। राज्य प्राधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं ईसीएल प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर की लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं।

ग) **अन्य सामग्रियों की चोरी / बरामदगी :**

वर्ष	2014-15	2013-14	अंतर (वृद्धि/कमी)
घटनाओं की संख्या	46	80	–34
एफआईआर/सूचना की संख्या	46	80	–34
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	1988896	2799654	–810758
वसूली की गई संपत्ति (₹ में)	50250	—	50250
गिरफ्तार व्यक्ति	—	08	–8

22.0 बाह्य स्रोत खुली खदान पैच :

2014-15 में, कंपनी ने 27 बाह्य स्रोत खुली खदान पैचों से 141.73 लाख टन कोयला उत्पादन किया एवं 587.91 लाख घनमीटर अधिभार विस्थापित किया। वहीं 2013-14 में, 22 बाह्य स्रोत ओसी पैचों से कोयला उत्पादन 88.95 लाख टन एवं अधिभार हटान 532.96 लाख घनमीटर किया गया था।

23.0 कंपनी अभिशासन :

कंपनी अभिशासन वह प्रक्रिया है जिसके तहत शेयरधारकों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के मुलाकात से मिला जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है जिसके तहत शेयरधारकों की मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच अपनी विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। कंपनी अभिशासन एक ऐसा अनुशासन है जो बोर्ड, प्रबंधन तथा कर्मचारियों को अंशधारकों के हितों में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन करता है। इसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच एवं गतिविधि शामिल है जो विभिन्न अंशधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, सभी अंशधारकों की बैठक, शेयरधारकों के मूल्यों बढ़ावा देने, सभी अंशधारकों को समय पर सभी सामग्रियों की सूचना समय पर देने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं

भूमि के कानून के अनुपालन, रणनीति कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है।

हमारी कंपनी में कंपनी अभिशासन की धारणा यह है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कंपनी अभिशासन की अहम भूमिका है। इसके साथ ही निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक है। यह धारणा निम्नलिखित है :

''एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कॉर्पोरेट पद्धति, अंतःकरण पर आधारित, सारगी, निष्पक्ष, व्यवसायिकता तथा विभिन्न अंशधारकों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं दीर्घावधि सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।''

आपकी कंपनी के कंपनी अधिशासन पर एक प्रतिवेदन अनुलग्नक-VI में रखा गया है तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अभिशासन के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाणीकरण भी अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

24.0 अभिस्वीकृति :

आपके निदेशकगण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त है कि कंपनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी अपनी बीमार अवस्था से खुद को स्वास्थ्य लाभ कर सके एवं बीआईएफआर से मुक्ति पाकर लाभ कमा सके।

आपके निदेशकगण वैधानिक लेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों , बीआईएफआर, बीआईसीएसई, एसबीआई, कंपनी रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग और निर्देश के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 204(1) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा दिये गए फॉर्म सं एमआर-3 में सचिवालयीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुलग्नक-VIII)।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92(3) के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त वित्त-वर्ष के अनुसार फॉर्म सं एमजीटी-9 में वार्षिक प्रतिवेदन का निष्कर्ष (अनुलग्नक-IX)।

iv) विदेशी मुद्रा में आय एवं खर्च (अनुलग्नक-X)

v) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण (अनुलग्नक-XI)

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(2) एवं 134(3) (एफ) के तहत निदेशक के प्रतिवेदन का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा के लिए

(चन्दन कुमार दे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सांकतोड़िया
दिनांक 19.06.2015

3.4.1 31 मार्च, 2015 तक चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजना का विवरण :

क्रम	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
1	भूमिगत फंस खान स्थान प्रणाली। परियोजना कोड-CIL / R&D/ 1 /35 / 10 कार्यान्वयन एजेंसी: टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची	489.70	15 जनवरी, 2010	मार्च, 2015	447.98	24.12.2014 को सम्पन्न एपेक्स समिति की बैठक में परियोजना की स्थिति की समीक्षा की गयी। समिति ने टीएससी/सीएमसी, कोलकाता तथा सीएमपीडीआई को निदेशक (एस व टी), डीजीएमएस तक पहुँचने एवं उन्हें यकीन दिलाने की सलाह दी ताकि केवल आर व डी उद्देश्य हेतु पूरी पद्धति के जमीनी परीक्षण की अनुमति मिल सके। समिति इस परियोजना को कोल इंडिया लिमिटेड के आर व डी बोर्ड के समक्ष विचार हेतु भेजने के लिए इस परियोजना को 06 महीने; यानी मार्च, 2015 तक तक बढ़ाने की संस्तुति पर राजी हो गयी। एमएफ रीपीटर की जाँच के संबंध में, निदेशक (एस व टी), डीजीएमएस ने कहा कि यदि टीसीएस/सीएमसी आईएस हेतु उत्पादक देश की किसी मान्य प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो डीजीएमएस 07.01.2015 से प्रभावी अपने नये दिशानिर्देशों के आधार पर स्वीकृति नीति (खंड संख्या : 6.2) पर इसके जमीनी परीक्षण हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार कर सकती है। टीसीएस/सीएमसी टीम ने डीजीएमएस को आश्वस्त किया कि तकनीकी स्टेकहोल्डरों (कुहा डुम 100 आर मैनुफैक्चरर्स) के साथ विचार करने के बाद वे परियोजना के लिए उचित समाधान हेतु डीजीएमएस के पास वापस आएँगे। वहीं, एमसीडी (वाई-फ़ाई डोंगल), वाई-फ़ाई एक्सेस पॉइंट एंटीना एवं वीएचएफ मोटोरोला सेट्स जैसी अन्य सह-पद्धतियों के जमीनी परीक्षण की अनुमति के संबंध में निदेशक (एस व टी), डीजीएमएस ने कहा कि वे डीजीएमएस के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे एवं समुचित समाधान खोज निकालने का प्रयास करेंगे। कुहा डुम 100 आर मैनुफैक्चरर्स, यूएसए से टीसीएस को कुछ कागजात प्राप्त हुए हैं। जमीनी परीक्षण की अनुमति हेतु उन कागजातों को डीजीएमएस के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले टीसीएस/सीएमसी में उन कागजातों के संकलन का कार्य चल रहा है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (■ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (■ लाख में)	विवरण
2	कुक्रिफोट प्रेरित गतिशील भरण के अंतर्गत डेकलफमेंट एवं डिपिल्लरिंग पैनलों में बोल्ट व्यवहार की जाँच परियोजना कोड: CIL / R&D/1/42/10 कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमपीडीआईएल, राँची आईआईटी, खड़गपुर एवं आरडीसीआईएस (सेल), राँची	489.70	15 जनवरी, 2015	मार्च, 2015	447.98	24.12.2014 को सम्पन्न एपेक्स समिति की बैठक में परियोजना के समीक्षा पर चर्चा की गयी। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने सीएमपीडीआई को परियोजना के परिणामों की पुष्टि के लिए महाप्रबंधक (झांझरा), ईसीएल के सहयोग से डेकलफमेंट तथा डीपीलरिंग दोनों पैनलों में और अधिक परीक्षण करने की सलाह दी ताकि परियोजना के परिणामों के संबंध में एक ठोस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। आगे के जमीनी परीक्षण के लिए समिति ने स्वीकृत परियोजना प्रारूप के तहत ही परियोजना की अवधि जून, 2015 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है तथा इसे कोल इंडिया लिमिटेड के आर व डी बोर्ड के समक्ष विचार के लिए संस्तुत किया है।
3	कुशल उर्जा प्रबंधन हेतु प्रायोगिक अध्ययन तथा कार्य योजना पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना कोड: CIL /R&D/1/42/20 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईएसडब्ल्यूबीएम, कोलकाता एवं डीएफआईसी मनेजमेंट कंसल्टेंट प्रा. लि., कोलकाता	491.08	15 दिसंबर, 2010	जून, 2015	422.40	परियोजना पूर्ण हो चुकी है। 24.12.2014 को सम्पन्न एपेक्स समिति की बैठक में परियोजना के परिणामों पर चर्चा की गयी। समिति ने झांझरा भूमिगत खदान में वायु प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु वायु-संचालन पंखों के लिए वेरिएबल फ्रीक्वेन्सी ड्राइव (वीएफडी) के संबंध में परियोजना प्रस्तावकर्ताओं द्वारा की गयी संस्तुति में कुछ संशोधन का सुझाव दिया तथा इसकी पुष्टि के लिए झांझरा क्षेत्र में प्रभावी ऊर्जा सदुपयोग के लिए विकसित सॉफ्टवेयर सौंपने की भी सलाह दी। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने आईआईएसडब्ल्यूबीएम, कोलकाता तथा डीएफआईसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को कोल इंडिया लिमिटेड के आर व डी बोर्ड के विचार हेतु समिति के सुझावों को शामिल करते हुए अंतिम परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले झांझरा क्षेत्र, ईसीएल का दौरा करने का सुझाव दिया।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	विवरण
4	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रेलिंग केबलों के लिए रबर कम्पाउन्ड एवं मरम्मत तकनीक का विकास परियोजना कोड: CIL/R&D/1/54/2013 कार्यान्वयन एजेंसी: आईआईटी, खड़गपुर	187.84	मई, 2013	फरवरी, 2015	14.00	परियोजना के तहत, अब तक, ईसीएल की पटमोहना कोलियरी से संग्रहित 25 वर्ग मिलीमीटर व्यास तथा 70 मीटर लंबाई के एक अनुगामी तार की आईआईटी, खड़गपुर द्वारा विकसित रबड़ कम्पाउन्ड के से मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया तथा तार को कोलियरी में वापस आपूर्त करने के पहले विभिन्न प्रकार के आवश्यक जाँच कर लिए गए। जे के रोपवेज़ से संग्रहित 55 वर्ग मिलीमीटर व्यास तथा 125 मीटर लंबाई के एक अन्य क्षतिग्रस्त अनुगामी तार की भी मरम्मत नव-विकसित रबड़ से की गयी। तार का उच्च वोल्टेज परीक्षण किया गया तथा कमजोर एवं दोषपूर्ण हिस्सों को हटा दिया गया और मजबूत हिस्सों को जोड़ दिया गया। जनवरी, 2015 में आईआईटी, खड़गपुर को ईसीएल से 561 मीटर क्षतिग्रस्त अनुगामी तार प्राप्त हुआ जिनकी मरम्मत कर उनके जमीनी परीक्षण के लिए ईसीएल को वापस भेजने की आवश्यकता है। प्रतिबद्ध तार मरम्मत अनुसूची के अनुसार, ईसीएल को तारों की मरम्मत करके वापस करने में 06 महीनों का न्यूनतम समय आवश्यक है। जमीनी परीक्षण के दौरान तारों की अवस्थिति का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त 06 महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है। अत: आईआईटी, खड़गपुर ने परियोजना को पूरा करने के लिए फरवरी, 2016 तक यानी 12 महीनों के समय की माँग की है। परियोजना की बढ़ी हुई अवधि के दौरान होने वाले खर्च को देखते हुए आईआईटी, खड़गपुर ने ₹ 16.22 लाख रूपयों की वृद्धि भी की है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (■ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित / अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (■ लाख में)	विवरण
5	रानीगंज कोयलांचल के मोटे सीमों में सुरक्षित परिसमापन की पद्धति खोजने के लिए : ईसीएल की खोट्टाडीह कोलियरी में डिजाइन और विकास तथा प्रदर्शन प्रदर्शनात्मक परीक्षणों	41.066	जुलाई, 2014	जून, 2016	30.00 सीआईएमएफआर-10.00 ईसीएल-20.00	01.06.2014 से यह परियोजना आरंभ हो गयी है। जमीनी परीक्षण के लिए डीजीएमएस की अनुमति मिल गयी है। उपकरणों की उपलब्धता हेतु कदम उठाए जा रहे हैं एवं तीन महीनों के भीतर इसे पूरा कर लिए जाने की उम्मीद की जा रही है। खोट्टाडीह, ईसीएल में पैनल (बी 2 पैनल) की तैयारी दो महीनों के भीतर पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है।

3.4.2. 31 मार्च, 2014 तक चालू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम (कोड के साथ)	वित्तीय परिव्यय (■ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (■ लाख में)	विवरण
1	भूमिगत कोयला खदानों के लिए टेलि-रोबॉटिक एवं दूरस्थ संचालन तकनीक का विकास- एमटी(ईओभाई)/162 कार्यान्वियन एजेंसी: सीएमईआरआई, दुर्गापुर; सीआईएमएफआर, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल, राँची	440.12 सीएमईआरआई हेतु - 251.57 सीआईएमएफआर हेतु - 125.55 सीएमपीडीआईएल हेतु - 63.00	सितम्बर, 2012	अगस्त, 2015	240 सीएमईआरआई हेतु - 165.00 सीआईएमएफआर हेतु - 75.00	खान से मूल सर्वेक्षण तथा आँकड़ा-संग्रहण का कार्य पूरा हो गया। बेतार तकनीक की अवधारणा विकसित हुई। कंपित तार सूचक हेतु मॉड्यूल्स तैयार कर लिए गए। विस्तृत पद्धति की समीक्षा के पश्चात, प्रस्तावित रोबोट के 3डी सीएडी मॉडल तथा स्थापत्य खाके को अंतिम रूप दिया गया। सफलतापूर्वक खाका तैयार कर लेने के उपरांत कंपित तार सूचक तथा बेतार नोड्स हेतु मॉड्यूल्स तैयार किए गए। सामने एवं पीछे के आर्म, सी-ब्रैकेट, रोबोट के प्रस्तावित मॉडल के शाफ्ट्स सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा विकसित किए जा चुके हैं।
2	विस्फोट प्रारूपण एवं विखंडन नियंत्रण उत्पादकता की चाभी मि.ट./164 कार्यान्वियन करने वाली एजेंसी : सीआईएमएफआर, धनबाद	303.86	जनवरी, 2013	दिसंबर, 2015	200.00	निगाही परियोजना, एनसीएल तथा सोनपुर बजारी परियोजना, ईसीएल में जमीनी जाँच की गयी। चट्टान विखंडन पर प्रत्येक विस्फोट के लिए विस्फोट प्रारूपण आयामों का प्रभाव तथा प्रत्येक विस्फोट के लिए वितरण प्रणाली का अध्ययन किया गया। डब्ल्यूआईपीएफआरएजी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विखंडित आकार का विश्लेषण किया गया।

क्र० सं०	परियोजना का नाम (कोड के साथ)	वित्तीय परिव्यय (■ लाख में)	चालू होने की तिथि	समाप्ति की संशोधित/ अनुसूचित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (■ लाख में)	विवरण
3		2038.09 एनजीआरआई हेतु - 813.84 सीआईएमएफआर हेतु- 169.95 सीएमपीडीआईएल हेतु - 1054.30	दिसंबर, 2012	नवंबर, 2015	694.07 एनजीआरआई -410.00 सीआईएमएफआर -140.00 सीएमपीडीआईएल -144.07	रानीगंज के धर्मा ब्लॉक तथा झरिया कोयलांचल के वेस्ट महुदा, सिंगरा, कापुरिया और बोकारो कोयलांचल से शैल के नमूने सीएमपीडीआई एवं एनजीआरआई, हैदराबाद में पेट्रोग्राफिक, टीओसी एवं रॉक एवल पायरोलाइसिस जाँच के लिए सीआईएमएफआर द्वारा संग्रहित किए गए। 60 शैल कोर के नमूनों की समीक्ष्य समीक्षा की गयी एवं 20 शैल कोर नमूनों के अवशोषण आइसोथर्म की जाँच सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा की गयी। रॉक एवल पायरोलाइसिस जाँच के शैल नमूनों का भू- रासायनिक विश्लेषण एनजीआरआई, हैदराबाद में प्रक्रियाधीन है। रानीगंज कोयलांचल के रंगमाटी बी ब्लॉक तथा वेस्टर्न झरिया कोयलांचल को 3डी सिस्मिक सर्वेक्षण हेतु समुचित स्थान के रूप में चयन किया गया है। वाइब्रेटर, जो कि परियोजना में मुख्य उपकरण है, एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

अनुलग्नक - III

3.14 परियोजना मोनीटरिंग एवं ऑनगोइंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति:

क्रम स.०	परियोजना का नाम	क्षमता(मि.टन. प्रति वर्ष)	पूंजी (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	कार्यान्वयन की स्थिति
1	खोट्टाडीह ओसी एयूजी	1.50	19.26	नवम्बर 11	1. 2014-15 में किया गया उत्पादन : 2.04 मिलियन टन 2. 17.02.2015 को 42.83 हेक्टर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया। ३. ईसीएल बोर्ड द्वारा 25.12.2014 को पीआर के आरसीई (पूंजी : ₹ 60.10 करोड़) को स्वीकृति प्रदान की गयी।
2	सारपी एयूजी भूमिगत	0.30+0.46 =0.76	147.86 (120.35 अतिरिक्त)	जून 08	29.08.2010 को कंटीन्यूअस माइनर स्थापित किया गया। 2014-15 में 0.607 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया।
3	बंकोला आर-6 सीम (भूमिगत)	0.24	19.14	मार्च 03	निचली सीमों में प्रवेश के लिए वर्तमान स्तंभों को चौड़ा एवं गहरा करने से संबंधित परियोजना। सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान-1 से तकनीकी को अद्यतन करने के साथ-साथ पीआर के रीकास्ट हेतु अनुरोध किया गया है।
4	कुमारडीह बी भूमिगत	1.02	117.90	मई, 2014	1. कंटीन्यूअस माइनर को हायर करने में ₹ 117.90 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ 1.02 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता हेतु पीआर को सीआईएल बोर्ड द्वारा 29.05.2014 को स्वीकृति प्राप्त हुई। 2. हाई स्पीड ईक्लाइन ड्रिवेज एवं कंटीन्यूअस माइनर हेतु एनआईटी कागजात तैयार होने की प्रक्रिया में हैं।
5.	खांदरा एनकेजी भूमिगत	0.285	18.85	जुलाई 03	स्तंभों के विस्तार एवं गहराई का कार्य पूरा हो गया। क्षेत्रीय संस्थान-1 से तकनीकी को अद्यतन करने के साथ-साथ पीआर के रीकास्ट हेतु अनुरोध किया गया है।

6.	पड़सिया डोबरमा भूमिगत	0.16 (इंक.)	11.89	फरवरी 04	निचली सीमों में प्रवेश के लिए वर्तमान स्तंभों को चौड़ा एवं गहरा करने से संबंधित परियोजना। सीएमपीडीआईएल ने मार्च, 2015 के आखिरी सप्ताह में पड़सिया–बेलबाद भूमिगत खदान का ड्राफ्ट पीआर प्रस्तुत किया। क्षमता : 1.83 मिलियन टन प्रति वर्ष तथा अनुमानित पूँजी : ₹ 886.41 करोड़ ।
7	बेलबाद भूमिगत	0.36 incr.	69.11	फरवरी 09	निचली सीमों में प्रवेश के लिए वर्तमान स्तंभों को चौड़ा एवं गहरा करने से संबंधित परियोजना। सीएमपीडीआईएल, क्षेत्रीय संस्थान-1 से पीआर के रीकास्ट हेतु अनुरोध किया गया है। सीएमपीडीआईएल ने मार्च, 2015 के आखिरी सप्ताह में 03 कंटीन्यूअसमाइनरके साथ पड़सिया–बेलबाद भूमिगत खदान का ड्राफ्ट पीआर प्रस्तुत किया। क्षमता : 1.83 मिलियन टन प्रति वर्ष तथा अनुमानित पूँजी : ₹ 886.41 करोड़ । यह ड्राफ्ट फिलहाल प्रक्रियाधीन है।
8	सिझूली भूमिगत	0.30	54.99	दिसम्बर 06	निचली सीमों में प्रवेश के लिए परियोजना रिपोर्ट में स्तंभों का डूबना शामिल है। सिझूली, ओसी-1.00 मिलियन टन प्रति वर्ष, यूजी: 1.02 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए ₹ 605.78 करोड़ की अनुमानित पूँजी के साथ सीएमपीडीआईएल द्वारा दिसंबर, 2014 में ड्राफ्ट रीकास्ट प्रस्तुत किया गया। सीएमपीडीआईएल से इस परियोजना में संशोधन करने का अनुरोध किया गया।
9	न्यू काजोड़ा माधवपुर ब्लॉक	0.30	56.14	दिसम्बर '06	निचली सीमों में प्रवेश के लिए वर्तमान स्तंभों को चौड़ा एवं गहरा करने से संबंधित परियोजना। सीएमपीडीआईएल ने अप्रैल, 2015 के पहले सप्ताह में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। क्षमता : 1.08 मिलियन टन प्रति वर्ष तथा अनुमानित पूँजी : ₹ 1310 करोड़ ।

10	झांझरा पीएसएलडब्ल्यू (आर-6)	1.70	287.17	नवम्बर '06	मेसर्स सीओडीसीओ द्वारा बिजली समर्थित प्रोटोटाइप का निर्माण कियागया। 03.09.2014 को डीजीएमएस द्वारा शील्ड सपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त हुई। फरवरी, 2015 में रोड हेडर, लॉन्गवाल के लिए बिजली उपकरण, साइड लोबर एवं बेल्ट कनवेयर के लिए बिजली उपकरण के जमीनी परीक्षण हेतु डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त हुई। ब्रेक बल्क कार्यों (मुख्यत: सभी बिजली समर्थित) 25.02.2015 को चीन से भेज दिया गया है।
11	राजमहल विस्तार	17.00	153.82	सितम्बर '09	1. भूमि का अधिग्रहण/स्वामित्व तथा पुनर्स्थापन गतिविधियाँ चल रही हैं। 2. 2014-15 के दौरान 15.92 मिलियन टन उत्पादन किया गया।
12	मोहनपुर विस्तार खुली खान	1.00	14.23	जून '08	इस परियोजना ने अपना लक्ष्य 11-12 में हासिल किया था।
13	नारायणकुड़ी भूमिगत	0.54	149.06	फरवरी '09	23.01.2015 को ईसी आदेश जारी हो गया है। अब यह परियोजना सीएमपीडीआईएल के पुनर्निर्माण के अधीन है।
14	झांझरा में द्वितीय सेट कंटीन्यूअस माइनर	0.51	147.25	मई '11	कंटीन्यूअसमाइनर का पैकेज स्थापित किया गया। 2014-15 के दौरान 0.518 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया।
15	सोनपुर बजारी कम्बाइन्ड खुली खान	8.00	1055.05	अगस्त '12	1. 2014-15 के दौरान 6.40 मिलियन टन कोयले का उत्पादन। 2. एनएच-60 का विपथन : एनएचएआई के पास ₹ 57.67 करोड़ जमा किया जा चुका है। ₹ 69.50 करोड़ की संशोधित अनुमानित लागत आरटीएच मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत होनी है। 3. रेलवे साइडिंग : भूमि को समतल बनाने, गड्ढे भरने तथा पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 30% कार्य हो चुका है।

16	खोड़ाडीह सी एम	0.6 (इंक्री.)	127.17	मई '11	कंटीन्यूअस माइनर हेतु जोखिम एवं प्राप्ति आधार पर ग्लोबल बिड कागजात स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है।
17	चित्रा पूर्व खुली खान	2.50	112.69	अगस्त '07	1. 2014-15 के दौरान उत्पादन : 1.735 मिलियन टन 2. सरकारी भूमि का स्थानांतरण : भूमि के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है किन्तु राज्य प्राधिकारी द्वारा मांग जारी नहीं की गयी है। 3. जंगल की भूमि : (क) 21.04.2010 को 124.28 हेक्टर भूमि हेतु पहले चरण की एफसी प्राप्त हुई, (ख) दूसरे चरण की एफसी के लिए पहले चरण के अनुपालन की संस्तुति 05.12.2014 को नोडल अधिकारी द्वारा पीसीसीएफ, झारखण्ड के समक्ष की गयी ताकि उसे मुख्य सचिव (वन) को अग्रेषित किया जा सके। मुख्य सचिव (वन) ने वरिष्ठ एआईजी (वन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 16.02.2015 को अनुरोध किया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसे अग्रेषित करने से पहले शर्तों में हुए संशोधन/छूट के संबंध में आवश्यक सूचना भेज दिया जाय।

अनुलग्नक - IV

प्रबंधन का विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2014-15

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन :

विद्युत उत्पादन क्षमता के आधार पर, 2013 में लगभग 4.96 ट्रिलियन यूएस $ के अनुमानित जीडीपी के साथ भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है (स्रोत: सीआईए वर्ल्ड फैक्ट बुक). भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। भारतवर्ष में कोयला एक प्रमुख ईंधन है तथा भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 52% इससे मिलता है और भविष्य में भी ऊर्जा की आपूर्ति का यह महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा।

वैश्विक कोयला उद्योग व संसाधन :

2013 में जो उत्पादन दर था उसके अनुसार

औसतन अगले 113 वर्षों के लिए वैश्विक कोयला भंडार पर्याप्त है, वहीं यदि भारतवर्ष में कोयला उत्पादन दर की बात करें तो यह अनुमान अगले 100 वर्षों तक ठहरता है। यद्यपि साबित कोयला भंडार विश्व में सभी ओर फैला हुआ है, विश्व का 82.8% रीकवरेबल रिज़र्व मुख्यत: पाँच क्षेत्रों संयुक्त राज्य (26.6%), रूस (17.6%), चीन (12.8%), कुल यूरोप एवं यूरेशिया (रूस को छोड़कर) (17.2%) तथा ऑस्ट्रेलिया (8.6%) में स्थित है (स्रोत : बीपी स्टेटिस्टिकल रीव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, जून, 2014). बीपी स्टेटिस्टिकल रीव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी जून, 2013 के अनुसार, वैश्विक कोयला भंडार का 6.8% भारत ने लेखाबद्ध किया था।

वैश्विक कोयला उत्पादन व खपत :

चीन, संयुक्त राज्य [(892.6 मिलियन टन)(2013 में कुल वैश्विक उत्पादन का 12.9%)] के बाद कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहाँ 3,680.0 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया (2013 में कुल वैश्विक उत्पादन का 47.4%). एशिया कोयले का सबसे बड़ा बाज़ार है तथा चीन एवं भारत, जो कि कोयले के मुख्य उपभोक्ता हैं, के कारण वर्तमान में कुल वैश्विक कोयला खपत का 70.5% यहीं दर्ज़ किया जाता है (स्रोत : बीपी स्टेटिस्टिकल रीव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, जून, 2014)

भारतीय कोयला उद्योग एवं भंडार :

01.04.2014 को, भारतीय कोयले का अनुमानित भूगर्भीय स्रोत 301.56 बिलियन टन था (स्रोत : कोयला मंत्रालय, भारत सरकार). भारत में, कोयले की उपलब्धता एवं सस्ता होने के कारण, यह ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन है कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है एवं भारत में मुख्य ऊर्जा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में कोयला क्षेत्र केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन मुख्यत: लोक क्षेत्र उधमों (PSUs) द्वारा शासित किया जाता है।

परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सामान्य परिचय :

कोल इंडिया के एक सहायक के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शुरूआत 01 नवंबर, 1975 को हुई थी जिसके अन्तर्गत कोयला खनन प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी संविभाग के साथ 414 खदानों को शामिल किया गया था तथा उसी दिन से कंपनी ने अपना व्यावसायिक परिचालन की शुरूआत कर दिया। इसका परिचालन पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य में होता है। ईसीएल भारत में सर्वोत्तम गुणात्मकता वाला कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है। वर्तमान में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कुल 103 खदान परिचालन में हैं जिनमें से 75 भूमिगत खदान, 19 खुली खदान तथा 09 मिश्रित खदान हैं।

मजबूती और कमजोरी :

प्रतिस्पर्धात्मक बल :

क. ईसीएल कमान क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत कुल 31.32 बिलियन टन कोयले का भूगर्भीय भंडार है जिसमें से 13.40 बिलियन टन सिद्ध श्रेणी में आता है। ईसीएल में रानीगंज में 20% से कम ऐश कंटेन्ट सहित प्रीमियम श्रेणी के ग्रेड का कोयला है। इस कोयले का मिश्रण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य अनुषंगी कंपनियों से मिले उच्च राख वाले कोयले के साथ किया जा सकता है।

ख. झारखंड राज्य में 01.04.2014 (जीएसआई के अनुसार) तक 600 मीटर नीचे से लगभग 18.61 बिलियन टन निम्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन आरक्षित था जिसमें कि खुले खदान बनाकर आसानी से कोयला निकालने का स्कोप है।

ग. कोयले की माँग आपूर्ति से अधिक है।

घ. कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं।

कमजोरी :

क. रानीगंज में कोयले की खदान की शुरुआत लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी। अभी भी कंपनी छोटे खदानों के पुराने लिगेसी, पुराने पक्का चक्की, जो कि अपनी क्षमता से 50% तक ही काम करती है, के साथ चल रही है।

ख. जैविक खदान की परिस्थिति काफी कठिन है

ग. जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण भूमि की कमी है।

घ. कोयला क्षेत्र के आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है जो कि खुले खदान को प्रभावित करती हैं।

ङ. बड़ी पम्पिंग व रेत का क्षेत्र।

च. निचली सीमों में व्यापक उत्पादन तकनीक को प्रस्तुत करने में ऊपरी वाटर-लॉग्ड सीम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अवसर और चुनौतियाँ :

अवसर :

क. ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोयले का मूल्य बढ़ना।

ख. अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों में कार्यरत संसाधन।

ग. केन्द्रीय व्यापार संगठन से उत्पादन व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना।

घ. समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि।

चुनौतियाँ :

क. गाँववालों से जमीन अधिग्रहण का विरोध ।

ख. अव्यवहार्य भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध।

ग. व्यापक उत्पादन तकनीक तथा ओसी के विस्तार के लिए भूमि की पहचान ।

घ. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 25% उपकर प्रभार लगाने के कारण ईसीएल के कोयले की बेहतर ई-मार्केटिंग में मुश्किल।

व्यवसाय रणनीति :-

क. उत्पादन को निरंतर बढ़ाते रहना , उत्पादन क्षमता और भारतवर्ष में कोयले की माँग और आपूर्ति के अंतर को दूर करना।

ख. उच्च श्रेणी के कोयले और ई-एक्शन कोयले की विक्रय को सुधारने का प्रयास करना।

ग. परिचालन क्षमता को सुधार कर और नियंत्रित करके लाभ को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना।

घ. विस्तृत अन्वेषण के बाद आरक्षित क्षेत्र को बढ़ाने को जारी रखना।

ङ. पर्यावरणपरक और समाजपरक परिचालन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।

उत्पादन :

विवरण	2014-15	2013-14
ओसीपी कोयला (एमटी)	32.714	29.175
भूमिगत कोयला (एमटी)	7.292	6.871
कुल	40.006	36.046
वृद्धि %	10.99	6.33
ओबीआर (एमसीयूएम)	94.047	85.76
वृद्धि %	9.66	12.18

विभागवार या उत्पादनवार कार्यनिष्पादन : **(मिलियन टन में)**

विवरण	2014-15	%	2013-14	%	वृद्धि %
एफएसए के अन्तर्गत बाहरी वितरण	31.960	83.08	30.368	83.76	33.85
ई-एक्शन	1.889	4.91	3.904	10.77	–53.89
एमओयू के अन्तर्गत भेजना।	4.250	11.05	1.626	4.48	16.68
अन्य	0.121	0.32	0.080	0.22	199.09
स्वयं खपत	0.249	0.65	0.277	0.77	–5.05
कुल ऑफ टेक	38.469	100.00	36.255	100.00	6.07

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले को जल विद्युत संयंत्रों को आपूर्ती की जाती है। इसके साथ विभिन्न उद्योगों जैसे कि स्टील, सिमेंट, स्पॉज आयरन, सुरक्षा व अन्य विभिन्न उद्योगों को भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत, संरचना एवं लोगिस्टिक :

खदान से निकाले गए कोयले को वितरण स्थान तक टिपिंग ट्रक और मालवाहक बेल्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ग्राहकगण

तक कोयले का वितरण आपूर्ति रेलमार्ग, सड़कमार्ग तथा रेल एमजीआर पद्धति के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

समस्त वितरण ईसीएल के पास उपलब्ध अपने मालवाहक या रेलवे के मालवाहक के द्वारा किया जा सकता है। ग्राहक रेलमार्ग या सड़कमार्ग में से किसी एक परिवहन के मार्ग का चयन कर सकते हैं। खदान से वितरण स्थान यदि तीन किलोमीटर की दूरी पर हो तो खदान से निर्दिष्ट वितरण स्थान तक कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन ईसीएल के द्वारा किया जाएगा। यदि वितरण स्थान हमारे खदान से तीन किलोमीटर से अधिक तथा 20 किलोमीटर तक की दूरी पर हो तो कोयले के परिवहन में आने वाले खर्च का वहन, समय-समय सीआईएल द्वारा निर्धारित दर के आधार पर, ग्राहक को ही करना पड़ेगा।

कोयले का मूल्य :

वर्तमान समय में कूकिंग के लिए प्रयोग न किए जाने वाले कोयले का मूल्य उसके सकल कैलोरिफिक मूल्य पर निर्भर करता है और कूकिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोयला और वैशरी श्रेणी के कोयले का मूल्य निर्धारण ऐश स्तर पर किया जाता है। सह-कूकिंग कोल का मूल्य निर्धारण ऐश और नमी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयले के मूल्य का संशोधन आवक लागत, इनफ्लेशन और आयात कोयले को रखवाने के खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्राहक के लिए तय किए गए मूल्य में मूल और अन्य खर्चों (उपकर, रॉयल्टीज, सीमा शुल्क, विक्रय कर और अन्य) को शामिल करके किया जाता है। ईसीएल और उससे जुड़े ग्राहकों के बीच हुए दीर्घावधि ईंधन वितरण समझौते(एफएसएएस) के अन्तर्गत लगभग 90% कोयले का वितरण विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई-नीलामी योजना के अन्तर्गत भी कोयले का विक्रय किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड के सुझाव पर 1 जनवरी, 2012 से हम जीसीवी आधारित कोयला मूल्यांकन यांत्रिकी का उपयोग कर रहे हैं।

वितरण व बाजार नीति :

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ग्राहकों, दीर्घावधि व अल्पावधि दोनों, से प्राप्त कोयले की माँग को पूरा करने के लिए 18 अक्तूबर, 2007 में एनसीडीपी जारी की गई है।

ई-नीलामी योजना :

एनसीडीपी के अन्तर्गत संस्थागत तंत्र में उपलब्ध कोयले के माध्यम से जो ग्राहक अपने कोयले की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ग्राहकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरुआत की गई है। कोयला मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के अन्तर्गत ऑफर किए गए कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना से ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला उपलब्धता का भी एक विकल्प तैयार होता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते :

एनसीडीपी के शर्त के आधार पर, कोयला कंपनी विधिक एफएसए में प्रवेश किया है जो कि ग्राहकों या राज्य सरकार के द्वारा नामित एजेंसियों से जुड़कर ग्राहकों को उचित वितरण व्यवस्था करती है। हमारी एफएसए को वृहद रूप से निम्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है :-

1. विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्रों जिसमें कि राज्य विद्युत उपयोग, निजी विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (पीपीएल) और स्वतंत्र विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (आईपीपीएस) के साथ एफएसए।
2. गैर विधिक उद्योगों में (कैप्टिव विद्युत संयत्र को शामिल करके) ग्राहक के साथ एफएसए।
3. राज्य के नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

अनुसंधान व विकास :

अनुसंधान व विकास के लिए ईसीएल को सीएमपीडीआईएल के साथ जुड़ने की आवश्यकता हुई, जो कि सीआईएल का एक प्रमुख सहयोगी है। अनुसंधान कार्य करने के लिए सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, फंड वितरित करती है तथा साथ

ही साथ हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों की निगरानी भी करती है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के समझौते का ज्ञापन :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भौतिक व वित्तीय कार्यनिष्पादन करने के लिए ईसीएल विभिन्न आयामों को सेट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के साथ एमओयू करती है। कार्यनिष्पादन को श्रेणी 1 से 5 तक के ग्रेड में बाँटा जाता है, जिसके अन्तर्गत सर्वोत्तम के लिए ग्रेड 1 तथा निम्नतम के लिए ग्रेड 5 दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए ईसीएल को 'सर्वोत्तम' ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी पर्याप्तता :

व्यवसाय के सक्षम विकास के साथ–साथ, विभिन्न नियमों और विनियामकों के दैनंदिन अनुपालन में, एक कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में, ईसीएल के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति बहुत ठोस है।

सुचारु रूप से इसके संचालन के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की नियम पुस्तिकाएँ (पर्चेज़, सिविल, फ़ाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आदि) संचालन में हैं जिनमें उन सभी दिशानिर्देशों एवं विस्तृत प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख है जिनकी आवश्यकता दैनंदिन कार्य–प्रणाली में पड़ती है। इनके साथ–साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, आवश्यकता पड़ने पर, संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन नियम–पुस्तिकाओं के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के परिपत्र भी जारी किए जाते हैं। साथ ही, पद्धति में किसी प्रकार की चूक को दूर करने के लिए इन दिशानिर्देशों/पुस्तिकाओं में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक जाँच तथा तुलन का भी उल्लेख है।

कोलियरी/यूनिट स्तर पर डेलिगेशन ऑफ पावर बिल्कुल व्यापक/विषद है जो सुनिश्चित करता है कि वस्तुस्थिति एवं महत्त्व पर निर्भर डेलिगेशन ऑफ पावर के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ठीक ढंग से निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार, यहाँ निर्णय लेने की एक सहज प्रक्रिया है जो सभी महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न स्तरों पर समय से निर्णय लेना सुनिश्चित करता है

यह सुनिश्चित करने के दौरान कि आवश्यक जाँच एवं तुलन यथास्थान हैं तथा सभी आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ काम कर रही हैं, नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किये गये कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के समन्वय से चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट्स के अनुभवी फ़र्मों द्वारा साल भर निरंतर आंतरिक लेखा परीक्षा की गयी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों/स्थापनाओं में वर्ष भर लेनदेन की लेखा परीक्षा करते हैं जिनमें व्यय के समर्थन में समुचित तथ्यों के प्रस्तुत किये जाने की भी, आंतरिक नियंत्रण के रूप में, गहराई से जाँच की जाती है। यदि किसी प्रकार का असंतुलन देखने को मिलता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जाँच रिपोर्ट में उसका उल्लेख कर दिया जाता है ताकि प्रबंधन द्वारा उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उसमें सुधार किया जा सके।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों के अनुपालन पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति विशेष ध्यान रखती है तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के महत्वपूर्ण पर्यवेक्षणों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक आधार पर कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वहाँ चर्चा के पश्चात लेखापरीक्षा समिति अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करती है।

खास मुद्दों पर, प्रबंधन के चाहने पर, कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विशेष लेखापरीक्षा/जाँच की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की विशेष लेखापरीक्षा/जाँच के संचालन के दौरान, कंपनी में कार्यरत आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की गहन जाँच की जाती है और यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्टिंग सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जाती है।

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि कंपनी के आकार एवं इसके कार्य–निष्पादन की प्रकृति के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति

ठोस एवं प्रभावी है।

लागत लेखा परीक्षा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की तथा कंपनी नियमावली, 2011 (लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए कॉस्ट ऑडिट अनिवार्य किया गया। वित्त-वर्ष 2013-14 हेतु, 26 सितंबर, 2014 को लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन फॉर्म-1-XBRL में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संचालन कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा :

संचालन का परिणाम : **(₹ करोड़ में)**

विवरण	2014-15	2013-14	वृद्धि (%)
कुल विक्रय	13413.84	11959.75	12.29
उगाही में कमी	3395.30	3071.96	11.03
शुद्ध विक्रय	10018.54	887.79	12.72
अन्य आय	894.25	712.91	25.44
कुल आय	10912.79	9600.70	13.67

कोयले के विक्रय से आय : कोयले के विक्रय से होने वाली आय मुख्यतः कोयले के मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करता है। विक्रय के अंतर्गत (i) रॉयल्टी कोयले पर उपकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नौभरण उत्पाद-शुल्क समेत विविध वैधानिक लेविज तथा (ii) विक्रय कर शामिल है।

व्यय :

मुख्य शीर्षों का विवरण : **(₹ करोड़ में)**

विवरण	2014-15	2013-14	वृद्धि	
			विशुद्ध	%
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/कमी	–84.84	5.64	–90.48	–1604.26
भंडार एवं पुर्जे	797.82	735.36	62.46	8.49
वेतन एवं पारिश्रमिक	5850.50	5495.74	337.93	6.13
बिजली एवं ईंधन	475.78	463.77	12.01	2.59
सामाजिक ओवरहेड	24.85	92.98	24.85	--
संविदा व्यय / मरम्मत	1025.03	742.15	204.50	24.92
अन्य व्यय	349.99	265.34	7.52	2.20
ओबीआर समायोजन	174.42	210.00	–35.58	–16.94

विवरण	2014-15	2013-14	वृद्धि	
			विशुद्ध	%
अवमूल्यन/ हानि	244.79	213.50	31.29	14.66
प्रावधान	99.58	–131.57	231.15	175.69
कर के पहले लाभ	1782.41	1299.28	483.13	37.18
कर के बाद लाभ	1139.40	872.23	267.17	30.63

नकद प्रवाह :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2015	31.3.2014
शुरुआती नकद एवं नकद समानांतरण	1188.07	439.15
क्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध नकद	981.85	2168.30
निवेशात्मक क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त शुद्ध नकद	–1477.34	–1364.21
वित्तिय क्रियाकलापों में इस्तेमाल शुद्ध नकद	–5.75	–55.17
नकद एवं नकद समानांतरण में अंतर	–501.24	748.92
समापन नकद एवं नकद समानांतरण	686.83	1188.07

एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम सं.	प्रदर्शन सूचक	माप इकाई	वर्ष के लक्ष्य	लक्ष्य की प्राप्ति/उपलब्धि
1.	सकल ऑपरेटिंग मार्जिन	₹ करोड़ में	671.82	1644.56
2.	कार्यशील पूँजी कारोबार अनुपात	अनुपात	–0.028	0.267
3.	वस्तुसूची के दिनों की औसत संख्या	दिन	14.45	14.61
4.	व्यापार प्राप्तियों की औसत वसूली अवधि	दिन	56.70	42.81

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

श्रेणी	जनशक्ति		वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
	31.3.2015	31.3.2014	
अधिशासी	2472	2518	–46
पर्यवेक्षक	4736	5633	–897
मंत्रालयी / लिपिकीय	3175	3466	–291
अत्यंतम दक्ष / दक्ष	23422	23636	–214
अर्ध दक्ष/दक्षताविहीन	34121	35453	–1332
प्रशिक्षु	755	1120	–365
कुल	**68681**	**71286**	**–3145**

जनशक्ति में अन्तर के कारण :

विवरण	अधिशासी	गैर अधिकारी	कुल
वृद्धि :			
नव–नियुक्ति	134	35	169
चिकित्सा की दृष्टि से अनफिट मामलों में नियुक्ति	0	6	6
मृत्यु मामलों में नियुक्ति	0	556	556
पुनः पदभार ग्रहण	2	54	56
दूसरी कंपनियों से स्थानांतरण	31	4	35
भूमि के बदले नियुक्ति	0	313	313
कुल वृद्धि (क)	**167**	**968**	**1135**
ह्रास :			
सेवानिवृत्ति	158	3188	3346
मेडिकल अनफिट	0	46	46
मृत्यु	3	647	650
त्याग पत्र	17	7	24
निलंबन	32	24	56
अन्य कंपनियों में स्थानान्तरण	3	25	28
जीएनएस/ईबीआरएस के अंतर्गत वीआर	0	7	7
स्पेशल फीमेल वीआरएस	0	123	123
कुल ह्रास (ख)	**213**	**4067**	**4280**
अंतर (क – ख)	**–46**	**–3099**	**–3145**

औद्योगिक संबंध :

प्रबंधन की सहभागिता शैली सौहार्दपूर्ण ढंग से गहन विचार-विमर्श द्वारा विवादों/शिकायतों के निपटारण की सुविधा प्रदान करती है। परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा। औद्योगिक संबंध तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी सांख्यिकी निम्नलिखित है –

क्रम.सं.	विषय	2014-15	2013-14
1	हड़तालों की संख्या	1	1
2.	नष्ट श्रम दिन (लाख में)	0.25	0.02
3.	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.97	0.36

कानून एवं आदेश :

विषय	2014-15	2013-14
कानून एवं आदेश (उल्लंघन)	18	54
उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.63	1.08

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

ईसीएल के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अपनी कंपनी के प्रत्येक आयाम में पूर्ण रूप से कार्यरत है। कॉर्पोरेट के साथ-साथ परियोजना/इकाईयों स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) कार्यरत है। जेसीसी की बैठक निरंतर होती रहती है जहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, लागत, कल्याण इत्यादि पर विचार-विमर्श किया जाता है अन्य समिति/बोर्ड जैसे सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड, स्वास्थ्य सलाहकार मंडल, गृह आवंटन समिति, कैंटिन समिति इत्यादि भी अपनी कंपनी में कार्यरत है इस तरह की समितियों में श्रमिक संघ की सक्रिय भागीदारी है।

बैठकें	2014-15	2013-14
मुख्यालय स्तर पर संपन्न जेसीसी बैठकों की संख्या	06	04
मुख्यालय स्तर पर संपन्न संरचनात्मक बैठकों की संख्या	20	20

एनसीडब्ल्यूए के तहत रोजगार दिया गया :

के तहत रोजगार दिया गया	2014-15	2013-14
एनसीडब्ल्यूए	665	590
लैंड लूजर योजना	275	488
प्रत्यक्ष नियोजन	62	158

भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण :

ईसीएल में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निदेशों को क्रियान्वित किया गया है। कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है –

दिनांक को	कुल जनशक्ति	अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थी		अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
31.03.2015	68681	18811	27.39	8949	13.03
31.03.2014	71826	19774	27.53	9475	13.19

2013-14 के दौरान जहाँ अनुसूचित जाति के 401 एवं अनुसूचित जनजाति के 187 कर्मचारी पदोन्नत हुए; वहीं 2014-15 के दौरान पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 450 एवं 206 रही। 31.03.2015 तक कंपनी में अन्य पिछड़ा वर्ग

के 17094 कर्मचारी कार्यरत हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथामऔरनिवारण) अधिनियम, 2013 के तहत रहस्योद्घाटन :

महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथामऔरनिवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-2 (एच) के अंतर्गत 23.05.2014 को ईसीएल की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। अब तक, ईसीएल में दो यौन उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम	कार्यानिष्पादन संकेतक	माप इकाई	वर्ष का लक्ष्य	उपलब्धि
1	कर्मचारियों की जॉब रोटेशन पॉलिसी का गठन	माह	मार्च, 2015	हासिल हुआ। 17.02.2015 को जॉब रोटेशन पॉलिसी स्वीकृत हुई।
2	ऑनलाइन नियोजन प्रणाली का क्रियान्वयन	माह	मार्च, 2015	ऑनलाइन नियोजन प्रणाली व्यवहार में है।
3	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कॉर्पोरेट स्तर के संरचनागत बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	16	हासिल हुआ। 26
4	मानव संसाधन कार्यप्रणाली में पहल	एनईआईएस पद्धति का अद्यतन %	75	हासिल हुआ। एनईआईएस का निरंतर अद्यतन किया गया।
5	गुणवत्ता हलकों का गठन	संख्या	4	8

श्रमिक संघ :

अधिकांश अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी विभिन्न संगठनों, जैसे आईएनटीयूसी, आईटीयूसी, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीआईटीयू, के सदस्य होटल हैं। जेबीसीसीआई के द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोल मजदूरी समझौता के द्वारा अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी के वेतन संशोधन व सेवा के अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। दिनांक 31/12/2011 को एनसीडब्ल्यूए-IX के लिए जेबीसीसीआई ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है और दिनांक 01/07/2011 से 5 वर्षों के लिए कार्यपालकों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के लिए एनसीडब्ल्यूए-IX प्रभावी हो गया है। हमारे कार्यपालक श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, पर्क्स और भत्तों का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 01 जनवरी, 2007 से कार्यपालकगण के वर्तमान वेतन में सुधार किया गया है।

प्रशिक्षण :

हमारा उद्देश्य हमारे सभी कर्मचारी को लगातार प्रशिक्षण देना है। कोल इंडिया के द्वारा 1994 में स्थापित इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट अग्रिम प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता के विकास, सामान्य प्रबंधन, अग्रिम रख-रखाव के तरीके, प्रबंधन विकास, प्रशिक्षण और कोचिंग, कैरियर विकास और सम्प्रेषण कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। इसके अतिरिक्त, हमारी कंपनी ने वाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिशासियों की व्यवस्था की है तथा हमारे कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिशासियों एवं गैर-अधिशासी कर्मचारियों सहित) को भारत के बाहर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए भेजा। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में भी अच्छे एचआरडी केन्द्र,वीटीसी हैं, जो कि हमारे कर्मचारियों और अधिशासियों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नव-नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए समय-समय पर प्रवेश प्रशिक्षण

का आयोजन किया जाता है।

2014-15 में कंपनी ने 4077 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जबकि वर्ष 2013-14 में यह संख्या 4076 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1. कार्य योजना :

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या		प्रतिभागियों की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	श्रमिक	कुल	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	श्रमिक	कुल
2014-15	138	149	315	510	960	1785	423	561	1270	2254
2013-14	132	142	280	500	1030	1810	508	532	1324	2364

2. वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान दिए गए विविध प्रशिक्षण का विवरण :

क्र.स.	प्रशिक्षण की प्रकृति	2014-15				2013-14			
		अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल	अधिकारी	पर्यवेक्षक	कर्मचारी	कुल
1.	**सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण**								
i)	3 दिन या उससे अधिक	423	561	1270	2254	508	532	1324	2364
ii)	3 दिनों से कम	304	112	200	616	323	70	162	555
2.	बाह्य प्रशिक्षण (भारत में)								
i.	**आईआईसीएस में :**								
i.a)	3 दिन या उससे अधिक	399	4	0	403	467	0	0	467
i.b)	सेमिनार/अल्पकालीन पाठ्यक्रम	31	0	0	31	27	0	0	27
ii.	**बाह्य कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएस के अलावा) :**								
ii.a)	अल्पकालीन	41	3	7	51	24	1	0	25
ii.a)	दीर्घकालीन	0	0	163	163	0	0	160	160
ii.c)	3 दिन या उससे अधिक	148	20	1	169	123	7	1	131
ii.d)	सर्वेक्षण में 6 हफ्तों का सघन पाठ्यक्रम (आईएसएम में)	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	**प्रशिक्षुगण :**								
	पीडीपीटी	0	57	0	57	0	56	0	56
4)	कंपनी के साथ सेमिनार/कार्यशाला	298	4	0	302	250	16	2	268
5)	बाह्य (विदेशों में)	31	0	0	31	17	0	0	17
	कुल	**1675**	**761**	**1671**	**4077**	**1745**	**682**	**1649**	**4076**

3. निपुण जनशक्ति के नियोजन के लिए संचालित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण :

क्रम सं	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या
1.	एमजीएमआई, कोलकाता के माध्यम से माइनिंग सरदारशिप परीक्षा हेतु विशेष कोचिंग कक्षाएं	30
2.	शॉवेल ऑपरेटर प्रशिक्षण	16
3.	डंपर ऑपरेटर प्रशिक्षण (सिमुलेटर प्रशिक्षण)	145
4.	इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण	30
	कुल	**221**

इसके अतिरिक्त, सरकारी आईटीआई, कन्यापुर, आसनसोल में 60 स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। माइनिंग सरदार की परीक्षा के लिए 358 विद्यार्थियों को भूमिगत प्रशिक्षण दिया गया। समाज के कमजोर तबके से आने वाले 77 बच्चों (30 लड़कियों और 47 लड़कों) को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया।

4. **एमओयू गतिविधियाँ :**

क्रम	प्रदर्शन संकेतक	माप की ईकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	13	26
2	पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	13	32
3	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	4	6
4	जोखिम प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	18	24

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण :

कंपनी द्वारा कोयला खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर लगातार नजर रखी जाती है एवं पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के नियमों एवं धाराओं के अनुसार वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, भू-अवनति, जंगलों की कटाई आदि पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं

वर्तमान में 93 खदानें पर्यावरण संबंधी मंजूरी के साथ हैं। 87 चालू खदानों को तो 2014-15 में पहली बार, 75 से 90 विभिन्न शर्तों के साथ, पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिली है जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

भूमि सुधार, खदानों के परिसमापन, बेहतर हवा, पानी एवं भूमि का प्रबंध, पर्यावरण, पुनर्वास तथा सीएसआर नीति के संबंध में लोगों को जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ ईसी की शर्तों में संशोधित क्षेत्र की बहुरूपता में भी बृद्धि हुई है। कार्बन और वाटर फुटप्रिंट्स में कमी, अर्जित कार्बन क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे पर्यावरण मानकों के विकसित अवधारणाओं ने भी हमें, स्टेकधारकों के आशानुसार, इस दिशा में कार्य करने को मोड़ा है। ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए ईसीएल सतत

विकास की अवधारणा एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा को अपनाने में पूर्णतः विश्वास करती है। इसी क्रम में हमने वर्षा-जल संग्रहण, सोलर पैनलों की स्थापना जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की है

2014-15 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ :

1. **पर्यावरण संबंधी मंजूरी :**

63.92 मिलियन टन प्रति वर्ष की ईसी क्षमता के साथ 93 खदानों के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हुई। 106 खदानों को शामिल करने वाले सभी 12 क्लस्टरों को ईएसी ने मंजूरी दे दी जिनमें से 10 क्लस्टरों के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी जारी की जा चुकी है तथा शेष 02 क्लस्टरों की मंजूरी प्रक्रियाधीन है। साथ ही, सिमलौंग ओसीपी के लिए भी पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत क्लस्टर योजना के अंतर्गत एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के साथ बेहतर पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु ईसीएल के पुराने खदानों को ईआईए अधिसूचना - 2006 की सीमा में लाने के लिए 2006 से ईसीएल द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों के कारण ही यह संभव हो पाया है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा एसपीसीबी के साथ बेहतर तालमेल तथा इससे हमारे प्रयासों को मिली सफलता के कारण ही संभव हो पाया है।

ईसीएल द्वारा किये गये प्रयासों तथा उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी की गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

2014-15 में पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रगति :

क्रम	2014-15 के दौरान गतिविधि	प्रस्तावों/क्लस्टरों की संख्या
1	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत नये प्रस्ताव	2
2	ईआईए/ईएमपी मसौदा तैयार किया गया	4
3	जन सुनवाई का सफल आयोजन	4
4	ईआईए/ईएमपी को अंतिम रूप दिया गया	9
5	ईआईए/ईएमपी को अंतिम रूप देकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया	9
6	ईएसी बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थिति रही	8
7	ईएफसीसी मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पर्यावरण संबंधी मंजूरी	11

2014-15 में स्वीकृत पर्यावरण संबंधी मंजूरी :

क्रम सं	प्रस्ताव का नाम	खदानों की संख्या	ईसी क्षमता (मिलियन टन)	ईसी स्वीकृति की तारीख
1	क्लस्टर संख्या 1	11	3.30	16.01.2015
2	क्लस्टर संख्या 2	3	0.45	16.01.2015
3	क्लस्टर संख्या 3	3	3.97	20.10.2014

क्रम सं	प्रस्ताव का नाम	खदानों की संख्या	ईसी क्षमता (मिलियन टन)	ईसी स्वीकृति की तारीख
4	क्लस्टर संख्या 5	2	0.63	22.09.2014
5	क्लस्टर संख्या 6	9	2.25	16.01.2015
6	क्लस्टर संख्या 7	4	0.74	16.01.2015
7	क्लस्टर संख्या 8	7	2.75	19.03.2015
8	क्लस्टर संख्या 9	15	8.00	23.01.2015
9	क्लस्टर संख्या 10	19	7.70	20.01.2015
10	क्लस्टर संख्या 12	19	31.83	09.02.2015
11	सिमलॉंग एक्सपैंसन ओसी	1	2.30	24.12.2015
	कुल	**93**	**63.92**	

2. वन विभाग की मंजूरी :

ईसीएल के वानिकी प्रस्तावों के क्रियान्वयन में भी इस वित्त वर्ष में भारी प्रगति देखी गयी. झांझरा भूमिगत खदान के पक्ष में90.30 हेक्टर जंगली भूमि के विपथन हेतु प्रथम चरण की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है जिससे झांझरा परियोजना में लॉन्गवाल पैनल की स्थापना कर इसके विस्तार में सहायता मिलेगी। पाइपलाइन में झांझरा भूमिगत खदान के पक्ष में 78.00 हेक्टर जंगली भूमि के विपथन हेतु प्रथम चरण की मंजूरी का अनुदान प्राप्त हुआ। ईएफसीसी मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार ऑनलाइन प्रारूप में कागजात प्रस्तुत करने के लिए तीन नये वानिकी प्रस्ताव आगे बढ़ाये गये।

2014-15 में वानिकी मंजूरी की प्रगति की एक झलक :

क्रम	स्थिति	प्रस्तावों/क्लस्टरों की संख्या
1	प्रथम चरण की मंजूरी दी गयी	1
2	प्रथम चरण की मंजूरी के लिए ईएफसीसी मंत्रालय को प्रस्ताव अग्रेषित किये गये	3
3	एफएसी बैठक में प्रस्तावों पर विचार किया गया	2
4	दूसरे चरण की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है	3
5	प्रथम चरण की मंजूरी के लिए नये प्रस्ताव आगे बढ़ाये गये	3

मंत्रिमंडल सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सीसीआई-परियोजना निगरानी समूह बैठक में पश्चिम बंगाल के वानिकी प्रस्तावों में तेजी लाने के संबंध में विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। राज्य के प्रस्तावों की जल्द मंजूरी में इन बैठकों से काफी मदद मिली।

3. आईएसओ प्रमाणीकरण :

2012-13 में ईसीएल में पहली बार दो परियोजनाओं (सोनपुर बजारी, राजमहल) के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। यह भी कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार है कि जब किसी परियोजना को पहली बार में ही आईएसओ9001, आईएसओ

14001, ओएचएसएएस 18001 के साथ प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। उक्त गुणवत्ता का मानक बनाए रखने, पर्यावरण एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए ईसीएल ने पूरी कंपनी के लिए आईएमएस प्रमाणीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया है। 16.07.2014 को ईसीएल के समस्त यूनिटों हेतु ₹ 82.94 लाख राशि के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली जिसमें सीएमपीडीआई को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ईसीएल के इतने विशाल कार्यक्षेत्र होने के बावजूद, लक्ष्य की जल्द से जल्द पूर्ति के लिए, सीएमपीडीआई के प्रस्तावों के अनुसार, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया टुकड़ों में न करके एक ही बार में पूर्ण रूप से आरंभ की गयी। 26.03.2015 को आईएमएस की सहायक पुस्तिकाएँ प्रकाश में आयीं।

4. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी :**

21-22 मार्च, 2015 को ईएफसीसी मंत्रालय द्वारा आयोजित इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इन कोल माइनिंग सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में द डेवेलपमेंट ऑफ रतिबाटी ओसीपी टू गुंजन ईकोलॉजिकल पार्क के संबंध में एक आलेख प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से ईसीएल के सुधारात्मक कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। इस आलेख के माध्यम से क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए ईसीएल तथा आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त प्रयासों को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। पार्क में आने वाले प्रवासी पक्षियों का आकर्षण इस पार्क की गरिमा को और बढ़ा रहा है तथा हमारे द्वारा किये गये प्रयासों की उच्चस्तरीय प्रशंसा हो रही है।

5. **सतत विकास पहल : वर्षा–जल संग्रहण :**

सतत विकास पहल के अंतर्गत वर्षा–जल संग्रहण हेतु हमारे निरंतर प्रयासों में सलानपुर, सतग्राम तथा सोनपुर बजारी क्षेत्रों में डैम और रूफटॉप वर्षा–जल संग्रहण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान पूरा किया गया।

निरंतर पर्यावरण कार्यक्रम :

1. **वनरोपण गतिविधि :**

वर्ष 2014-15 के दौरान, 50,000 पौधे लगाने के एमओयू लक्ष्य की जगह 35 हेक्टर भूमि में 66,500 पौधे लगाये गये। 2805.497 हेक्टर भूमि में राज्य वन विभाग के सहयोग से ईसीएल कमान क्षेत्र में 6.9913 मिलियन पौधे लगाये गये।

2. **शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम : विश्व पर्यावरण दिवस का अनुपालन :**

पर्यावरण ध्वजारोहण, शपथ ग्रहण तथा पौधरोपण करते हुए समूचे ईसीएल में 05 जून, 2014 को विश्व पर्यावरण दिवस का अनुपालन किया गया। इस दौरान 06, 07 तथा 09 जून, 2014 को अंत: कोलियरी/परियोजना/क्षेत्र प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। समस्त यूनिटों एवं क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए की जा रही पहल के संदर्भ में वार्षिक कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु विभिन्न जांच समितियों का गठन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, पिछले वर्ष की प्रतियोगिताओं के विजेता क्षेत्रों/कोलियरियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

3. **ईसीएल के क्षेत्रों में उद्धार और बहाली का काम :**

बेहतर उद्धार हेतु त्रिस्तरीय पौधरोपण एवं पारिस्थितिकी संतुलन की आवश्यकता है। इस हेतु मुगमा क्षेत्र में किया गया पौधरोपण का कार्य एक मिसाल है। इसी प्रकार से, हमने सोनपुर बजारी क्षेत्र में 10 हेक्टर भूमि के सुधार हेतु योजना बनायी है जहाँ पथरीले

अधिभार को त्रिस्तरीय पौधारोपण द्वारा एक घने हरे वन में परिवर्तित किया जायेगा।

एमओयू गतिविधियाँ :

क्रम	प्रदर्शन सूचक	माप ईकाई	वर्ष के लक्ष्य	प्राप्ति/उपलब्धि
1	जन सुनवाई के आयोजन हेतु टीओआर पर आधारित नॉर्थ सियारसोल ओसी का मसौदा ईआईए/ईएमपी डब्ल्यूएसपीसीबी के समक्ष प्रस्तुत करना	माह	जुलाई, 2014	पूरा हुआ। मसौदा ईआईए/ईएमपी 24.04.2014 को डब्ल्यूएसपीसीबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
2	पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए जन सुनवाई का आयोजन	माह	अक्तूबर, 2014	पूरा हुआ। 18.07.2014 को जन सुनवाई आयोजित हुई।
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ईएमपी की स्वीकृति	माह	जनवरी, 2015	पूरा हुआ। 12.09.2014 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।
4	पौधारोपण	पौधों की संख्या	45000	पूरा हुआ। 66500 पौधे लगाये गये।

अनुलग्नक – V

सीएसआर गतिविधियाँ 2014-15

कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय :

कार्यालय ज्ञापन संख्या सीआईएल : सीएसआर : 247 ए, दिनांक 19.12.2012 द्वारा संप्रेषित सीआईएल सीएसआर नीति को ही ईसीएल में स्वीकार किया गया है एवं उसका कार्यान्वयन किया गया। सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों को भी अपनाया गया। यह सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यापार बढ़ाने पर ज़ोर देती है; खास तौर पर 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहकर। यह सुनिश्चित करता है कि समाज का गरीब एवं पिछडे हिस्से को सतत विकास के पर्याप्त अवसर मिलते रहें। ईसीएल में निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्देश दिया गया।

1. पेय जल की सुविधा
2. शिक्षा
3. सौर प्रकाश पद्धति
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य
6. सामुदायिक केंद्रों, रात्रि विश्राम स्थलों, वृद्धाश्रमों के निर्माण/मरम्मत, सड़कों, रास्तों एवं पुलों के निर्माण जैसे आधारभूत विकासात्मक कार्य
7. खेलों की उन्नति
8. दक्षता विकास केंद्रों की स्थापना
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
10. सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को पूरा करना
11. शौचालयों का निर्माण।

सीएसआर समिति का गठन :

कंपनी के सीएसआर एवं सतत विकास के मामले के परिचालन के क्रम में द्विस्तरीय संरचना गठित की गयी, जिसमें अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली एक बोर्ड स्तर की समिति एवं महाप्रबंधक (कल्याण एवं सीएसआर) की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति शामिल है। इसका गठन डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2013 को ईसीएल की सीएसआर तथा सतत विकास की योजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु किया गया।

उपरोक्त के अलावा, सीएसआर गतिविधियों के समन्वय के लिए ईसीएल मुख्यालय में एक सीएसआर समिति का गठन किया गया जैसा कि सीआईएल सीएसआर नीति में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बहु-अनुशासनात्मक अधिशासियों की एक सीएसआर समिति का भी गठन किया गया।

पिछले तीन वित्त-वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ/कर पूर्व लाभ की २% राशि का निर्धारण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
कर पूर्व लाभ	962.13	1897.18	1299.28
कम : संपदा के विक्रय पर लाभ	1.32	0.80	1.63
धारा 135 के तहत लाभ	960.81	1896.38	1297.65
औसत शुद्ध लाभ		1384.95	
औसत शुद्ध लाभ का 2%		27.70	

अत: वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर बजट के रूप में पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% + 2013-14 में व्यय नहीं हो पायी राशि ₹ 10.20 करोड़; यानी कुल ₹ 37.90 करोड़ ₹ 27.70 करोड़ + ₹ 10.20 करोड़ तक सीमित रही।

निर्देशित सीएसआर व्यय :

ईसीएल द्वारा निधि निर्धारण कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति पर आधारित है जो औसत शुद्ध लाभ का 2% अथवा पिछले वर्ष हुए कोयला उत्पादन के ₹ 2/- प्रति टन के हिसाब से, जो अधिक हो, तय होता है। 2013-14 में कोयला उत्पादन 33.901 मिलियन टन था। अत: ₹ 2/- प्रति टन के हिसाब से सीएसआर राशि का निर्धारण ₹ 6.78 करोड़ होता जबकि औसत शुद्ध लाभ का 2% के हिसाब से यह राशि ₹ 27.70 करोड़ तय हुई। पिछले वर्ष कुल ₹ 10.20 करोड़ खर्च नहीं हो पाये थे; अत: इस वर्ष सीएसआर बजट की कुल राशि ₹ 37.90 करोड़ हो गयी।

वित्त-वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी राशि का विवरण :

क) वित्त-वर्ष 2014-15 के लिए कुल बजट - ₹ 37.90 करोड़

ख) खर्च नहीं की गयी राशि - ₹ 13.05 करोड़

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी वास्तविक राशि - ₹ 24.85 करोड़। सीएसआर गतिविधियों का विवरण **अनुलग्नक** ए में संलग्न किया गया है।

सीएसआर बजट में स्वीकृत राशि के खर्च न होने का कारण :

एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों तथा किये गये सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार ईसीएल को पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) तथा देवघर एवं साहिबगंज (झारखण्ड) जिलों में 1942 विद्यालयों में शौचालय निर्माण का कार्य सौंपा गया। हमने 30 जून, 2015 तक 1344 नये शौचालय बनाये तथा 2144 बेकार पड़े शौचालयों को उपयोग करने लायक बनवाया। इस प्रकार हमने कुल 3488 शौचालय तैयार करवाये। स्वच्छ भारत अभियान के साथ बजट को शौचालय निर्माण में परिवर्तित कर दिया गया। झारखण्ड राज्य में विधान सभा चुनाव के चलते आचार संहिता के लागू हो जाने के कारण इस प्रक्रिया में विलंब। अब कम से कम विलंब तथा सीएसआर व्यय को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए संसाधनों का पूर्ण उपयोग मुख्यालय तथा क्षेत्रों की सीएसआर समिति द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है।

एतद्द्वारा सीएसआर नीति के क्रियान्वयन तथा उसकी मॉनीटरिंग के लिए इस बात की पुष्टि की गयी कि ईसीएल में कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेखित कोल इंडिया लिमिटेड सीएसआर नीति तथा 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा हैं।

स्थान - सांकतोड़िया
दिनांक - 14 मई, 2015

(राकेश सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
अध्यक्ष सीएसआर एवं सतत विकास समिति

अनुलग्नक – ए

वृत्त वर्ष 2014-15 हेतु सीएसआर गतिविधि

क्रम	सीएसआर गतिविधि	क्षेत्र	लागत राशि (बजट) (₹ लाख में)	व्यय की गयी राशि (₹ लाख में)	31.03.2015 तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष रूप से या कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से खर्च की गयी राशि
1	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत हंसडीहा ग्राम में बोरवेल, सबमर्सिबल पंप, पंप हाउस, वाटर रिज़र्वर, महिला शौचालय का निर्माण	जलापूर्ति	5.48	5.48	5.48	कार्यकारी एजेंसी
2	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत बजारी ग्राम में बोरवेल, सबमर्सिबल पंप, पंप हाउस, वाटर रिज़र्वर, महिला शौचालय का निर्माण	जलापूर्ति	6.77	6.75	6.75	कार्यकारी एजेंसी
3	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत भालुका आसलेला ग्राम में बोरवेल, सबमर्सिबल पंप, पंप हाउस, वाटर रिज़र्वर, महिला शौचालय का निर्माण	जलापूर्ति	5.27	4.99	4.99	कार्यकारी एजेंसी
4	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर ग्राम में बोरवेल, सबमर्सिबल पंप, पंप हाउस, वाटर रिज़र्वर, महिला शौचालय का निर्माण	जलापूर्ति	5.34	5.14	5.14	कार्यकारी एजेंसी
5	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत बासक डाँगर ग्राम में बोरवेल, सबमर्सिबल पंप, पंप हाउस, वाटर रिज़र्वर, महिला शौचालय का निर्माण	जलापूर्ति	5.25	5.19	5.19	कार्यकारी एजेंसी
6	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर स्थित क्रिकेट अकादमी के लिए एक कमरे का निर्माण	अवसंरचना	2.37	2.53	2.53	कार्यकारी एजेंसी
7	सोनपुर बजारी क्षेत्र के अंतर्गत चिचुड़िया ग्राम स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण	अवसंरचना	10.21	10.21	10.21	कार्यकारी एजेंसी
8	सोनपुर बाजारी क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था	चिकित्सा	2.7	2.70	2.70	कार्यकारी एजेंसी

9	सोनपुर बाजारी में चिकित्सा शिविर की व्यवस्था	चिकित्सा	1.25	1.01	1.01	कार्यकारी एजेंसी
10	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	19.18	18.62	18.62	कार्यकारी एजेंसी
11	खांद्रा स्थित प्रतिबंधी कर्मकेन्द्र में कार्यक्रम	चिकित्सा	0.45	0.45	0.45	कार्यकारी एजेंसी
12	केन्दा क्षेत्र के अंतर्गत छोरा ग्राम में ओवरहेड शेड के साथ बर्निंग स्टेज का निर्माण	अवसंरचना	2.8	2.77	2.77	कार्यकारी एजेंसी
13	बर्निंग स्टेज का निर्माण	अवसंरचना	2.68	2.68	2.68	कार्यकारी एजेंसी
14	विकलांगों के लिए खेल-कूद की व्यवस्था	खेल-कूद	0.35	0.35	0.35	कार्यकारी एजेंसी
15	केन्दा क्षेत्र में चिकित्सा शिविर की व्यवस्था	चिकित्सा	0.52	0.52	0.52	कार्यकारी एजेंसी
16	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	14.95	12.33	12.33	कार्यकारी एजेंसी
17	नूनी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शिशु एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था	अवसंरचना	2.06	1.92	1.92	कार्यकारी एजेंसी
18	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	23.11	8.18	8.18	कार्यकारी एजेंसी
19	बलानपुर ग्राम स्थित बलानपुर प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण	अवसंरचना	3.59	3.58	3.58	कार्यकारी एजेंसी
20	रानीगंज एन एन बी रोड से महावीर कोलियरी तक सड़क का निर्माण	अवसंरचना	39.6	32.38	32.38	कार्यकारी एजेंसी
21	कब्रिस्तान से होते हुए नॉर्थसियारसोल रोड जंक्शन से काटागोड़ियाग्राम तक ठोस फुटपाथ का निर्माण	अवसंरचना	1.84	1.31	1.31	कार्यकारी एजेंसी

22	झनझा प्लेइंग ग्राउंड में बरामदे के साथ तीन कमरों का निर्माण	अवसंरचना	4.13	4.13	4.13	कार्यकारी एजेंसी
23	तपसी रेल गेट से तपसी ग्राम तक सड़क का निर्माण	अवसंरचना	34.32	31.07	31.07	कार्यकारी एजेंसी
24	धत्राडीह ग्राम में जल-आपूर्ति पाईप लाइन का नवीकरण	जलापूर्ति	5.8	5.71	5.71	कार्यकारी एजेंसी
25	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ATDC) के लिए सीएसआर बजट	कौशलता का विकास	24.53	10.26	10.26	कार्यकारी एजेंसी
26	कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में चिकित्सा शिविर	चिकित्सा	1	0.55	0.55	कार्यकारी एजेंसी
27	श्यामसुंदरपुर ग्राम स्थित फुटबाल ग्राउंड की चहारदीवारी का निर्माण	अवसंरचना	17.79	17.02	17.02	कार्यकारी एजेंसी
28	कुमारडिही ग्राम स्थित डिही पार्क एवं पीसीसी रोड सामने चहारदीवारी के निर्माण के साथ-साथ नाले का निर्माण	अवसंरचना	13.46	13.33	13.33	कार्यकारी एजेंसी
29	बंकोला क्षेत्र के अंतर्गत उखड़ा ग्राम के उखड़ा स्कूल फुटबाल मैदान में स्टेज पर आरआरसी रूफ एवं ग्रीन रूम का निर्माण	अवसंरचना	4.2	2.83	2.83	कार्यकारी एजेंसी
30	कुमारडिही एवं श्यामसुंदर ग्राम में कुमारडिही-ए कोलियरी से पाईप लाइन द्वारा स्थायी जलापूर्ति की व्यवस्था	अवसंरचना	0.77	0.74	0.74	कार्यकारी एजेंसी
31	विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम यंत्रों का वितरण	चिकित्सा	0.5	0.5	0.50	कार्यकारी एजेंसी
32	बंकोला क्षेत्र में चिकित्सा शिविर का आयोजन	चिकित्सा	1	0.69	0.69	कार्यकारी एजेंसी
33	तिलाबोनी ग्राम से मेन पाड़ा तक सड़क एवं एक बस स्टैंड का निर्माण	अवसंरचना	10.93	9.92	9.92	कार्यकारी एजेंसी
34	जामगुड़ा ग्राम में 4 हैंडपंपों का संस्थापन	जलापूर्ति	3.76	0.27	0.27	कार्यकारी एजेंसी
35	काली मंदिर से घोष पाड़ा तक 257 मीटर लंबे पीसीसी रोड एवं नाले का निर्माण	अवसंरचना	11.3	9.94	9.94	कार्यकारी एजेंसी

36	कल्दुडिही ग्राम में हाज़रा पाड़ा से शिव मंदिर तक रोड एवं नामू पाड़ा में ड्रेन (110 मीटर) का निर्माण	अवसंरचना	4.34	3.77	3.77	कार्यकारी एजेंसी
37	बालीजुड़ी मेन रोड से बागदी पाड़ा तक पीसीसी रोड का निर्माण एवं तालाब पर सड़क के नजदीक 80 मीटर तक दीवार निर्माण का कार्य	अवसंरचना	3.01	3	3.00	कार्यकारी एजेंसी
38	बाउरी पाड़ा से श्मशान घाट तक 700 मीटर पीसीसी सड़क एवं लाओदोहा ग्राम में दो पुलिया का निर्माण	अवसंरचना	20.79	18.29	18.29	कार्यकारी एजेंसी
39	नभागहन में दास पाड़ा से नेताजी संघ तक पीसीसी रोड का निर्माण	अवसंरचना	16.68	14.07	14.07	कार्यकारी एजेंसी
40	झांझरा क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर	चिकित्सा	1.59	1.59	1.59	कार्यकारी एजेंसी
41	झांझरा क्षेत्र में सामुदायिक विकास	सीडी	25.04	25.04	25.04	कार्यकारी एजेंसी
42	राजमहल क्षेत्र परिसर से पास के ग्रामों में वाटर टैंकर द्वारा पीने के पानी के वितरण का प्रस्ताव	जलापूर्ति	198.07	198.07	198.07	कार्यकारी एजेंसी
43	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत गुड़िया ग्राम में पीसीसी रोड का निर्माण	अवसंरचना	22.81	23.99	23.99	कार्यकारी एजेंसी
44	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत बालटेकरी ग्राम में पीसीसी रोड का निर्माण	अवसंरचना	23.72	22.16	22.16	कार्यकारी एजेंसी
45	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत गांधीनगर में पीसीसी रोड का निर्माण	अवसंरचना	23.68	23.42	23.42	कार्यकारी एजेंसी
46	झिरली ग्राम स्थित लालमटिया-पीरपैंती रोड पर पीसीसी रोड का निर्माण (1000 मीटर लंबा)	अवसंरचना	33.63	31.18	31.18	कार्यकारी एजेंसी
47	बल्लूपुर ग्राम में पंचायत भवन के निकट से ग्राम के अंतिम सिरे तक पीसीसी रोड का निर्माण कार्य (225 मीटर)	अवसंरचना	7.95	9.85	7.85	कार्यकारी एजेंसी
48	डोरमा ग्राम में प्राथमिक स्कूल से ग्राम के अंत सिरे की ओर पीसीसी रोड का निर्माण (1000 मीटर)	अवसंरचना	33.62	32.97	32.97	कार्यकारी एजेंसी

49	कुरकुटिया ग्राम का निर्माण प्राइमरी स्कूल होते हुए पुलिया से लालमटिया-महगामा रोड जंक्शन तक (400 मीटर)	अवसंरचना	13.16	12.34	12.34	कार्यकारी एजेंसी
50	हरकट्टा ग्राम में मांझी स्थान एवं आंगनवाड़ी केंद्र के निकट पीसीसी रोड का निर्माण (700 मीटर)	अवसंरचना	24.68	24.49	24.49	कार्यकारी एजेंसी
51	हेतबथा ग्राम के ओर से अंतिम छोर तक पीसीसी रोड का निर्माण	अवसंरचना	13.45	12.58	12.58	कार्यकारी एजेंसी
52	सिमरा मोड़ से छोटा सिमरा तक पीसीसी रोड का निर्माण	अवसंरचना	10.42	10.33	10.33	कार्यकारी एजेंसी
53	राजमहल एक्सपर्ट हॉस्टल के निकट वर्षा जल संग्रहण	जलापूर्ति	11.07	7.17	7.17	कार्यकारी एजेंसी
54	राजमहल क्षेत्र के ईश्वर मरान्डीहीनगर पुनर्वास स्थल में पुस्तकालय का निर्माण	अवसंरचना	15.74	11.49	11.49	कार्यकारी एजेंसी
55	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ATDC)	कौशल विकास	35.91	21.62	21.62	कार्यकारी एजेंसी
56	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ATDC)	कौशल विकास	17.8	9.4	9.40	कार्यकारी एजेंसी
57	राजमहल में चिकित्सा शिविर	चिकित्सा	3.48	3.25	3.25	कार्यकारी एजेंसी
58	केंदुआ में बालिका विद्यालय में शौचालय का निर्माण	अवसंरचना	2.04	1.69	1.69	कार्यकारी एजेंसी
59	महगामा स्थित बसुआ चौक में बस शेड के साथ दो मूत्रालय का निर्माण	अवसंरचना	2.59	1.52	1.52	कार्यकारी एजेंसी
60	2012-13 में तेतरिया ग्राम में बजरंगबली मंदिर के निकट पाईप लाईन सहित डीप बोरवेल सीएसआर का कार्य वर्ष	जलापूर्ति	4.52	3.83	3.83	कार्यकारी एजेंसी
61	10 विभिन्न ग्रामों में 15 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण	अवसंरचना	6.25	5.8	5.80	कार्यकारी एजेंसी
62	व्यवसायियों के लिए हवाई टिकट	विशेष	0.29	0.29	0.29	कार्यकारी एजेंसी
63	पुरुलिया जिले के सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छ भारत	465	465	465.00	कार्यकारी एजेंसी
64	देवघर जिले के सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छ भारत	500	500	500.00	कार्यकारी एजेंसी

65	साहेबगंज जिले के सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छ भारत	250	250	250.00	कार्यकारी एजेंसी
66	व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास आजीविका केंद्र (संभव फाउंडेशन)	कौशल विकास	21.66	10.83	10.83	कार्यकारी एजेंसी
67	सांकतोड़िया उपेन्द्रनाथ शिशु केंद्र में कक्ष-निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	अवसंरचना	3.81	1.9	1.90	कार्यकारी एजेंसी
68	ईसीएल के आसपास के अंचल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर आयोजित करवाने हेतु मोबाईल मेडिकल वैन को शामिल किया जाना	चिकित्सा	7	7	7.00	कार्यकारी एजेंसी
69	टीआईएसएस को भुगतान	विशेष	3.03	3.03	20.57	कार्यकारी एजेंसी
70	सीएसआर योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेकनोलॉजी (सीआईपीईटी), (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं रासायनिकखाद मंत्रालय, भारत सरकार), भुवनेश्वर द्वारा आवासीय नियोजन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	कौशल विकास	48.8	24.4	24.40	कार्यकारी एजेंसी
71	सालानपुर क्षेत्र में व्यक्ति विकास केंद्र (VVK),एक पंजीकृत चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आजीविका कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	कौशल विकास	15.52	7.713	7.71	कार्यकारी एजेंसी
72	कुल्टी नगरपालिका (वार्ड संख्या.2) के अंतर्गत कुलतोड़ा में कब्रिस्तान शेड भवन का निर्माण	अवसंरचना	12.72	6.36	6.36	कार्यकारी एजेंसी

73	सीतारामपुर रामकृष्ण शारदा संघ, मास्टर पाड़ा, (सीतारामपुर, बर्दवान) में दो कंप्यूटर कमरों का निर्माण	अवसंरचना	5.93	5.93	5.93	कार्यकारी एजेंसी
74	आई.आई.टी., खड़गपुर द्वारा जैविकखेती, शिक्षा एवं उद्यान के माध्यम से आर्थिक विकास एवं पोषण स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु सामुदायिक भागीदारी मॉडल परियोजना का प्रस्ताव	कौशल विकास	49.6	19.84	19.84	कार्यकारी एजेंसी
75	आसनसोल विवेकानंद मठ के स्कूल सेंटर, बारापुकरिया में स्टूडेंट्स होम का निर्माण	अवसंरचना	14.06	14.06	14.06	कार्यकारी एजेंसी
76	ईसीएल के आसपास के अंचल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर आयोजित करवाने हेतु मोबाईल मेडिकल वैन को शामिल किया जाना, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्था	चिकित्सा	21.15	21.15	21.15	कार्यकारी एजेंसी
77	ईसीएल के आसपास के अंचल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर आयोजित करवाने हेतु मोबाईल मेडिकल वैन को शामिल किया जाना, वोकहार्ड्स फाउंडेशन	चिकित्सा	21.15	21.15	21.15	कार्यकारी एजेंसी
78	एमएलआईएनडीए फाउंडेशन द्वारा पुरुलिया जिले में सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम का आयोजन	सौर ऊर्जा	24.7	24.7	24.70	कार्यकारी एजेंसी
79	हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	0.528	0.528	0.53	कार्यकारी एजेंसी
80	भुवनेश्वर में ग्लोबल गांधियन ट्रस्टशिपएंड कॉरपोरेटरेस्पोंसिबिलिटी फाउंडेशन द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व पर एडवांस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग वर्कशाप हेतु नामांकन शुल्क का भुगतान	कौशल विकास	0.2	0.2	0.20	कार्यकारी एजेंसी

81	7 से 9 मार्च, 2014 के दौरान मुंबई में एसआर/एसडी पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला में उपस्थिति के लिए स्थानीय आवागमन हेतु टैक्सी किराये का भुगतान	विशेष	0.06	0.06	0.06	कार्यकारी एजेंसी
82	आसनसोल स्थित पुनर्दृष्टि आई एंड जेनेरल हॉस्पिटल (आसनसोल प्रीवेन्शन ऑफ ब्लाईंडनेस सोसाइटी की एक इकाई) के और अधिक विकास के लिए वित्तीय सहायता	अवसंरचना	15.9	15.9	15.90	कार्यकारी एजेंसी
83	परियोजना प्रभावित/निर्धन एवं ज़रूरतमन्द व्यक्तियों के लिए आय बढ़ाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम,आईटीआई, कल्यापुर	कौशल विकास	6	3	3.00	कार्यकारी एजेंसी
84	कुल्टी नगरपालिका के अंतर्गत 10 ग्रामों में 60 सोलर लाइट्स का वितरण	सौर ऊर्जा	5.56	5.56	5.56	कार्यकारी एजेंसी
85	रामकृष्ण आश्रम विद्यापीठ में कक्षाओं का निर्माण	अवसंरचना	2.75	2.75	2.75	कार्यकारी एजेंसी
86	भाड़े की एंबुलेंस का किराया	चिकित्सा	3.99	3.72	3.72	कार्यकारी एजेंसी
87	कंप्यूटर प्रशिक्षण	विशेष	0.16	0.16	0.16	कार्यकारी एजेंसी
88	विद्यालयों में स्वच्छ विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम	स्वच्छ विद्यालय	0.34	0.34	0.34	कार्यकारी एजेंसी
89	पुणे में सीएसआर पर कार्यशाला	कौशल विकास	0.19	0.19	0.19	कार्यकारी एजेंसी
90	बर्दवान जिला टीटी एसोसिएशन	खेल-कूद	0.15	0.15	0.15	कार्यकारी एजेंसी
91	विविध खर्च	विशेष	0.05	0.05	0.05	कार्यकारी एजेंसी
92	सामुदायिक विकास	सीडी	7.35	7.35	7.35	कार्यकारी एजेंसी
93	रामकृष्ण आश्रम विद्यापीठ के लिए कक्षाओं का निर्माण	अवसंरचना	5.49	(-)5.49	(5.49)	कार्यकारी एजेंसी
94	सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत सैंड बंकर से भारा हाई स्कूल तक सड़क का विस्तार	अवसंरचना	18.51	17.51	17.51	कार्यकारी एजेंसी
95	सतग्राम क्षेत्र की जेमेरी कोलियरी में सामुदायिक भवन का निर्माण	अवसंरचना	1.26	1.23	1.23	कार्यकारी एजेंसी
96	सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत बिरला ग्राम (चासापाड़ा) में नए तालाब घाट का निर्माण	अवसंरचना	1	0.99	0.99	कार्यकारी एजेंसी

97	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	14.4	9.25	9.25	कार्यकारी एजेंसी
98	बेलियादाङ्गा ग्राम में ऑफिसर्स कॉलोनी से बंकर तक तथा बंकर से तालाब तक पाईपलाईन बैठाने का कार्य	जलापूर्ति	8	7.47	7.47	कार्यकारी एजेंसी
99	सतग्राम क्षेत्र में चिकित्सा शिविर	चिकित्सा	1	0.35	0.35	कार्यकारी एजेंसी
100	खोट्टाडीह ओसीपी के अंतर्गत खोट्टाडीह ग्राम में कुल 8 स्नान घाटों (प्रत्येक घाट पर 2, कुल 4 तालाबों पर)	अवसंरचना	3.5	3.46	3.46	कार्यकारी एजेंसी
101	खोट्टाडीह ग्राम में स्थित चार फुटबॉल मैदानों में कुल आठ शेडों का निर्माण	अवसंरचना	7.46	7.42	7.42	कार्यकारी एजेंसी
102	खोट्टाडीह के अंतर्गत खोट्टाडीह ग्राम में श्याम स्मृति विद्यामन्दिर प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर चहारदीवारी तथा गेट का निर्माण	अवसंरचना	3.24	3.24	3.24	कार्यकारी एजेंसी
103	पांडवेश्वर गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए अजय नदी से खोट्टाडीह ग्राम तक पाइपलाइन बिछाना	जलापूर्ति	14.99	12.21	12.21	कार्यकारी एजेंसी
104	पांडवेश्वर के पाँडवास्थान में विश्राम गृह एवं सड़क का निर्माण	अवसंरचना	7.99	7.96	7.96	कार्यकारी एजेंसी
105	पांडवेश्वर क्षेत्र में चिकित्सा शिविर	चिकित्सा	1.08	1.08	1.08	कार्यकारी एजेंसी
106	सीएसआर की विभिन्न गतिविधियाँ	अवसंरचना	2.79	2.79	2.79	कार्यकारी एजेंसी
107	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	16.78	16.14	16.14	कार्यकारी एजेंसी
108	श्रीपुर क्षेत्र में चिकित्सा शिविर	चिकित्सा	0.4	0.4	0.40	कार्यकारी एजेंसी
109	धामना-चिकनिया ग्राम में एस पी माइन्स क्षेत्र द्वारा पीसीसी रोड की व्यवस्था	अवसंरचना	5.46	5.4	5.40	कार्यकारी एजेंसी

110	एस पी माइन्स क्षेत्र द्वारा दमगाढ़ रोड से यादव टोला एवं कोल टोला तक पीसीसी रोड (500 मीटर) का निर्माण	अवसंरचना	9.1	9.1	9.10	कार्यकारी एजेंसी
111	एस पी माइन्स क्षेत्र द्वारा चितरा में हरिजन टोला से सोना पोखरा तालाब तक पीसीसी रोड (450 मीटर) का निर्माण	अवसंरचना	8.2	7.75	7.75	कार्यकारी एजेंसी
112	एस पी माइन्स क्षेत्र द्वारा निकटवर्ती ग्रामों में 31 हैंड पंप लगवाने का कार्य	जलापूर्ति	20.76	20.76	20.76	कार्यकारी एजेंसी
113	एस.पी.माइन्सक्षेत्र में चिकित्सा शिविर	चिकित्सा	4.08	4.08	4.08	कार्यकारी एजेंसी
114	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था।	अवसंरचना	12.4	7.67	7.67	कार्यकारी एजेंसी
115	काजोड़ा ग्राम आईसीडीएस सेंटर के निकट रूईदास पाड़ा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	अवसंरचना	1.12	1.3	1.30	कार्यकारी एजेंसी
116	दक्षिणखंड के मुणधीपाड़ा प्राथमिक विद्यालय में पानी की टंकी का निर्माण कार्य	जलापूर्ति	0.74	0.72	0.72	कार्यकारी एजेंसी
117	झारी बांध के गोझाला श्मशान में शेड एवं मेसोनरी घाट का निर्माण	अवसंरचना	2.33	2.65	2.65	कार्यकारी एजेंसी
118	दक्षिन्दा के कोदमो श्मशान में बर्निंग शेड एवं मेसोनरी घाट का निर्माण	अवसंरचना	2.76	2.27	2.27	कार्यकारी एजेंसी
119	दक्षिणखंड के डीएसए क्लब के निकट सामुदायिक शौचालय का निर्माण	अवसंरचना	1.34	1.28	1.28	कार्यकारी एजेंसी
120	काजोड़ा ग्राम के आईसीडीएस सेंटर के निकट रूईदास पाड़ा में कुएं का निर्माण	जलापूर्ति	1.12	1.07	1.07	कार्यकारी एजेंसी
121	काजोड़ा ग्राम के हाई स्कूल के निकट काजोड़ा बाजार में बस स्टैंड शेड का निर्माण	अवसंरचना	1.03	1.01	1.01	कार्यकारी एजेंसी
122	परासकोल ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	अवसंरचना	2.2	2.2	2.20	कार्यकारी एजेंसी
123	सामुदायिक भवन का निर्माण	अवसंरचना	0.06	0.06	0.06	कार्यकारी एजेंसी

124	काजोड़ा क्षेत्र में चिकित्सा गतिविधि	चिकित्सा	3.8	3.8	3.80	कार्यकारी एजेंसी
125	भामुरिया कोलियरी के निकट अलकुशा एसटी ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	अवसंरचना	7.05	7.05	7.05	कार्यकारी एजेंसी
126	धर्मस्थान के निकट भामुरिया बाउरी पाड़ा में सामुदायिक भवन का निर्माण	अवसंरचना	7.2	7.2	7.20	कार्यकारी एजेंसी
127	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	10.4	8.72	8.72	कार्यकारी एजेंसी
128	सोदपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिठानी ग्राम में ठोस सीमेंट रोड का निर्माण (मिठानी ग्राम के डोमपाड़ा एवं केवटपाड़ा के बीच तथा मिठानी ग्राम गार्ड वाल को ऊँचा करने का कार्य)	अवसंरचना	5.46	5.19	5.19	कार्यकारी एजेंसी
129	सोदपुर क्षेत्र के अंतर्गत पारबेलिया ग्रुप के हिजुली ग्राम में जलापूर्ति योजना	जलापूर्ति	23.5	9.14	9.14	कार्यकारी एजेंसी
130	मोबाइल मेडिकल वैन का किराया	चिकित्सा	1.89	1.89	1.89	कार्यकारी एजेंसी
131	विश्व मधुमेह दिवस	चिकित्सा	0.02	0.02	0.02	कार्यकारी एजेंसी
132	विश्व एड्स दिवस	चिकित्सा	0.06	0.06	0.06	कार्यकारी एजेंसी
133	बेबी शो डे	चिकित्सा	0.21	0.21	0.21	कार्यकारी एजेंसी
134	अंडकोष-वृद्धि औषधि वितरण शिविर	चिकित्सा	0.12	0.12	0.12	कार्यकारी एजेंसी
135	विकलांग व्यक्तियों को अनुदान देने हेतु बिधान चंद्र प्रतिबंधी कर्म केंद्र	चिकित्सा	10.29	10.29	10.29	कार्यकारी एजेंसी
136	शिवडांगा ग्राम में मंदमन कोलियरी बीटी पंप से पाईपलाईन बिछाकर जलापूर्ति	जलापूर्ति	8.04	4.7	4.70	कार्यकारी एजेंसी
137	चापापुर कोलियरी के निकट आमडंगाल ग्राम में पी/एफ.जी.आई. पाईपलाईन द्वारा जलापूर्ति	जलापूर्ति	3.11	2.97	2.97	कार्यकारी एजेंसी
138	हरियाजाम कोलियरी के निकट रामकनाली ग्राम में पी/एफ.जी.आई. पाईपलाईन द्वारा जलापूर्ति	जलापूर्ति	4.11	3.37	3.37	कार्यकारी एजेंसी

139	हरियाजाम कोलियरी के निकट कुड़ुका ग्राम में पी/एफ जी.आई. पाईपलाईन द्वारा जलापूर्ति	जलापूर्ति	7.78	6.99	6.99	कार्यकारी एजेंसी
140	मंदमन कोलियरी के निकट मुगमा मोड़ बैरक से मुचिपाड़ा एवं कालीमाटी कालोनी तक पी/एफ जी.आई. पाईपलाईन द्वारा जलापूर्ति	जलापूर्ति	5.36	3.74	3.74	कार्यकारी एजेंसी
141	हरियाजाम कोलियरी के निकट पांडरा ग्राम में विभिन्न स्थानों पर पी/एफ जी.आई. पाईपलाईन द्वारा जलापूर्ति	जलापूर्ति	11.67	10.73	10.73	कार्यकारी एजेंसी
142	चिरकुंडा के बेकेआर उच्च विद्यालय और गिन्नी देवी बालिका उच्च विद्यालय में खेलने के मैदान का विकासतथाचहारदीवारी कोऊँचा करने के साथ-साथड्रेनेज पद्धति को विकसित करना	अवसंरचना	9.4	8.44	8.44	कार्यकारी एजेंसी
143	डांगापाड़ा गाँव से ससनबेरिया पंचायत कार्यालय तक पी/एल जीआई पाइपलाइन	जलापूर्ति	13.63	11.58	11.58	कार्यकारी एजेंसी
144	चापापुर कोलियरी के निकट रामकनाली गाँव में जलापूर्ति के लिए पी/एफ जी.आई. पाइपलाइन	जलापूर्ति	1.60	1.36	1.36	कार्यकारी एजेंसी
145	ईसीएल के कोयलांचल एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शुद्धीकरण प्रावधानों सहित पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था	अवसंरचना	16.78	16.62	16.62	कार्यकारी एजेंसी
146	मुगमा क्षेत्र में स्वास्थ्य जाँच शिविर	चिकित्सा	0.14	0.14	0.14	कार्यकारी एजेंसी
147	दिल्ली में आयोजित सीएसआर से संबंधित सेमिनार में उपस्थिति हेतु टीए/डीए भुगतान	विशेष	0.22	0.22	0.22	कार्यकारी एजेंसी
	कुल व्यय				2,485.69	

अनुलग्नक – VI

कंपनी अधिशासन पर रिपोर्ट

1) **विचारधारा/दर्शन :**

कंपनी अधिशासन को ऐसी पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सभी स्टेकधारकों के हित में कार्य करती है। ईसीएल को यह दृढ़ विश्वास है कि कंपनी अधिशासन एक संस्कृति है जिसके अंतर्गत एक संस्था विकसित एवं पल्लवित होती है। इस दौरान कंपनी अपने मूल्यों तथा उन उपायों का इस्तेमाल करती है जिसके द्वारा यह लोकहित तथा अपने स्टेकधारकों की आशाओं को पूरा करती है। ईसीएल में, यह नियमों एवं नैतिक मानकों के अनुपालन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार निवेश है जो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे व्यापार को बनाए रखने के लिए भी बेहद आवश्यक है।

पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा अच्छे कंपनी अधिशासन के मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कंपनी अधिशासन नागरिक की तरह आपकी कंपनी अधिशासन के उच्चतम मानकों के अनुपालन में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को उचित सूचना मुहैया करवाती है।

(2) **निदेशक मंडल :**

(क) **बोर्ड का गठन :**

हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी है क्योंकि कोल इंडिया के पास संपूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी मौजूद है। संघ के अनुच्छेदों के मुताबिक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के तहत हमारे बोर्ड में 02 से कम एवं 15 से ज्यादा संख्या में निदेशक नहीं रहेंगे। ये निदेशकगण पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक या अंशकालिक हो सकते हैं। निदेशकों को अंशधारी रहना जरूरी नहीं है।

31 मार्च, 2015 को बोर्ड में 06 निदेशकगण थे, जिसमें से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत 04 पूर्णकालिक निदेशक हैं।

बोर्ड के निदेशकों के पास व्यापक अनुभव एवं दक्षता मौजूद है।

निदेशकगण :

2014-15 के दौरान, श्री राकेश सिन्हा कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे। 2014-15 के दौरान श्री ए. चटर्जी (28.02.2015 तक), श्री बी. पेद्दन्ना, श्री के. के. गौतम (28.02.2015 तक), श्री सुब्रत चौधरी (23.06.2014 तक), श्री एस. के. मोहंती (23.06.2014 तक), श्री एस.एम लोढ़ा (23.06.2014 तक), श्री एस.एम. शर्मा (08.09.2014 तक), श्री एन. चक्रवर्ती, श्री सी. के. दे (28.02.2015 तक), श्री रमेश चंद्र (30.06.2014 तक), श्री के. एस. पात्र (01.11.2013 से)तथा श्री बी आर रेड्डी (30.09.2014 से) निदेशकों के रूप में निदेशक मंडली में शामिल थे। श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड को 19.03.2015 से ईसीएल बोर्ड के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही, श्री ए के गुप्ता, मुख्य संचालन प्रबंधक, पूर्व रेलवे को 14.08.2014 से ईसीएल बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकगणों का संक्षिप्त जीवनवृत्त अनुलग्नक बी में संलग्न है।

सेवा करार :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की अवधि एवं शर्तों का निर्णय कंपनी के संस्था के अनुच्छेदों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बीआईएफआर ने ईसीएल बोर्ड में एक विशेष निदेशक की नियुक्ति की है तथा उनकी सेवा शर्तें बीआईएफआर द्वारा तय होता हैं। गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की सेवा-शर्तें कोयला मंत्रालय द्वारा तय की जाती है।

(ख) बोर्ड की बैठक :

निदेशक मंडल की बैठकें निदेशकों की सुविधा के लिए सामान्यतः सांकतोड़िया/कोलकाता में होती है। निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठक के लिए कंपनी के पास स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है ताकि सुविधा एवं कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो।

31 मार्च 2014 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 08 बैठकें हुई जबकि न्यूनतम आवश्यकता 4 बैठकें थी। बोर्ड बैठकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है–

दिनांक	निदेशक मंडल							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थित	क्षमता	उपस्थित	क्षमता	उपस्थित	क्षमता	उपस्थित
24.05.2014	5	5	2	1	5	3	12	9
11.07.2014	4	4	2	2	2	2	8	8
28.07.2014	4	4	2	2	2	2	8	8
12.09.2014	4	4	2	2	1	1	7	7
02.11.2014	5	5	2	1	1	1	8	7
06.12.2014	5	5	2	2	1	-	8	7
25.12.2014	5	5	2	2	1	1	8	8
27.01.2015	5	5	2	2	1	-	8	7
25.02.2015	5	4	2	1	1	1	8	6

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लिए गए बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	निदेशकगण	बोर्ड बैठक		डायरेक्टरशिप की संख्या
		अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	उपस्थिति	
	कार्यकारी निदेशकगण			
1.	श्री राकेश सिन्हा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	9	9	शून्य
2.	श्री एस. चक्रबर्ती निदेशक (तकनीकी) संचालन	9	8	शून्य

क्रम संख्या	निदेशकगण	बोर्ड बैठक		अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या
		अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	उपस्थिति	
3.	श्री सी. के. दे निदेशक (वित्त) (28.02.2015 तक)	9	9	शून्य
4.	श्री रमेश चंद्र निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना(30.06.2014 तक)	1	1	शून्य
5.	श्री के एस पात्र निदेशक (कार्मिक)	9	9	शून्य
6.	श्री बी आर रेड्डी निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (30.09.2015 से)	5	5	शून्य
	अंशकालिक सरकारी निदेशक :			
7.	श्री बी. पेद्दा निदेशक, कोयला मंत्रालय	9	7	शून्य
8.	श्री ए. चटर्जी निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (28.02.2015 तक)	9	8	2
9.	श्री सी. के. दे निदेशक (वित्त),कोल इंडिया लिमिटेड (19.03.2015 से)	-	-	2
	बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक			
10.	श्री के. के. गौतम (28.02.2015 तक)	9	7	शून्य
	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :			
11.	श्री सुव्रत चौधरी(23.06.2015 तक)	1	-	शून्य
12.	श्री एल. के. मोहंती(23.06.2014 तक)	1	-	शून्य
13.	श्री एस. एम. लोढ़ा(23.06.2014 तक)	1	1	6
14.	श्रीएस. एम. शर्मा(08.09.2014 तक)	3	3	शून्य

ग) निदेशकों का पारिश्रमिक :

i) कार्यकारी निदेशकगण :

नाम	पदनाम	2014-15 के लिए पारिश्रमिक (राशि ₹ में)		
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व (वेतन, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी इत्यादि)	अन्य लाभ	कुल
श्री राकेश सिन्हा	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक	2623068.00	59237.00	2682305.00
श्री एस. चक्रवर्ती	निदेशक (तकनीकी) संचालन	2329031.00	87746.00	2416777.00
श्री सी. के. डे	निदेशक (वित्त) (28.02.15 से)	2519248.00	208395.00	2727643.00
श्री रमेश चन्द्र	निदेशक (तक.) योजना एवं परि. (30.06.2014 तक)	968005.00	157802.00	1125807.00
श्री के. एस. पात्र	निदेशक (कार्मिक)	2261248.00	254693.00	2515941.00
श्री बी आर रेड्डी	निदेशक (तकनीकी) यो एवं परि (30.09.2014 से)	1,183,103.00	20,375.00	1,203,478.00

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण :

अंशकालिक सरकारी निदेशकगण को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

ii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकगण :

सीटिंग शुल्क को छोड़कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बोर्ड / समिति की बैठक में सीटिंग शुल्क का विवरण निम्नलिखित है -

क.सं.	निदेशकों का नाम	कुल सीटिंग शुल्क (भुगतान की गई) (₹)
1.	श्री के. के. गौतम	1,70,000
2.	श्री सुव्रत चौधरी	10,000
3.	श्रीएस. के. मोहंती	10,000
4.	श्री एस. एम. लोढ़ा	20,000
6.	श्री एस. एम. शर्मा	60,000
	कुल	**2,70,000**

3. बोर्ड समिति :

क) लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की संरचना, कार्यविधि, शक्तियाँ एवं भूमिका/कार्यों को कंपनी अधिनियम का पालन करना होता है।

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र :

लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना एवं इसके वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के नियतन को बोर्ड के पास सिफारिश करना।
3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के शुल्क के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।
4. स्वीकृति हेतु बोर्ड के पास जमा करने, पहले लागू नियमों के साथ अनुपालन के वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा एवं सुनिश्चित करना कि :

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के खंड (2एए) की शर्तों में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण में शामिल होने वाले मामले ;

ख) लेखांकन नीतियों एवं पद्धति में कोई बदलाव, यदि हो ;

ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने पर आधारित आकलन जो बड़े लेखांकन प्रविष्टियों में शामिल है ;

घ) लेखा परीक्षा तथ्यों से प्राप्त वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन ;

ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक जरूरत के साथ अनुपालन ;

च) किसी पार्टी लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण ;

छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में योग्यता।

ज) वित्तीय दशा का विश्लेषण तथा प्रबंधन चर्चा एवं संचालन का परिणाम।

5. स्वीकृति हेतु बोर्ड में जमा करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा।
6. प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य का पर्याप्तता की समीक्षा यदि कोई हो जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की रचना, स्टाफिंग एवं स्टाफ की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग, कवरेज एवं बारंबारता तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/निष्कासन से संबंधित सूचना।
8. किसी महत्वपूर्ण तथ्य का आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा उन मामलों का आंतरिक अनुसंधान जहाँ किसी धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के फेल होने के तथ्य की समीक्षा तथा बोर्ड को रिपोर्ट करना।
10. लेखा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं स्कोप साथ ही लेखा परीक्षा पश्चात चर्चा के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर होल्डरों, अंशधारियों (घोषित डिविडेंड भुगतान नहीं होने पर) एवं ऋणदाताओं के भुगतान के व्यापक गड़बड़ी के कारणों को देखना।

12. व्हीसल ब्लोवर मेकानिज्म के कार्य करने के ढंग की समीक्षा करना।

13. 'सी एण्ड ए जी' लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

14. अपेक्षित सूचना के निर्धारण या गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध समेत लेखा कार्य के दौरान कोई असुविधा, संघर्ष।

15. संसदीय लोक उद्यम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

संयोजन :

लेखा परीक्षा समिति में 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक नामतः श्री वी पेदन्ना एवं श्री ए चटर्जी (28.02.2015 तक), 04 (चार) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नामतः सर्वश्री एस चौधरी (23.06.2014 तक), एस. के. मोहंती (23.06.2014 तक), एस. एम. लोढ़ा (23.06.2014 तक) एवं एस. एम. शर्मा (08.09.2014 तक), 01 (एक) विशेष निदेशक, बीआईएफआर नामतः श्री के. के. गौतम (28.02.2015 तक) एवं 02 (दो) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन तथा श्री के. एस. पात्र, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल (25.02.2015 से प्रभावी) शामिल हैं।

श्री एस. एम. शर्मा, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक ने दिनांक 24.05.2014 तथा 28.07.2014 को आयोजित पहली दो लेखा समिति की बैठकों (63वीं एवं 64वीं बैठक) में अध्यक्षता की तथा शेष बैठकों के अध्यक्ष अंशकालीन सरकारी निदेशक श्री वी पेदन्ना रहे।
निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त)/विभागीय प्रधान (आंतरिक लेखापरीक्षा) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 06 (छह) बैठकें हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

दिनांक	सदस्य मंडल							
	कार्यकारी		अंशकालिक सरकारी		अंशकालिक गैर सरकारी		कुल	
	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति	क्षमता	उपस्थिति
24.04.2014/ 24.05.2014	1	1	2	1	5	5	8	7
28.07.2014	1	1	2	2	2	2	5	5
12.09.2014	1	1	2	2	1	1	4	4
01.11.2014	1	1	2	2	1	1	4	4
06.12.2014	1	1	2	2	1	-	4	3
27.01.2014	1	1	2	2	1	-	4	3

लेखा परीक्षा समिति की उपस्थिति :

प्रत्येक सदस्यों द्वारा भाग लिए गए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है –

क्र.स.	सदस्य	सदस्यों के अवधि के दौरान सम्पन्न बैठक	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	श्रीएस. एम. शर्मा (08.09.2014 तक)	2	2
2.	श्री वी. पेद्दन्ना	6	5
3.	श्री ए. चटर्जी (28.02.2015 तक)	6	6
4.	श्री के. के. गौतम (28.02.2015 तक)	6	4
5.	श्रीएस. के. मोहंती (23.06.2014 तक)	1	1
6.	श्रीएस. एम. लोढ़ा (23.06.2014 तक)	1	1
7.	श्रीएस. चौधरी (23.06.2014 तक)	1	1
8.	श्रीएस. चक्रवर्ती	6	6
9.	श्री के. एस. पात्र (25.06.2015 से)	-	-

ख) परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु समिति

बोर्ड की 246 वीं बैठक में परियोनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का गठन हुआ। परियोनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु समिति का पुनर्गठन श्रीबी. आर. रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना, ईसीएल को शामिल कराते हुए 02.11.2014 को किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान परियोजनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति के लिए 19.05.2014, 28.07.2014, 12.09.2014, 01.11.2014, 06.12.2014 तथा 25.12.2014 को समिति की 06 (छह) बैठकें हुई।

श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल वित्त-वर्ष 2014-15 की पहली बैठक (परियोनाओं के मूल्य निरूपण, मूल्यांकन तथा स्वीकृति पर 19.05.2014 को आयोजित ईसीएल बोर्ड की उप-समिति की 13वीं बैठक) के अध्यक्ष थे। 2014-15 में आयोजित शेष सभी बैठकों में श्री वी पेद्दन्ना, निदेशक, कोयला मंत्रालय ने अध्यक्षता की। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.स.	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बैठकों में उपस्थित की संख्या
1	श्री सुब्रत चौधरी (23.06.2014 तक)	1	-
2	श्री वी. पेद्दन्ना	6	5
3	श्री के. के. गौतम (28.02.2015 तक)	6	4
4	श्रीएस. एम. लोढ़ा (23.06.2014 तक)	1	-
5	श्री एस. चक्रवर्ती	6	6
6	श्री सी के दे (28.06.2015 तक)	6	5
7	श्री रमेश चंद्र (30.06.2014 तक)	1	1
8	श्रीबी. आर. रेड्डी (02.11.2014 तक)	2	2

ग) सीएसआर तथा सतत विकास पर समिति

ईसीएल बोर्ड की 261वीं बैठक में सीएसआर एवं सतत विकास पर एक समिति का गठन किया। समिति का पुनर्गठन 02.11.2014 को श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल (28.02.2015 तक) एवं श्री बी आर रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) योजना एवं

परियोजना को शामिल कर किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री राकेश सिन्हा थे। वर्ष 2014-15 के दौरान, सीएसआर एवं सतत विकास पर समिति की दो (02) बैठकें 11.07.2014 तथा 02.11.2014 को हुईं। बैठक के सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.स.	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री राकेश सिन्हा	2	2
2.	श्री वी. पेद्दा	2	2
3.	श्री के. के. गौतम (28.02.2015 तक)	2	2
4.	श्री सुब्रत चौधरी (23.06.2014 तक)	-	-
5.	श्री एस. के. मोहंती (23.06.2014 तक)	-	-
6.	श्री एस. एन. शर्मा (08.09.2014 तक)	1	1
7.	श्री एल. चक्रवर्ती	2	2
8.	श्री रमेश चन्द्र (30.06.2014 से)	-	-
9.	श्री के. एस. पात्र	2	2
10.	श्री सी. के. दे (02.11.2014 से 28.02.2015 तक)	-	-
11.	श्री बी. आर. रेड्डी (02.11.2014 से)	-	-

वैधानिक लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी लेखा की लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निम्नलिखित चार्टर्ड लेखा परीक्षक, फर्म का विवरण निम्नलिखित है :

वैधानिक लेखा परीक्षक :

1. मेसर्स एम चौधरी एंड कंपनी, 162, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068

शाखा लेखा परीक्षक :

2. मेसर्स यू.एस साहा एंड कंपनी, 228 कमलालय सेंटर, द्वितीय तल, 156 ए लेनिन सरणी, कोलकाता-7000013
3. मेसर्स आर पी बूबना एंड कंपनी, कल्याणी एस्टेट, 209 ए जे सी बोस रोड, द्वितीय तल, कमरा सं 87, कोलकाता - 700017
4. मेसर्स एल. बी. झा एंड कंपनी, जीएफ-1, गिलेंडर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001
5. मेसर्स यू.एस. साहा एंड कंपनी, 35, बाहिर सर्बमंगला रोड, बर्द्धमान-713101
6. मेसर्स रॉय घोष एंड एसोसिएट, 39, कालना रोड, बदामतला, बर्द्धमान-713401

वार्षिक सामान्य बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी के अंशधारियों को वार्षिक सामान्य बैठक का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	दिनांक तथा समय	स्थान	उपस्थिति	विशेष प्रस्ताव यदि कोई
2011-12	21.5.2012 11.00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री बी भट्टाचार्या, वरिष्ठ प्रबंधक(वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक(कार्मिक), ईसीएल श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक(तक.) संचालन, ईसीएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री ए. के. सोनी, निदेशक (वित्त), ईसीएल	-
2012-13	23.5.2013 11.00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री डी सेठ, मुख्य प्रबन्धक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री एस एम शर्मा, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति श्री एस के श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकि) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल	-
2013-14	14.06.2014 12:15 अपराह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री एस मत्रा, मु प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री एस एम शर्मा, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, श्री के के गौतम, विशेष निदेशक, बीआईएफआर, श्री एस चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकि) संचालन, ईसीएल (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य) श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल, श्री रमेश चन्द्र, निदेशक (तकनीकी) यो-परि, श्री के एस पात्र, निदेशक (का)	
2014-15	16.12.2014 11:00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल श्री एम विश्वनाथन, उप मप्र (वित्त)/कंपनी सचिव, सीआईएल,	

			सीआईएल के प्रतिनिधि तथा निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री के के गौतम, विशेष निदेशक, बीआईएफआर, श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल, श्री के एस पात्र, निदेशक (का), श्री बी आर रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) यो-परि	अधिकृत शेयर पूँजी की वृद्धि हेतु ईसीएल के संगठन की धारा तथा ज्ञापन में परिवर्तन
2014-15	25.03.2015 11:00 पूर्वाह्न	सांकतोड़िया	श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि, ईसीएल सुश्री श्वेता लोहारुका, सहायक प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सीआईएल तथा निदेशक (वित्त), सीआईएल श्री के एस पात्र, निदेशक (का), श्री बी आर रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) यो-परि	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ईसीएल के संगठन की धारा का परिवर्तन

उपरोक्त 3 वर्षों के दौरान सदस्यों की किसी भी सामान्य बैठकों में पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प प्रेरित नहीं हुआ।

4. **प्रकटन :**

क) **संबंधित पार्टी आदान-प्रदान :**

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के तहत पार्टियों के साथ कारोबारी आदान-प्रदान के क्रम में व्यापक तौर पर कंपनी के हित के विरूद्ध कोई विवाद नहीं था।

ख) **निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :**

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता को दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को कंपनी के निदेशक मंडल की 214 वीं बैठक में मंजूरी दी गई इसे निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम परिचालित कर दिया गया तथा उनसे इसकी पुष्टि प्राप्त कर ली गई। इसे कंपनी के वेबसाईट www.easterncoal.gov.in पर भी अपलोड कर दिया गया।

ग) **लेखांकन व्यवहार :**

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 में दर्शाए गए जरूरी लेखांकन मानकों एवं संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

घ) **जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी नियंत्रण तथा पहचान :**

05.11.2012 को 257 वीं बैठक में ईसीएल बोर्ड द्वारा जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण नीति को मंजूरी दी गई है।

(ङ) **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण :**

ईसीएल की 279वीं बोर्ड बैठक में कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री राकेश सिन्हा एवं निदेशक (वित्त) प्रभारी श्री सुधीर दत्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया जो अनुलग्नक -सी के रूप में कंपनी अधिशासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नित किया गया है।

(च) प्रयोज्य विधियों/नियमों का अनुपालन :

वित्त-वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी पर प्रयोज्य सभी विधियों/नियमों का अनुपालन किया गया।

5. संचार का माध्यम :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, संचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। वार्षिक लेखा के अलावा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने लेखा की छमाही समीक्षा के भी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा देखा गया।

6. लेखा परीक्षा अर्हता :

कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह गैर-अर्हता संबंधित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन के उत्तर को निदेशकों के प्रतिवेदन के संलग्नक के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के लेखा पर टिप्पणियों को भी संलग्न किया गया है।

7. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

अपेक्षित अनुभव के आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रधान हैं। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल तथा जोखिम विवरण से भलीभांति परिचित हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से सुपरिचित हैं।

8. कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न :

कंपनी का 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

9. व्हीसल ब्लोवर नीति :

कंपनी अपनी सभी व्यवसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक आचरण की रिपोर्टिंग की व्यवस्था दी है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पास कानून के उल्लंघन, धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण की शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा किया गया। प्रबंधन के कार्मियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे उक्त रिपोर्टिंग को गोपनीय रखें।

सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन की तर्ज पर मेसर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 27 मार्च, 2008 को कंपनी के बोर्ड ने अपनी 218 वीं बैठक की मंजूरी दे दी।

10. 2014-15 के दौरान, लेखा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँचने से किसी को भी नहीं रोका गया।

11. पीई सर्वे के लिए पूर्ण डाटा शीट को डीपीई के पास प्रस्तुत करने की तारीख 29.08.2014 थी।

अनुलग्नक – क

निदेशकों का विवरण

सभी निदेशकों, का संक्षिप्त सारवृत्त, विशिष्ट कार्यकारी क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति तथा कंपनियों का नाम जिसमें उन्होंने अध्यक्ष, निदेशक, बोर्ड/समितियों के सदस्य रहें है, का विवरण निम्नलिखित है –

श्री राकेश सिन्हा (जन्म 17 मई, 1955) ने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर से 1977 में खनन अभियंत्रणा में स्नातक हैं। इनके पास प्रथम श्रेणी कोलियरी प्रबंधक का प्रमाण पत्र (कोल) भी है। उन्होंने 18 नवम्बर 1977 को कोल इंडिया में संयोजित हुए तथा इनकी तैनाती भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में हुई। तत्पश्चात इन्होंने बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में विविध क्षमताओं में कार्य किया। जिस में महत्वपूर्ण मुनीडीह परियोजना भी शामिल है जो भारत का प्रथम संपूर्ण यांत्रिकृत खदान है।

श्री सिन्हा अप्रैल 1989 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्थानांतरित हुए, जहाँ उन्होंने विविध क्षमताओं जैसे- खान अधीक्षक/प्रबंधक, परियोजना अधिकारी, महाप्रबंधक तथा निदेशक(तकनीकी) संचालन, एसईसीएल के तकनीकी सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने महत्वपूर्ण उच्च क्षमता गेवरा खुली खदान परियोजना में परियोजना अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। बाद में, मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के पश्चात 2007 में उनका स्थानांतरण पुनः उनके पहले की कंपनी बीसीसीएल में हो गई तथा उन्होंने लोदना क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में अपना योगदान दिया।

श्री सिन्हा सितम्बर, 2007 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में चुने गए तथा जून 2008 में निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में योगदान दिया। उनके कुशल नेतृत्व में बीसीसीएल के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में ईसीएल में पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री राकेश सिन्हा ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये जिससे कंपनी में कोयला उत्पादन का स्तर लगातार 30 मिलियन टन के ऊपर बना रहा। इनमें भूमिगत खदानों की कार्यप्रणाली का यांत्रिकीकरण, भूमिगत जनशक्ति एवं मशीनरी का उचित उपयोग, खुली खान परियोजनाओं के विस्तार के लिए कई अनुबंधों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना, उत्पादन संबंधी मदों की जल्द–से–जल्द उपलब्धता, बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर प्रशासनिक कदम, उत्पादन एवं प्रेषण गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को कम करके औद्योगिक संबंध में सुधार करना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके इन प्रयासों से कंपनी उत्पादन, उत्पादकता, ऑफ-टेक आदि सभी क्षेत्रों मे निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए नई ऊँचाइयाँ छू रही है और वर्ष–दर–वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ और कंपनी द्वारा निरंतर सकारात्मक लाभ दर्ज किया जाने लगा। सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के पश्चात, फरवरी, 2015 में कंपनी के बीआईएफआर से बाहर निकल आने की आधिकारिक घोषणा कर दी गयी। श्री सिन्हा की अटल प्रतिबद्धता एवं व्यापक दृष्टिकोण के कारण, वर्ष 2014-15 के दौरान, ईसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में 11% की उल्लेखनीय सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 40 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और इस प्रकार ईसीएल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ईसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की एकमात्र ऐसी अनुषंगी कंपनी थी जिसने 2014-15 के दौरान कोयला उत्पादन, ऑफ-टेक

एवं अधिभार विस्थापन तीनों मानकों में न केवल लक्ष्य हासिल किया बल्कि इन सभी मानकों में सतत सकारात्मक वृद्धि भी दर्ज की।

श्री राकेश सिन्हा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है जिनमें आईपीआई द्वारा ''सीआईओ विद एचआर ओरिएंटेशन'', इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन द्वारा ''लाइफ टाइम एचिवमेंट एवार्ड'', इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ द्वारा ''उद्योग रत्न एवार्ड'', भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार'', आर. के. एचआईवी एड्स रीसर्च एंड केयर सेंटर द्वारा ''एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर इन कोल एंड माइन ऑफ द ईयर एवार्ड'' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

श्री सुब्रत चक्रवर्ती कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। इनका जन्म 06.03.1958 को हुआ।

अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पाथा भवाना, शांतिनिकेतन में पूरी करने के पश्चात उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद में 1979 में की। तत्पश्चात बीआईटी मेसरा से 1997 में एमसीए की डिग्री प्राप्त की। इम्पेरियल कॉलेज ऑफ माइन्स एवं टेक्नोलॉजी, लंदन में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विलियम सेलकिर्क स्कॉलरशीप एवं हर्लेम-इ-वेस्ट स्कॉलरशीप मिला जो अनुपयोगी रहा।

श्री चक्रवर्ती को खनन उद्योग में 35 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है इन्होंने सीसीएल/बीसीसीएल/एनसीएल तथा ईसीएल में भूमिगत तथा खुली खदानों में प्रशासन, उत्पादन, योजना से संबंधित विविध क्षमताओं में कार्य किया है। ईसीएल में निदेशक (तकनीकी) पद पर योगदान के पहले एनसीएल में श्री चक्रवर्ती ने विविध क्षमताओं जैसे मुख्य महाप्रबंधक/अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी सचिव, मुख्य महाप्रबंधक अमलोहरी प्रोजेक्ट में कार्य किया।

श्री चक्रवर्ती विभिन्न सरकारी दौरे पर अनेक देशों यूएसए, रूस, बेलारूस, जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस, चीन, सिंगापुर इत्यादि की यात्रा की। श्री चक्रवर्ती को पुस्तक पढ़ने, गाने का शौक है एवं वे सभी प्रकार के खेल के समर्थक हैं।

श्री चंदन कुमार दे, निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म दिनांक 10 सितम्बर, 1958 में कोलकाता में हुआ। 01 मार्च, 2015 को कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने के पहले श्री दे निदेशक (वित्त) के रूप में 01.02.2013 से 28.02.2015 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान कर रहे थे।

श्री दे 1975 में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1978 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से लेखा में ऑनर्स के साथ वाणिज्य में स्नातक हुए। श्री डे चार्टर्ड अकाउंटेंड तथा कोस्ट अकाउंटेंड है।

श्री दे को 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है तथा लवलॉक एण्ड लेविस, डन्लॉप इंडिया लि., निक्को ग्रुप, बाल्मर लॉरी एण्ड कंपनी लि. एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों में अपनी सेवाएँ दिये हैं।

अपने पेशेवर कैरियर के दौरान श्री दे लेखा, राजकोष, कराधान एवं आंतरिक लेखा परीक्षण कार्यों के प्रमुख रहें तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवाएँ दिये। 03 वर्षों के लिए श्री डे यूनाइटेड किंग्डम में बाल्मर लॉरी एण्ड कंपनी लि. के संचालन के मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में भी प्रमुख थें। वे सरकारी कार्य से भारत में तथा विदेशों में जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीजरलैंड, यूएसए, हॉन्ग कॉन्ग, यूएई और सेन्ट्रल एशियन रिपब्लिक का व्यापक यात्रा किये हैं।

श्री दे की रूचि किताबें पढ़ने में हैं तथा उन्हें संगीत से प्रेम हैं।

श्री वी. पेद्दन्ना (58) मई, 2011 से कोयला मंत्रालय में निदेशक हैं। श्री पेद्दन्ना आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कृषि विज्ञान में स्नातक हैं। उन्होंने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर किये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक प्रशासन पर पंजाब विश्वविद्यालय से एम.फील प्राप्त किये हैं। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 04 वर्ष, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा विभाग में 07 वर्ष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 06 वर्ष तथा कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय में 03 वर्ष सहित 26 वर्षों का विस्तृत अनुभव हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बोर्ड में शामिल होने के पूर्व, वे नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित के रूप में कार्यरत थे।

03 अप्रैल, 1958 को ओडिशा के गंजम जिले के एक शिक्षित परिवार में जन्मे श्री के एस पात्र ने भंजनगर (ओडिशा) के केएसयूबी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद श्रम एवं समाज कल्याण में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की।

श्री पात्र ने वर्ष 1982 में प्रशिक्षु कल्याण अधिकारी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड में पदभार ग्रहण किया एवं उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदस्थापित किया गया। ईसीएल से उन्होंने उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसमें यूनिट कोड स्तर पर औद्योगिक संबंध, कर्मियों के कल्याण, कार्मिक मामले-खासकर मजदूरी एवं वेतन प्रशासन तथा पदोन्नति से संबंधित विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्य भी शामिल है। ईसीएल में उनकी लंबी अवधि के दौरान श्री पात्र ने सभी संवेदनशील स्थितियों का बड़े साहस के साथ सामना किया। विशेषकर न्यू केंदा खदान (1994), श्यामसुंदरपुर कोलियरी एवं बंकोला कोलियरी में भयावह खान दुर्घटना के समय उन्होंने अपने समृद्ध ज्ञान के द्वारा सफलतापूर्वक उन प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पायी। 27 वर्षों (1982-2009) तक ईसीएल में अपनी सेवाएँ देने के पश्चात उन्होंने 2009 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया।

2011 में महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) के रूप में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सीसीएल, राँची के कार्मिक विभाग की अध्यक्षता की। 50,000 से अधिक जन शक्ति वाली कंपनी सीसीएल में उन्होंने कंपनी स्तर पर कार्यकारी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया एवं आसपास के गांवों में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लक्ष्य के साथ सहज संबंध स्थापित किया। उनकी नित नवीन एवं सकारात्मक सोच के कारण न केवल कंपनी का औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ है, बल्कि कंपनी के उत्पादन, उत्पादकता, ऑफटेक, लाभ आदि की वृद्धि में भी इसका सकारात्मक योगदान रहा है। साथ ही, इससे कर्मियों, परियोजना प्रभावित लोगों एवं आसपास के ग्रामीणों के बीच उच्च प्रेरणात्मक वातावरण की सृष्टि हुई है। श्री पात्र हमेशा कर्मियों के कल्याण हेतु समर्पित रहे हैं। सामुदायिक विकास (सीडी)-निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कंपनी के आस पास रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए उनके द्वारा किये गये कार्य इसके साक्ष्य हैं। सीसीएल में उन्होंने लुपुंगटोली, सीमारटोली एवं जरी (1971 के बांगलादेश युद्ध में शहीद हुए श्री अल्बर्ट एक्का की जन्म स्थली) नामक तीन गाँवों को सीएसआर के तहत ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस क्रम में उन्होंने उन गाँवों के बहुमुखी विकास में स्वयं विशेष ध्यान दिया, खासकर वहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। उन्हें यह दक्षता प्राप्त है कि वे अपने कर्मियों के शुभचिंतक के रूप में कभी भी उनकी कॉलोनी में जाकर उनसे मिल सकते हैं।

ईसीएल में पुनः अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री पात्र ने ईसीएल की कल्याण एवं सीएसआर गतिविधियों में तेजी लाने पर

विशेष ध्यान दिया केंद्रीय अस्पताल, कल्ला में नर्सिंग स्कूल का खुलना, कल्ला तथा सांकतोड़िया अस्पताल के लिए अद्यतन चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता, वातानुकूलन तथा अन्य सुविधाओं सहित कैंटीन को अद्यतन बनाना, अनुकंपा आधारित नियुक्तियों तथा भूमि के बदले होने वाली नियुक्तियों के मामलों का जल्द निबटारा, झांझरा एवं मुगमा क्षेत्रों में डीएवी स्कूलों का खुलना, सलानपुर, केन्दा, राजमहल, बंकोला आदि क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्रों का खुलना आदि 2014-15 के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, पराचिकित्सा कर्मियों,वैधानिक कार्मिकों एवं अन्य अनिवार्य जनशक्ति के नियोजन के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना तथा दक्ष कर्मियों को उत्पादन, उत्पादकता तथा खान सुरक्षा जैसी मुख्य धारा के कार्यों से जोड़ना भी उल्लेखनीय है।

कोयला उद्योग में 33 वर्षों के विशाल अनुभव के साथ-साथ अपने काम के प्रति नित-नवीन एवं सकारात्मक सोच के धनी श्री पात्र की सफलता की कहानी में उनकी उपलब्धियाँ सहायक सिद्ध हुई हैं। ईसीएल के निदेशक (कार्मिक) के रूप में चयनित होने पर दिनांक 01 नवंबर, 2013 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री पात्र समस्त कर्मचारियों, उनके परिवारों एवं व्यापक संदर्भ में ईसीएल परिवार, जिसमें ग्रामीण, निर्धन एवं पिछड़े हुए-सभी लोग शामिल हैं, के रहन-सहन में निरंतर सुधार करने को दृढ़संकल्प हैं।

श्री बी आर रेड्डी (50), पिता- स्वर्गीय बी रंगा रेड्डी, ने 1981 में आन्ध्र प्रदेश के कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1992 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से ओपेनकास्ट माइनिंग में एम-टेक किया। श्री रेड्डी ने फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी (कोयला) भी हासिल किया। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट (डीआईआरपीएम) की डिग्री भी हासिल की।

श्री रेड्डी ने 05 सितंबर, 1981 को कनिष्ठ अधिशासी प्रशिक्षु के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड में योगदान दिया तथा जून, 2003 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बल्लारपुर क्षेत्र के विभिन्न खदानों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। इसके पश्चात, जुलाई, 2003 में स्थानांतरित होकर इन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने 31.10.2007 तक धोरी क्षेत्र के अपर महाप्रबंधक के में तपिन नॉर्थ, फेज ईस्ट ओसीपी के परियोजना अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएँ दीं तत्पश्चात इन्होंने धोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। धोरी, अरगड़ा एवं एन के क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महाप्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने, नई खुली खानों को खोलने आदि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया इनकी कार्यनिष्ठा एवं ईमानदार प्रयासों की बदौलत ही सीसीएल की पुरनाडीह ग्रीनफील्ड खुली खान को फिर से चालू किया जा सका। खुली खानों पर केन्द्रित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में इन्होंने डैगलाइन की कार्यप्रणाली पर पर्चा प्रस्तुत किया था जिसकी खूब सराहना हुई थी।

कोल ट्रांस सेमिनार में भाग लेने के लिए ये 2009 में चीन के दौरे पर गये तथा अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 2014 में स्वीडेन, स्वीट्जरलैंड एवं जर्मनी भी गये।

अपने प्रबंधकीय कौशल, क्षमता एवं प्रशासकीय सूक्ष्मबुद्धि के कारण, इनका चयन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना के रूप में हुआ तथा 30 सितंबर, 2014 को इन्होंने यह पदभार ग्रहण किया।

अनुलग्नक – ग

सेवा में,
निदेशक मंडल

सीईओ एवं सीएफओ सर्टीफिकेशन

वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार हम, राकेश सिन्हा, अध्यक्ष तथा सुबीर दत्त, महाप्रबंधक(वित्त) (प्रभारी) प्रमाणित करते हैं कि :

क) हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण का अवलोकन किया है एवं हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i) इन विवरणों में किसी अवास्तविक विवरण को शामिल नहीं किया गया है या किसी वास्तविक तथ्य को हटाया नहीं गया है। साथ ही इनमें ऐसा कोई तथ्य सम्मिलित नहीं है जो वास्तविकता से परे हो एवं बहकाने वाला हो।

ii) ये विवरण कंपनी के मामलों की स्वच्छ एवं वास्तविक छवि सामने प्रस्तुत करते हैं एवं इनमें कंपनी के वर्तमान लेखा मानकों, प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में कंपनी द्वारा प्रवेशित कोई लेनदेन ऐसा नहीं है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग) वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा उसके रखरखाव का दायित्व हम स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पद्धति के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के प्रारूपण अथवा संचालन की कमियों, यदि हों, को महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति के समक्ष उजागर किया जिनसे वे परिचित हैं एवं इन कमियों की सुधार के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

घ) हमने महालेखापरीक्षकों तथा महालेखापरीक्षा समिति को संकेत किया कि :

i) संदर्भगत तिमाही के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ,

ii) वर्ष के दौरान, लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ; एवं

iii) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पद्धति में ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल की जानकारी हमें नहीं है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

दिनांक : 26.05.2015 महाप्रबंधक (वित्त) (प्रभारी) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – VII

एम. चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखापाल

162 जोधपुर पार्क,
कोलकाता – 700068

ई-मेल : emcee162@hotmail.com
033-2429-2417, 2248-0668

कंपनी अभिशासन की शर्तों के साथ अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में
ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण,

हमलोगों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की।

कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी है एवं एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है तथा कंपनी का शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं ऐसी परिस्थिति में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों के साथ जाँच का कार्य किया गया तथा कंपनी अधिशासन की शर्तों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरणन पर न तो कोई लेखा परीक्षा है अपने वित्तीय विवरण पर कोई राय है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए उनके मुताबिक हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिशासन की शर्तों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे यह घोषणा करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में उत्तरजीविता का आश्वासन है और न अपने दक्षता को जिस कंपनी ने कार्य किया है।

एम. चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखापाल
पंजीकरण सं. 302186 ई

दिनांक– 03.06.2015
स्थान– कोलकाता

(डी. चौधरी)
सहभागी
पंजीकरण संख्या – 052066

अनुलग्नक - VIII

मोबाइल : +9191639 09775
ईमेल : jmitul@ymail.com

मितुल जैन एवं एसोसिएट्स

3, महर्षि देवेन्द्र रोड, तीसरा तल, कोलकाता - 700007

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी धारा, 2013 के खंड 204(1) तथा कंपनी नियम (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक), 2014 के नियम संख्या-9 का कार्यान्वयन]

सेवा में,

सदस्यगण,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

सांकतोड़िया, दिसेरगढ़,

पश्चिम बंगाल - 713333

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त-वर्ष हेतु ईसीएल कंपनी द्वारा देखरेख की जाने वाली किताबों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्मों एवं फाइल की गयी रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों की हमने जाँच की है और सभी दस्तावेज़ों को प्रावधानों की कसौटी पर कसा है :

i) उसके किसी पुनःअधिनियमन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा) एवं इसके अंतर्गत नियम;

ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं इसके अंतर्गत बने नियम;

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं नियम;

iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेश प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश एवं वाह्य व्यापारिक ऋणादान तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम;

v) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992

vi) कंपनी में विशेषतः प्रयोज्य अन्य नियम।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जाँच की है :

क) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

ख) सीपीएसई, 2010 के कंपनी अभिशासन के दिशानिर्देश।

I. हमारे विचार में, हमारे द्वारा की गयी जाँच, हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी, कंपनी सचिव तथा इसके अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('धारा') तथा इसके

अंतर्गत बनाई गयी नियमावली तथा ज्ञापन एवं कंपनी के संघ के अनुच्छेदों का के प्रावधानों के अनुसार कंपनी आबद्ध है, जिनमें से प्रमुख एवं संदर्भित प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है :

क) विभिन्न प्रकार के वैधानिक रजिस्टरों एवं कागजातों का रखरखाव एवं उनमें आवश्यक प्रविष्टियाँ;

ख) अधिनियमों एवं नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा केन्द्र सरकार के सभी फॉर्मों एवं रिटर्नों की फाइलिंग;

ग) परिपत्रों के माध्यम से संकल्पों को पारित करने के साथ-साथ निदेशकों एवं निदेशकों की समितियों की बैठकों का आयोजन;

घ) 14 जून, 2014 को 39 वें वार्षिक आम बैठक का आयोजन;

ङ) आम बैठक तथा बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त अलग-अलग पत्रों में रेकॉर्ड में रहते थे, जिनका निरंतर अंतराल पर किताब के रूप में बनवा देना अनिवार्य किया गया;

च) लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक;

छ) शेयरों का हस्तांतरण एवं संचरण;

ज) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भों का गठन;

झ) कंपनी द्वारा इसके सदस्यों तथा लेखापरीक्षकों को कागजातों की सेवाएँ;

ञ) उधार का उधार एवं पंजीयन, संशोधन एवं संतुष्टि;

ट) भविष्य निधि से संबंधित राशि का कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान;

ठ) अधिनियम के अनुसार ही, तुलन-पत्र का फॉर्म, लाभ एवं हानि लेखा का विवरण तथा प्रकटीकरण;

ड) अनुबंध, सामान्य मुहर, पंजीकृत कार्यालय, एवं कम्पनी के नाम का प्रकाशन; तथा

ढ) अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के सभी प्रयोज्य प्रावधान।

II. हमें आगे कहना है कि : –

क) निदेशकों ने अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं, हिस्सेदारी तथा आवश्यकतानुसार अन्य कंपनियों एवं संस्थाओं में निदेशक पद ग्रहण करने हेतु अपनी रुचि एवं चिंताओं का खुलासा किया है तथा उनके इस प्रकटीकरण को बोर्ड द्वारा नोट करके रेकॉर्ड कर लिया गया है;

ख) निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की योग्यता एवं स्वतन्त्रता तथा निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कार्यकारी आचार संहिता के संबंध में समस्त आवश्यकताओं के अनुपालन का खुलासा किया है;

ग) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ कंपनी को प्राप्त हो गयी हैं; तथा

घ) कंपनी अधिनियम, 2013, भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, अनुसूचित करार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1992 तथा इन नियमों, नियमावलियों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों अथवा अधिकारियों पर कोई अभियोग नहीं लगा है और न ही किसी प्रकार का आर्थिक दंड अथवा सजा दी गयी है।

III. हमें आगे रिपोर्ट करना है कि : –

क) उसके किसी पुनः अधिनियमन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत आने वाले नियमों के सभी प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है.

ख) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 के प्रावधानों तथा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों का प्रकटीकरण एवं रखरखाव से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है।

ग) भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध) अधिनियम,1992 के प्रावधानों तथा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों का प्रकटीकरण एवं रखरखाव से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है।

घ) कंपनी में निदेशक मंडली के गठन तथा कंपनी की अनुषंगी इकाइयों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान के मामले में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज़, 2010 हेतु कंपनी अभिशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है।

मितुल जैन एवं एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़

(मितुल जैन)
सीपी सं 10850

अनुलग्नक – IX

फॉर्म संख्या – एमजीटी – 9

वार्षिक लेखा का सार

31.03.2015 को समाप्त वित्त-वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 12(1) का कार्यान्वयन]

I) पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सीआईएन :- यू 10101 डब्ल्यूबी 1975 जीओआई 030295

ii) पंजीकरण दिनांक :- 01.11.1975

iii) कंपनी का नाम :- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी :- कंपनी अधिनियम-2013 के अनुभाग 2(71) के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पत्रालय-डिसेरगढ़, जिला बर्दवान, पिन- 713333, पश्चिम बंगाल

vi) क्या सूचीगत कंपनी है? हाँ/नहीं :- नहीं

vii) पंजीयक (रजिस्ट्रार) तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो :- अप्रयोज्य

II) कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% या उससे अधिक के योगदान वाली समस्त व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा :-

क्रम सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	कोयला	0510	100%

III) नियंत्रक, अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनियों का विवरण : –

क्रम	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/संबद्ध	धारण किए शेयर का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रयोज्य अनुभाग
1	कोल इंडिया लिमिटेड, 10 एनएस रोड, कोलकाता – 700001	एल23109डब्ल्यूबी1973जीओआई028844	नियंत्रक कंपनी	1000%	2(46)

iv) शेयर नियंत्रण पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

क) श्रेणीवार शेयर नियंत्रण :

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर									
(1) भारतीय									
i) व्यक्तिगत/एचयूएफ		3	3	0.01		3	3	0.01	शून्य
ii) केंद्र सरकार									
iii) राज्य सरकार									
iv) कॉरपोरेट संस्थाएँ		**22184497**	**22184497**	99.99		**22184497**	**22184497**	99.99	शून्य
iv) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
vi) कोई अन्य........									
कुल (क) (1) :-	शून्य	**22184500**	**22184500**	100	शून्य	**22184500**	**22184500**	100	शून्य
(2) विदेशी									
i) एनआरआई-व्यक्तिगत									
ii) अन्य व्यक्तिगत									
iii) कॉरपोरेट संस्थाएँ									
iv) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
v) कोई अन्य.........									
कुल (ख) (2) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर (क) के कुल धारण शेयर = (क) (1) + (क) (2)	शून्य	**22184500**	**22184500**		शून्य	**22184500**	**22184500**		
ख) पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
(1) संस्थाएँ									
i) म्यूचुअल फंड									
ii) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
iii) केंद्र सरकार									
iv) राज्य सरकार									
v) वेंचर कैपिटल फंड									
vi) बीमा कंपनी									
vii) एफआईआई									
viii) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
ix) अन्य (उल्लेख करें)									
कुल (ख) (1) :-									
(2) गैर-संस्थाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) कॉरपोरेट संस्थाएँ									

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डी–मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी–मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ) भारतीय आ) ओवरसीज ii) व्यक्तिगत अ) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रू 01 लाख तक की शेयर पूँजी आ) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा धारण की हुई रू 01 लाख से अधिक की शेयर पूँजी इ) अन्य (उल्लेख करें)									
कुल (ख) (2) :-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) जीडीआर एवं एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारण किए गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य

ख) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग :

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में धारण किए गए शेयर			वर्ष के अंत में धारण किए गए शेयर			वर्ष के दौरान परिवर्तित %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज्ड/ शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से प्लेज्ड/ शेयरों का %	
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य
	कुल	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य

ग) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में बदलाव (कृपया चिह्नित करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो) :
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	22184497	99.99	22184497	99.99
2.	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/ कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
३.	वर्ष के अंत में	22184497	99.99	22184497	99.99

घ) चोटि के दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर तथा एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों एवं धारकों/ नियंत्रकों के अलावा) :

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ	शून्य			
2.	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)				
3.	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)				

ङ) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग :

क्रम सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	1	0.01	1	0.01
2.	प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी; वृद्धि/ कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
२.	वर्ष के अंत में	1	0.01	1	0.01

I) अनुगृहीता :

बकाया/बढ़ते ब्याज पर भुगतान बाकी नहीं सहित कंपनी की अनुगृहीता (₹ करोड़ में)

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल अनुगृहीत
वित्त वर्ष के आरंभ में अनुगृहीता i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं		164.33		
कुल (i + ii + iii)		164.33		164.33
वित्त वर्ष के दौरान अनुगृहीता में बदलाव जोड़ घाटा		 7.89 5.75		 7.89 5.75
शुद्ध बदलाव		2.14		2.14
वित्त वर्ष के अंत में अनुगृहीता i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज, पर भुगतान नहीं किया गया iii) बढ़ा हुआ ब्याज, पर बकाया नहीं		166.47		166.47
कुल (i + ii + iii)		166.47		166.47

16

II) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबन्धक की पारिश्रमिक : (आँकड़े ₹ में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि	**श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, (डब्ल्यूटीडी)**	श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), (डब्ल्यूटीडी) 28.02.2016	श्री रमेश चन्द्र, निदेशक (तकनीकी) योजना/परियोजना,	**श्री के.एस.पात्र, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी)**	श्री डी.आर. रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), यो./परियो.	
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	2241838.00	1931001.00	1932905.00	1014473.00	860328.00	2200757.00	10261902.00
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	381230.00	338030.00	328343.00	168630.00	87077.00	31849.00	1621801.00
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ							

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		श्री राकेश सिन्हा, अप्रनि	श्री एस.चक्रवर्ती, निदेशक (तकनीकी) संचालन, (डब्ल्यूटीडी)	श्री सी के दे, निदेशक (वित्त), (डब्ल्यूटीडी)	श्री रमेश चन्द्र, निदेशक (तकनीकी) योजना-परियोजना, (डब्ल्यूटीडी)	श्री के.एस.पात्र, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी)	श्री एम.के. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक), (डब्ल्यूटीडी) (३१.१०.१३ तक)	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- लाभ का प्रतिशत							
	- अन्य, उल्लेख करें							
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	59327.00	87746.00	254693.00	20375.00	157802.00	208395.00	788248.00
6	कुल (क)	2582305.00	2416777.00	2515941.00	1203478.00	1125807.00	2727643.00	12671951.00
7	अधिनियम के अनुसार सीलिंग							179.97.00 करोड़

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(आँकड़े ₹ में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	का नाम					कुल राशि
		श्री एस. चौधरी	श्री एस के मोहन्ती	श्री एस एम लोढ़ा	श्री एस एम शर्मा	श्री के के गौतम	
1	स्वतंत्र निदेशक	10,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00		100000.00
	बोर्ड-समिति बैठकों में						
	उपस्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कमीशन						
	अन्य, उल्लेख करें						
	कुल (1)	10,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00		100000.00
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक						
	बोर्ड-समिति बैठकों में						
	उपस्थिति हेतु शुल्क					1,70,000	1,70,000
	कमीशन				शून्य	शून्य	
	अन्य, उल्लेख करें				शून्य	शून्य	
3	कुल 2)				1,70,000	1,70,000	
4	कुल (ख) = (1+2)	10,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00	1,70,000	1,70,000
5	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						1,29,71,951
6	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग					18.00 करोड़	

क) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी सचिव	कुल
1	कुल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के अलावा लाभ	 2098158.00 381988.00 शून्य	 2098158.00 381988.00 शून्य
	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
	स्वेटइक्विटी	शून्य	शून्य
	कमीशन - लाभ का प्रतिशत - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	9021.00	9021.00
	कुल	2480146.00	2480146.00

III) जुर्माना / दंड /अपराधों की सुलह :

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुभाग	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/दंड/सुलह शुल्क का विवरण	[प्राधिकारी आरडी/एनसीएलटी सीओयूआरटी]	की गयी अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क कंपनी					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
सुलह					
ख निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
सुलह					
ग अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
सुलह					

अनुलग्नक - X

विदेशी मुद्रा-अर्जन एवं खर्च

I. निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास → कंपनी निर्यात गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है ।

II. अर्जित एवं व्यवहार में लायी गयी कुल विदेशी मुद्रा

(₹ लाख में)

क्र.स.	वर्णन	2014-15	2013-14
क)	**व्यवहार में लायी गयी विदेशी मुद्रा**		
1)	आयात का सीआईएफ मूल्य		
	क) कच्चा माल	0.00	0.00
	ख) पुर्जे, भंडार एवं स्पेयर्स	671.00	1011.00
	ग) पूँजीगत माल	17625.00	0.00
2.	यात्रा / प्रशिक्षण व्यय	13.00	54.00
3.	तकनीकी जानकारी एवं विदेशी परामर्श पर व्यय	0.00	0.00
4.	विदेशियों को पेंशन	0.00	0.00
5.	अन्य	10652.00	1294.00
	कुल	**28961.00**	**2354.00**

ख) विदेशी मुद्रा आय शून्य शून्य

अनुलग्नक - XI

तकनीकी आमेलन से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण प्रपत्र
अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

I.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया ।	कंपनी के पास अपना अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित नहीं है । सीएमपीडीआईएल जो कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी है, केन्द्रीय रुप से सीआईएल के सभी अनुषंगी के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य करती है ।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ	अप्रयोज्य।
3.	भविष्य की कार्य योजना	अप्रयोज्य।
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	अप्रयोज्य।
	क) पूँजी	--
	ख) आवर्ती	--
	ग) कुल	--
	कुल आर एण्ड डी व्यय, कुल टर्न ओवर का प्रतिशत -	अप्रयोज्य।

तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नव-प्रवर्तन

1.	तकनीकी आमेलन, अनुकूलन तथा नव-प्रवर्तन में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	:	शून्य
2.	उपरोक्त प्रयास से प्राप्त लाभ जैसे-उत्पाद उन्नयन, लागत में कमी, उत्पाद का विकास, आपात का विकल्प इत्यादि	:	शून्य
3.	आयातित तकनीक के मामले में (वित्तीय वर्ष आरंभ होने से विगत 5 वर्षों के दौरान आयात की गणना)	:	शून्य
	निम्नलिखित जानकारी निम्नवत है -		
i)	आयातित तकनीक	:	शून्य
ii)	आयात का वर्ष	:	शून्य
iii)	क्या आयात का पूर्णतः आमेलन किया गया?	:	शून्य
iv)	यदि पूरी तरह आमेलन नहीं हुआ तो कहाँ तक हुआ, उसका कारण एवं भविष्य की कार्य योजना	:	शून्य

गोपनीय

सत्यमेव जयते

कार्यालय, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा
बोर्ड-II कोलकाता
पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता - 700 020

संख्या: 087 / सीएजी / एलए - 1 / लेखा / ईसीएल / 2014-15

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बंगाल ।

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

महोदय,

मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(b) के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी अग्रसारित करती हूँ ।

कृपया पत्र की पावती भेजी जाय ।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि ।
दिनांक : 11.06.2015

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा स्थाई सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II
कोलकाता

दु०भा०/Phones : 91-33-22875380/7165/2360/8838, 2281-0043/5654, फैक्स/Fax : 91-33-22800062
ई० मेल/E-mail : pdca2cal@cal3.vsnl.net.in, तार : ''कोयलेखा''

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146 (6) (b) के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 में दर्शाए गए रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के तहत है जो कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है यह 03.06.2015 को उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरण पर आधारित है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (b) के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर्स के निर्धारण के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों की जाँच के प्राथमिक रूप से सीमित है एवं कुछ लेखा रिकॉर्डों की जाँच के तहत है। मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है जो वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक हो अथवा उसपर कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – II
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 11.06.2015

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन :	प्रबधंन का जवाब
1. **वित्तीय विवरण पर प्रतिवेदन :**	
हमलोगों ने ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरण के साथ लेखा परीक्षण की है जो 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र, वर्ष समाप्ति हेतु लाभ-हानि के विवरण तथा नकद प्रवाह, जिसमें सम्मिलित है (क) हमारे द्वारा मुख्यालय एवं 7 क्षेत्रों/इकाइयों का लेखा परीक्षण किया गया तथा (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 19 क्षेत्रों/इकाइयों का लेखा परीक्षण किया गया, तथा महत्वपूर्ण नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश को शामिल करता है।	यह तथ्यों का बयान है।
2. **वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व**	
कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसार इस प्रकार के वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है जिससे कि कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखा मानकों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नगद प्रवाह की एक सच्ची एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में लेखा रिकॉर्डों का समुचित रखरखाव भी शामिल है ताकि कंपनी की सम्पत्तियों की रक्षा की जा सके एवं किसी प्रकार की धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं से बचा जा सके, समुचित लेखा नीतियों का चुनाव किया जा सके, वित्तीय विवरण को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव को शामिल करते हुए सच्चा एवं निष्पक्ष रुख अपनाया जा सके तथा सामग्री के अशुद्ध कथन से मुक्त हो, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ।	यह तथ्यों का बयान है।
लेखापरीक्षकों का दायित्व	
3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। हमने, अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, अधिनियम के प्रावधानों, लेखापरीक्षा मानकों तथा उन सभी सामग्रियों का अनुपालन किया है जिन शर्तों की आवश्यकता अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार थी।	यह तथ्यों का बयान है।
4. अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में हमने लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया है। इन मानकों के अनुसार हमने नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए योजना बनायी एवं लेखापरीक्षा का कार्य सम्पन्न किया ताकि यह	यह तथ्यों का बयान है।

सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण किसी प्रकार की वस्तुनिष्ठ गड़बड़ी से मुक्त हो।

5.	वित्तीय विवरणों में शामिल राशि के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया भी लेखापरीक्षा में शामिल है। इस प्रक्रिया का चुनाव धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी के जोखिम के आकलन को देखते हुए लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसे जोखिम के आकलन के दौरान, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करती है जो कि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के दौरान एक सही एवं निष्पक्ष राय देता है। उपयोग की जा रही लेखा नीतियों के औचित्य तथा कंपनी के निदेशकों के द्वारा तैयार लेखा अनुमानों की तार्किकता का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही, इसमें कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का भी मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है।	यह तथ्यों का बयान है।
6.	हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार थे।	यह तथ्यों का बयान है।

अभिमत

7.	हमारी राय एवं उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिये गए विवरण के अनुसार भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण के आवश्यक रूप से अधिनियम द्वारा सत्य एवं निष्पक्ष राय के साथ उपरोक्त जानकारी देता है :	यह तथ्यों का बयान है।
	(क) तुलन-पत्र के संबंध में, 31 मार्च 2015 को कंपनी के मामलों की स्थिति।	यह तथ्यों का बयान है।
	(ख) लाभ-हानि विवरण के संबंध में, उस दिनांक पर वर्ष की समाप्ति हेतु लाभ।	यह तथ्यों का बयान है।
	(ग) नकद प्रवाह के संबंध में, उस दिनांक पर वर्ष की समाप्ति हेतु नकद प्रवाह।	यह तथ्यों का बयान है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

8.	क) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, कथित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक 'क' में देते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
	ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उठाये गये कदमों एवं उसका कंपनी की लेखा तथा वित्तीय विवरणों में पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।

9.	**अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) की माँग के अनुसार, हमलोग प्रतिवेदित करते हैं कि :**	
(क)	हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त की जो हमारी जानकारी में लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी ;	यह तथ्यों का बयान है।
(ख)	हमारी राय में कानून के तहत आवश्यक लेखा की पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जो इस पुस्तिकाओं की जाँच से स्पष्ट होता है तथा हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य हेतु पर्याप्त उचित वापसी को शाखाओं से प्राप्त कर लिया गया है जहाँ हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया;	यह तथ्यों का बयान है।
(ग)	क्षेत्रीय/यूनिट स्तर के लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (8) के तहत कंपनी के क्षेत्रों/यूनिटों की लेखा पर प्रतिवेदन तय प्रावधान के अनुसार हमें भेजा जा चुका है ताकि इस प्रतिवेदन को तैयार करते हुए इन्हें शामिल किया जा सके।	
(घ)	इस प्रतिवेदन के साथ निपटारित तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बही तथा उन क्षेत्रों/यूनिटों से प्राप्त रिटर्न जहाँ हमने दौरा नहीं किया है; के साथ करार में है	यह तथ्यों का बयान है।
(ङ)	हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुपालन करती है।	यह तथ्यों का बयान है।
(च)	वित्तीय लेनदेन अथवा ऐसे किसी मामले जिससे कि कंपनी की कार्य–प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो; पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
(छ)	कंपनी के निदेशक से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2015 तक कंपनी के किसी भी निदेशक को अयोग्य नहीं ठहराया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
(ज)	लेखा की देखरेख एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कोई अर्हता, आरक्षण अथवा विपरीत टिप्पणी नही की गयी है।	यह तथ्यों का बयान है।
(झ)	1. कंपनी ने टिप्पणी संख्या 14 जी में दायित्वों को प्रस्तुत किया है। हमने ऐसा कोई अन्य दायित्व नहीं देखा है जिसका वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा।	यह तथ्यों का बयान है।
	2. कंपनी को दीर्घावधि संविदाओं में वास्तविक हानि हेतु प्रयोज्य विधि अथवा लेखा मानकों के तहत प्रावधान तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी	यह तथ्यों का बयान है।
	3. कंपनी में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में राशि का स्थानांतरण प्रयोज्य नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त लेखा हेतु ईस्टर्न कोलफील्डस् लिमिडेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक 'क'

(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8(क) में वर्णित है)

क्रम	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1.क)	कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण एवं अचलपरिसंपत्तियों समेत समस्त विवरणों को दर्शाता समुचितरिकॉर्ड रखा गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
ख)	संयंत्रों एवं मशीनों को छोड़कर अन्य सभी अचल सम्पत्तियों की वास्तविक जाँच समय-समय पर प्रबंधन द्वारा की गयी है एवं इस प्रकार की जाँच में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या तथा संबन्धित अभिलेखों की समग्र जाँच के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने एक लाख रूपये या इससे अधिक मूल्य के संयंत्रों एवं मशीनों की वास्तविक जाँच की है।	यह तथ्यों का बयान है।
2.क)	प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की जाती है।	
ख)	प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची की वास्तविक जाँच की पद्धति सामान्य एवं पर्याप्त है तथा यह कंपनी के आकार एवं कार्य की प्रकृति के हिसाब से उचित है।	यह तथ्यों का बयान है।
ग)	कंपनी ने वस्तुसूची का समुचित रिकॉर्ड रखा हैतथा वास्तविक जाँच के दौरान किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत कंपनी रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों,फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा सुरक्षित या असुरक्षित किसी प्रकार के ऋण का अनुदान नहीं दिया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय के प्रकृति के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद,मालों की बिक्री में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है हमारे लेखा परीक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी कमी नहीं पायी गई।	यह तथ्यों का बयान है।
5.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत तैयार नियमों के आलोक में कंपनी ने किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है कंपनी लॉ बोर्ड अथवा नेशनल कंपनी लॉ ट्रीबुनल अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय या किसी अन्य ट्रीबुनल द्वारा अनुपालन की अपेक्षा में किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है।	यह तथ्यों का बयान है।
6.	अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित लागत रेकॉर्ड के संदर्भ में कंपनी ने इस प्रकार की लेखा एवं रेकॉर्ड तैयार किए है तथा उनकी देखरेख की है।	यह तथ्यों का बयान है।
7.क)	कंपनी द्वारा भविष्य निधि,कर्मचारी राज्य बीमा,आयकर,विक्रय कर,संपत्ति कर, सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क,वैट,उपकर (सेस) एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया की नियमित रूप से उचित अधिकारी के पास जमा किया	यह तथ्यों का बयान है।

गया है। वित्त वर्ष के अंतिम दिन में किसी प्रकार के वैधानिक बकाया शेष नहीं था।

ख) कंपनी द्वारा आयकर अथवा बिक्री कर अथवा संपत्ति कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा वैट अथवा उपकर (सेस) जो जमा नहीं कराया गया है उनका विवरण नीचे की सारणी में दिया जा रहा है।

क्रम	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
1	प. बंगाल ग्राम-नियोजन और उत्पादन ऐक्ट, 1973	प बंगाल ग्राम-नियोजन उपकर	14203.11	1997-98	जेसीसीटी,आसनसोल
			14978.48	1998-99 से 2000-01	डब्ल्यूबीटीटी
			11760.39	2001-02 से 2008-09	एसपीएल/ सीओ-एमएम डब्ल्यूबी सीओएम टैक्स
2	प. बंगाल प्राथमिक शिक्षा ऐक्ट, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर, 1973	2704.08	1997-98	जे सी आसनसोल
			8291.82	1998-99 से 2001-02	डब्ल्यूबीटीटी
			2940.10	2001-02 से 2008-09	एसपीएल/ सीओ-एमएम डब्ल्यूबी सीओएम टैक्स
3	प. बंगाल- वैट अधिनियम, 2003	प. बंगाल वैट/ सीएसटी	8.96	1998-99	डब्ल्यूबीटीटी
			456.17	2004-05,09-10 & 10-11	वरिष्ठ जेसीसीटी, आसनसोल
			3827.95	2005-06 से 2007-08	पुनरीक्षण बोर्ड
4	वित्त ऐक्ट, 1994	सेवा कर मांग के लिए सूचना	3663.51	2006-07 से 2010-11	सीईएसटीएटी, कोलकाता
5	केन्द्रीय उत्पाद ऐक्ट, 1944	व्यावसायिक उपभोग के लिए अस्वीकृति भत्ता की छूट	601.94	मार्च'-2011-मार्च'-2012	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6	बिहार वित्त ऐक्ट, 1981 एवं केन्द्रीय क्रय कर ऐक्ट, 1956		191.01	1989-90	अधिकरण कोर्ट

यह तथ्यों का बयान है। साथ ही, कंपनी द्वारा ऋण के रूप में अभिस्वीकृत दावों में इन विवादित बकाया को शामिल किया गया है जिसका विवरण खंड 14.7 (ख) के अंतर्गत 'लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी' में दिया गया है।

		एरिया उपकर कर के माँग पर कोयले को निशुल्क भेजना,अल्प फोर्म्स , स्टॉक स्थांतरण पर कर	952.98	1990-91 से 1993-94	अधिकरण कोर्ट
		अल्पभुगतान	267.30	1994-95	अधिकरण कोर्ट
			520.39	1995-96	अधिकरण कोर्ट
			91.97	1997-98 से 99-2000 एवं 2001-02	एससीटी, देवघर
			13.54	2000-01	जेससीटी, दुमका
		अस्कप के विक्रय पर कर, जीटीओ वृद्धि, अल्प फोर्म्स इत्यादि	161.75	2002-03	अधिकरण कोर्ट, देवघर
		अस्कप के विक्रय पर कर, जीटीओ वृद्धि, अल्प फोर्म्स इत्यादि	706.74	2003-04	जेससीटी(अपील), दुमका
		फोर्म्स के अस्वीकृत भत्ता के लिए जीटीओ की वृद्धि	1601.48	2004-05 से 2010-11	वाणिज्यिक कर आयोग, रॉंची
7	बिहार वित्त ऐक्ट 1981 एवं केंद्रीय विक्रय–कर ऐक्ट, 1956	विक्रय कर	43.71	1988-89 से 92-93	उप.सीसीटी, दुमका
			8.90	1988-89 से 92-93	उप. सीसीटी, दुमका
			32.67	1988-89 से 92-93	एससीटी,गोड्डा
			54.83	1993-94	उप. सीसीटी (अपील), दुमका
			89.49	1993-94 से 95-96	एससीटी,गोड्डा

			6.60	1968-69 से 92-93	उप. सीसीटी, दुमका
			32.37	1968-69 से 92-93	एससीटी,गोड्डा
			54.93	1993-94	उप. सीसीटी (अपील), दुमका
			68.43	1993-94 से 95-96	एससीटी,गोड्डा
			3.00	1994-95	उप. सीसीटी (अपील), दुमका
			200.79	1994-95 से 95-96	उप. सीसीटी (अपील), दुमका
			328.14	1993-97 से 99-00	एससीटी, गोड्डा
			792.78	1993-97 से 00-01	उप. सीसीटी, दुमका
			21.18	1998-99	एससीटी,गोड्डा
			5390.11	2005-06	जेससीटी, दुमका
			6243.06	2006-07	जेससीटी, दुमका
			319.53	2008-09	जेससीटी, दुमका
			179.26	2009-10	डीससीटी, गोड्डा
			109.22	2010-11	डीससीटी, गोड्डा
			501.18	अप्रैल 2008 से अगस्त 2013	अधिकरण रांची
8	एमएमआरडी ऐक्ट, 1957	कोयले पर रॉयल्टी	584.50	अप्रैल 1963 से 2005-06	माननीय उच्च न्यायलय, रांची, डी. सी. देवघर
		रॉयल्टी	23.40	1990-91	प्रमाण-पत्र अधिकारी, दुमका
			8.78	1997-98	माननीय उच्च न्यायलय, रांची
			2056.14	1997-98	माननीय उच्च
			49.90	1997-98	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायलय
			1020.96	2007-08 एवं 2008-09	प्रमाण-पत्र अधिकारी, दुमका
			17.08	1990-91	प्रमाण-पत्र अधिकारी, दुमका
			3.39	1996-97	प्रमाण-पत्र अधिकारी, दुमका
			45.34	2011-12	प्रमाण-पत्र अधिकारी, दुमका
			17.89	01.06.73 से 31.12.97	प्रमाण-पत्र अधिकारी, दुमका
9.		उत्पादन-शुल्क	250.80	मार्च 2011 से फरवरी 2013	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, रांची

10		भू-राजस्व	236.97	1991-98	उप-आयुक्त, गोड्डा
11		जेएसईबी पेनल चार्ज	10.56	2013-14	जेएसईबी, राँची
12		वन-रोपण	86.90	2014-15	डीएफओ, गोड्डा
13		सरकारी जमीन	506.90	2006-06	डीसी, गोड्डा
14		आय कर (टीडीएस)	79.03	2007-15	सहायक आयकर आयुक्त (टीडीएस), धनबाद
15	वैट				
	1978-79	1500	27.07.89	6.02	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1979-80	1502	27.07.89	3.26	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1976-88	1734	04.11.91	2.84	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1990-91	6294	09.09.97	1.59	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1992-93	6296	09.09.97	7.77	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1990-91	8426	10.09.97	1.44	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	1992-93	8429	10.09.97	2.37	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	1993-94	694	30.04.98	3.83	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1993-94	691	30.04.98	6.40	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1994-95	6063	01.12.98	0.96	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1995-96	2520	01.06.99	11.23	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1996-97	695	09.02.00	11.26	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1999-00	1169	29.06.04	60.72	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2000-01	1757	27.12.05	125.21	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2002-03	7913	25.01.07	3.44	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2003-04	10772	22.09.10	12.19	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2006-07	17037	21.09.09	41.93	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2007-08	6115	13.02.10	157.56	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2008-09	698	20.05.11	29.07	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2009-10	3924	18.12.12	128.13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2011-12	6814	13.02.15	53.36	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
16.	सीएसटी				
	1978-79	1499	27.07.89	1.04	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1979-80	1501	27.07.89	23.35	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1976-88	1734	04.11.91	0.75	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1990-91	6296	09.09.97	11.82	जेसीसीटी (अपील), धनबाद

	1992-93	9299	09.09.97	29.32	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1990-91	8428	10.09.97	7.33	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	1992-93	8430	10.09.97	37.97	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	1993-94	393	30.04.98	265.16	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1993-94	392	30.04.98	1.41	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1994-95	3044	01.12.98	75.13	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1995-96	2519	01.06.99	278.31	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	1999-00	1169	29.06.04	73.90	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2000-01	1758	27.12.05	211.25	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2002-03	7914	25.01.07	0.72	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
	2003-04	10773	22.03.10	11.47	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2005-06	12561	27.11.12	173.31	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2006-07	17033	21.03.09	245.15	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2007-08	9116	16.02.10	418.79	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2008-09	897	20.05.11	230.99	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2009-10	3825	18.12.12	519.95	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2010-11	5378	27.03.13	62.30	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल
	2011-12	3815	13.02.15	5.02	जेसीसीटी (अपील), धनबाद
17	रॉयल्टी				
	1994-95	58/94-95		4.03	प्रमाण-पत्र अधिकारी, धनबाद
	1994-95	31/94-95		5.83	प्रमाण-पत्र अधिकारी, धनबाद
	1999-00	36/99-00		40.02	प्रमाण-पत्र अधिकारी, धनबाद

(ग)	कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को स्थानांतरित की जाने वालीआवश्यक राशि कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
8.	वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की अनुमानित हानि इसके नेटवर्थ के पचास प्रतिशत से कम नहीं है। इस वित्त वर्ष तथा विगत पिछले निकटतम वर्षों में कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है।	यह तथ्यों का बयान है।
9.	कंपनी के ऊपर किसी वित्तीय संस्थानों,या बैंकों या डिबेंचर होल्डरों का कोई बकाया नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
10.	कंपनी ने अन्य बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है जिससे कि कंपनी के हितों को कोई नुकसान न पहुँचे।	यह तथ्यों का बयान है।
11.	सावधि ऋण जिस उद्देश्य से लिया गये थे उन्हें उसी उद्देश्य में उपयोग किया गया।	यह तथ्यों का बयान है।
12.	हमें प्रबंधन द्वारा जो सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये गए हैं एवं लेखापरीक्षा के समग्र परीक्षण के बाद हमने पाया है कि वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु ईस्टर्न कोलफील्डस् लिमिडेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक 'ख'

(जैसा कि उस दिन के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8(ख) में वर्णित है)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्रम	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1.	यदि कंपनी का चयन गैर–निवेश के लिए होता है तो सम्पत्तियों (स्थायी सम्पत्तियों एवं भूमि सहित) तथा देयताओं (प्रतिबद्धता एवं सामान्य रिजर्व सहित) के मूल्यांकन की जाँच, इसकी पद्धति एवं गैर–निवेश की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति के साथ की जा सकती है।	चूँकि कंपनी गैर–निवेश के लिए चयनित नहीं है; अतः यह उपबंध इसके ऊपर लागू नहीं होता है।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	कृपया यह बताएँ कि क्या नामे/ऋण/ब्याज के वेवर/राइट ऑफ का कोई मामल है। यदि हाँ, तो कारण और शामिल राशि।	नामे, ऋण आदि के वेवर/राइट ऑफ का कोई मामला नहीं है।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	थर्ड पार्टी के साथ वस्तुसूची तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति हेतु समुचित रेकॉर्ड का रखरखाव किया गया हो।	थर्ड पार्टी के साथ कोई वस्तुसूची पड़ी नहीं है तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उपहार के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	लंबित विधि/न्यायगत मामलों की वर्षानुसार समीक्षा पर एक प्रतिवेदन; लंबन के कारणों तथा सभी विधिगत मामलों में हुए व्यय हेतु निगरानी यान्त्रिकी की स्थिति तथा प्रभाव का प्रतिवेदन दिया जा सकता है।	लंबित विधिगत मामलों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। कंपनी में मध्यस्थता का कोई मामला प्रयोज्य नहीं है। समस्त विधिगत मामलों में हुए व्यय की निगरानी कंपनी के विधि विभाग द्वारा की जाती है। निगरानी पद्धति प्रभावी लग रही है।	यह तथ्यों का बयान है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त लेखा हेतु ईस्टर्न कोलफील्डस् लिमिडेड पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

क्रम	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1.	जीसीवी मामलों पर भुगतान नहीं की गयी राशि की स्थिति में बने प्रावधानों की जाँच की जा सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड की संबंधित अनुषंगी कंपनियों की 31.03.2015 को अद्यतन जीसीवी बकाया की जाँच की आवश्यकता है। इस बात की भी पुष्टि की जा सकती है कि क्या नये कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक लेखा तैयार किए गए हैं/उनका रखरखाव किया गया है।	जीसीवी बकाया की स्थिति इस प्रकार है : 31.03.2014 31.03.2015 भुगतान नहीं की गयी राशि *16.04 करोड़ शून्य बनाया गया प्रावधान शून्य शून्य * 11.04.2014 को प्राप्त किया गया। नये कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक लेखा तैयार किए गए हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
2.	लेखा मानकों 2 का संपूर्णता से अनुपालन के साथ वस्तुसूची का मूल्यांकन		
	क) क्या रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए स्टॉक माप का कार्य पूरा किया गया ?	स्टॉक मापन का कार्य मूलभूत रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। सामान्यत: रूपरेखा द्वारा ही वास्तविक स्टॉक मापन संलग्न होता है। नये संचय, जब भी तैयार किए जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही किए जाते हैं	यह तथ्यों का बयान है।
	क्या समस्त मामलों में रूपरेखा द्वारा वास्तविक स्टॉक मापन रिपोर्ट संलग्न किया गया? क्या वर्ष के दौरान किसी नये संचय, यदि कोई हो, को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुई है?		
	ख) क्या कोयले के स्टॉक के गैर-फ़रोख़्त का वर्षवार विश्लेषण है? क्या कोयले के गैर-फरोख्त स्टॉक के मापन में	कोयले के गैर-फ़रोख़्त का वर्षवार विश्लेषण कंपनी द्वारा नहीं किया गया। कोयले के गैर-फरोख्त स्टॉक के मापन में कोई ठोस भिन्नता नही है। इन स्टॉकों का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा	यह तथ्यों का बयान है। गैर-फरोख्त कोयले के स्टॉक का मूल्याण शून्य के रूप में किया गया।

क्रम	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
	कोई ठोस भिन्नता (+/-5% को छोड़कर) पायी गई? यदि हाँ, तो क्या समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए इसे ठीक ढंग से रेकॉर्ड किया गया? क्या इस प्रकार के स्टॉक का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखा नीतियों के अनुसार किया गया।	प्रचलित लेखा नीतियों के अनुसार ही किया गया।	
	ग) भारत सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनाई गई नई नीति के अनुसार, परियोजनाओं/खानों में थोक दर पर ही एचएसडी उपलब्ध कराई जा सकती है। क्या थोक दरों पर डीजल खरीदने वाले ठेकेदारों को खुदरा दर की जगह थोक दरों पर मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई है?	थोक दरों पर डीजल खरीदने वाले ठेकेदारों को खुदरादर की जगह थोक दरों पर मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई है।	यह तथ्यों का बयान है।
	घ) कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्य प्रणाली की वास्तविक एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत करने के लिये क्या नये कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में प्रावधान जोड़े गये हैं?	यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
	ङ) इस तथ्य को गंभीरता से बताए जाने की आवश्यकता है कि सीएफएस को एएस 21, 23 तथा 27 के अनुसार तैयार किया गया है।	यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह तथ्यों का बयान है।
3.	इस बात का सत्यापन किया जाना चाहिए कि कंपनी से संबंध नहीं रखने वाली परिसम्पत्तियों पर व्यय की गयी पूँजी की ठीक ढंग से जाँच की गयी तथा स्थापित लेखा सिद्धांतों के अनुसार उनका लेखांकन किया गया।	कंपनी से संबंध नहीं रखने वाली परिसम्पत्तियों पर व्यय की गयी पूँजी की ठीक ढंग से जाँच की गयी तथा स्थापित लेखा सिद्धांतों के अनुसार उनका लेखांकन किया गया।	यह तथ्यों का बयान है।
4.	वैधानिक लेखापरीक्षकों/सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा 2013-14 में उठाये गये अवलोकन/टिप्पणी के अनुपालन तथा वर्ष 2014-15 की अर्द्ध-वार्षिक लेखा के समीक्षा प्रतिवेदन पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिये।	वैधानिक लेखापरीक्षकों/सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा 2013-14 में उठाये गये अवलोकन/टिप्पणी का अनुपालन किया गया। वर्ष 2014-15 की अर्द्ध-वार्षिक लेखा के समीक्षा	यह तथ्यों का बयान है।

क्रम	लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
		प्रतिवेदन में किए गये अवलोकन/टिप्पणी का अनुपालन किया गया।	
5.	इस तथ्य का भी सत्यापन किया जाना चाहिये कि क्या देनदारों, बैंक शेष, प्राप्य खाते, देय खाते एवं ऋण तथा अग्रिमों पर थर्ड पार्टी पुष्टि की गयी है? यदि नहीं, तो ऐसी राशि जिनकी पुष्टि नहीं की गयी है का प्रतिशत सहित, पार्टी के अनुसार विवरण दर्ज किया जाना चाहिये। साथ ही, क्या अलग से एस्क्रो फंड अकाउंट्स खोले गये/उनका रखरखाव किया गया अथवा कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों में विशेष उद्देश्य से बैंक में आरंभ किया गया?	विविध देनदारों के संबंध में कंपनी द्वारा इस प्रकार की थर्ड पार्टी पुष्टि नहीं की गयी है किन्तु, संबंधित देनदार कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से निरंतर सुलह का प्रयास किया जाता है एवं ये विवरण दोनों कंपनियों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। सभी मामलों में बैंक शेष के संबंध में थर्ड पार्टी पुष्टिकरण प्राप्त किया गया। प्राप्य खाते, देय खाते तथा ऋण एवं अग्रिम शेष के संबंध में पुष्टिकरण पत्र कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी को भेजा जा चुका है। जब तक शेष पुष्टिकरण कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तबतक बही शेष को ही सही माना जा सकता है। कंपनी द्वारा बैंक में एस्क्रो फंड अकाउंट्स की देखरेख की जा रही है।	यह तथ्यों का बयान है।

31 मार्च को तुलनपत्र

(■ करोड़ में)

विवरण	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
निधियों का श्रोत :										
अंशगत पूंजी	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	2218.45	4569.42
ऋण से इक्विटी में परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षित एवं अधिशेष	-5254.47	-5143.37	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-4677.05	-3804.82	-2716.00
उपचित एवं देय ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण निधि	708.33	672.96	656.23	689.26	665.52	656.24	670.18	674.17	681.29	164.33
अन्य गैर चालू देयताएं						11.20	5.51	20.88	17.99	18.92
दीर्घावधि प्रावधान	1668.15	1824.59	2324.70	3342.90	3634.76	4136.04	4731.93	4670.27	4042.55	3135.23
कुल	-659.54	-427.87	-1258.93	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77	2906.72	3155.46	4871.90
निधियों का उपयोग :										
अचल परिसंपत्ति										
सकल ब्लॉक	4831.90	4920.65	5030.21	5217.34	5290.16	5197.08	5389.97	5535.55	5797.26	6618.71
न्यून: मूल्य ह्रास	3568.83	3660.27	3789.40	3983.67	4097.59	3988.28	4107.20	4280.72	4413.47	5053.71
निवल ब्लाक	1263.07	1260.38	1240.81	1233.67	1192.57	1208.80	1282.77	1254.83	1383.79	1565.40
पूंजीगत चालू कार्य	40.63	49.20	41.34	39.85	64.80	36.91	51.28	61.32	106.87	265.86
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ							11.28	46.22	30.36	80.19
गैर चालू निवेश	0.41	0.38	0.34	0.31	0.28	0.21	0.18	0.15	0.13	0.08
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ								864.20	510.99	91.95
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ						18.34	17.68	17.43	16.33	17.41
अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम						6.57	21.04	51.26	99.86	172.71
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम										
चालू निवेश						0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
वस्तु सूची	404.49	427.28	331.42	323.83	453.36	568.72	622.93	442.33	450.52	551.02
विविध देनदार	276.07	269.15	269.84	338.11	746.79	959.20	2459.37	3582.13	1720.01	1426.88
नकद एवं बैंक शेष	1314.80	846.71	664.36	688.98	947.88	940.99	1248.74	1949.53	3852.00	4563.88
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	35.45	35.99	42.75	48.35	33.65	65.83	83.28	187.43	270.65	345.73
ऋण एवं अग्रिम	143.17	132.36	138.00	130.33	146.82	77.59	176.23	183.30	205.25	377.81
पूर्ण योग	2173.98	1711.79	1446.37	1529.60	2328.50	2612.36	4590.58	6344.75	6498.46	7265.35
न्यून : चालू देयताएँ	4137.63	3449.62	3987.79	5120.22	5301.42	4999.97	5548.98	5707.43	5491.33	4587.05
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	-1963.65	-1737.33	-2541.42	-3590.62	-2972.92	-2387.61	-958.40	637.32	1007.13	2678.30
अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	-659.54	-427.87	-1258.93	-2316.79	-1715.27	-1105.50	460.77	2906.72	3155.46	4871.90

टिप्पणी – वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए आँकड़े संशोधित अनुसूची VI के तहत।

लाभ एवं हानि

(करोड़ में)..

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
विक्रय (लेवी का निवल)	3417.68	3518.21	3187.61	3837.40	5227.78	5882.60	8262.09	9191.91	8887.79	10018.54
अन्य आय	227.18	186.01	204.53	207.77	348.76	354.37	298.62	548.56	712.91	894.25
वृद्धि /ह्रास	99.94	22.21	-85.86	-11.90	123.25	112.35	44.32	(168.92)	(5.64)	84.84
निजी उद्देश्य हेतु कर्मशाला कार्य	51.41	45.34	44.72	44.51	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
ब्याज में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
शीर्षक प्रभार में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
विद्युत शुल्क में छूट	34.32	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
विविध उद्देश्यों के लिए जारी कोयला	0.09	0.07	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3830.62	3788.06	3351.09	4077.94	5750.29	6349.32	8605.38	9571.55	9595.06	10997.63
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	1981.69	2160.87	2597.87	3803.75	3364.35	4042.04	5217.06	5300.14	5495.74	5850.50
बकाया वेतन एवं मजदूरी			163.80	504.89	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	404.62	411.14	427.37	486.61	490.96	539.95	574.22	649.95	735.36	797.82
विद्युत एवं ईंधन	272.18	253.63	263.86	259.25	304.79	376.11	382.42	463.82	463.77	475.78
मरम्मत	60.50	67.93	74.63	70.95	82.82	57.02	61.76	60.23	76.47	101.22
सामाजिक ऊपरी प्रभार	166.28	199.72	229.89	268.09	296.40	180.52	79.33	117.12	92.98	24.85
ठेका व्यय	213.27	240.61	210.91	254.97	342.00	410.98	481.42	672.36	742.15	930.65
विविध व्यय	86.96	97.60	134.69	148.51	160.16	176.44	208.45	261.29	265.34	444.37
मूल्य ह्रास	142.98	136.24	147.00	206.86	145.69	184.72	200.90	203.20	213.50	226.36
हानि	14.73	5.29	21.83	20.96	9.51					19.66
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	10.05	0.41	0.29	0.07	0.01	1.01	0.16	8.48	0.98	-
अधिभार निष्कासन	99.80	82.73	80.42	155.86	170.35	164.08	249.19	(324.59)	210.00	174.42
प्रावधान	-8.96	3.64	12.47	17.43	-13.56	87.27	188.99	260.92	(131.57)	98.36
बट्टे खाता	2.69	10.04	0.00	2.76	1.97	22.61	0.00	0.00	127.70	73.42
	3455.77	3672.84	4364.83	6180.85	5415.27	6242.75	7642.90	7672.92	8292.42	9217.40
पीपीए पूर्व वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	374.85	115.22	-1013.74	-2102.92	335.02	106.57	962.13	1898.63	1302.64	1780.23
पूर्व अवधि समायोजन	-2.83	2.90	-12.92	-2.78	-1.62	0.00	0.00	(1.45)	(3.36)	2.18
अनुषंगी हितलाभ कर	-8.10	-7.52	-3.27	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
कर व्यय										
- चालू वर्ष								273.13	73.84	398.59
- मैट क्रेडिट हकदार										(174.62)
- आस्थगित कर								(31.49)	353.21	419.04
- पूर्व वर्ष										
सीपीआरए पश्चात लाभ(+)/हानि(-)	363.96	110.60	-1029.93	-2109.09	333.40	106.57	962.13	1655.54	872.23	1139.40
विगत वर्ष का लाभ एवं हानि	-5618.34	-5254.48	-5143.88	-6458.31	-8567.40	-8234.00	-8127.43	-7165.30	-5509.76	-4637.53
पारगमनीय प्रावधान			-284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
शेष जो तुलनपत्र में लाया गया	**-5254.48**	**-5143.88**	**-6458.31**	**-8567.40**	**-8234.00**	**-8127.43**	**-7165.30**	**-5509.76**	**-4637.53**	**(3498.13)**

नोट : वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए आँकड़े संशोधित अनुसूची VI के तहत।

परिचालन सांख्यिकी

	31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 (क)	कच्चे कोयले का उत्पादन: (मिलियन टन)										
	भूमिगत	9.33	8.27	8.32	8.39	8.23	7.37	6.83	6.85	6.87	7.29
	खुली खदान	21.78	22.20	15.74	19.74	21.83	23.43	23.73	27.05	29.19	32.72
	कुल	31.11	30.47	24.06	28.13	30.06	30.80	30.56	33.90	36.05	40.01
(ख)	उपरीमिट्टी हटाव (मिलियन घन मीटर)	44.30	48.78	39.96	43.07	49.74	56.25	60.31	76.45	85.76	94.05
2	उठाव (कच्चा कोयला): (मिलियन टन)										
	लौह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विद्युत	25.17	26.17	21.94	23.69	25.22	26.21	24.27	30.02	31.05	35.10
	सीमेंट	0.14	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.06	0.08
	उर्वरक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कोलियरी खपत	0.48	0.45	0.42	0.41	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28	0.25
	अन्य	2.90	2.99	2.91	4.01	3.45	3.00	6.08	5.36	4.86	3.04
	कुल :	28.69	29.79	25.44	28.26	29.22	29.74	30.83	35.84	36.25	38.47
3.	जनशक्ति	101474	98760	94943	90470	85317	81126	78009	74276	71826	68661
4.	उत्पादकता (ओ.एम.एस.)										
	भूमिगत	0.45	0.42	0.43	0.46	0.47	0.45	0.44	0.46	0.49	0.53
	खुली खान	6.61	7.03	5.04	6.42	7.29	8.14	8.64	10.17	10.96	12.12
	समग्र	1.29	1.34	1.07	1.33	1.40	1.60	1.68	1.94	2.12	2.45

प्रयुक्त पूँजी, निवल एवं वित्तीय अनुपात

([redacted] करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रयुक्त पूँजी, निवल मालियत एवं वित्तीय अनुपात	-1534.04	-1305.59	-2318.43	-3526.75	-3135.66	-1320.30	171.10	1973.88	2528.15	4569.75
निवल मालियत	-3036.02	-2925.42	-4239.86	-6348.96	-6015.55	-5903.98	-4946.85	-2458.60	-1586.37	1553.42
नकदी अनुपात :										
i) चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं)	0.53	3.60	0.36	0.30	0.44	0.52	0.83	1.11	1.18	1.58
कुल कारोबार अनुपात :										
i) पूंजीगत कुल कारोबार अनुपात (निवल विक्रय/प्रयुक्त पूँजी)	-2.23	-2.52	-1.37	-1.09	-1.67	-4.46	48.29	4.66	3.52	2.18
ii) विविध देनदार (सकल) यथा महीनों की संख्या										
a) सकल उधार बिक्री	1.41	1.29	1.33	1.25	1.61	1.76	2.99	3.93	2.15	1.69
b) निवल उधार बिक्री	1.80	1.65	1.70	1.58	1.93	2.13	3.87	5.20	2.89	2.26
iii) कोयले का स्टॉक (उत्पाद शुल्क का निवल) यथा महीनों की संख्या का बिक्री मूल्य	0.96	1.01	0.80	0.62	0.74	0.84	0.66	0.37	0.38	0.43
iv) भंडार एवं स्पेयर्स का स्टॉक (सकल) यथा महीनों की संख्या में खपत (केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भंडार सहित)	4.61	4.59	4.26	4.00	3.99	3.70	3.78	3.10	2.91	2.85
संरचनात्मक अनुपात :										
i) ऋण : इक्विटी	0.32	3.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.04
ii) ऋण : निवल मूल्य	-0.23	-3.23	-0.16	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.27	-0.43	0.11

टिप्पणी – वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए आँकड़े संशोधित अनुसूची VI के तहत।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र (समेकित)

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी	31.03.2015 को		31.03.2014 को	
I	**इक्विटी एवं देयताएँ**					
(1)	शेयरधारकों की निधि					
	क) शेयर पूँजी	1	4,269.42		2,218.45	
	ख) आरक्षण तथा अधिशेष	2	(2716.00)		(3804.82)	
				(1,553.42)		(1586.37)
(2)	**गैर मौजूदा देयताएँ**					
	क) दीर्घावधि उधार	3	164.33		681.29	
	ख) आस्थगित कर-देयताएँ		---		---	
	ग) अन्य दीर्घावधि देयताएँ	4	18.92		17.99	
	घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	3,135.23		4,042.55	
				3318.48		4,741.83
(3)	**अल्प हित**		---	--		--
(4)	**चालू देयताएँ**					
	क) अल्पावधि उधार	6	129.01		1,714.51	
	ख) व्यापार देय	7	72.56		63.86	
	ग) अन्य चालू देयताएं	8	3,334.07		2,854.20	
	घ) अल्पावधि प्रावधान	9	1,051.41		858.76	
				4,587.05		5,491.33
	कुल			**9,458.95**		**8,646.79**
II	**परिसंपत्तियाँ**					
(1)	**गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ**					
	क) अचल परिसंपत्तियाँ					
	i) मूर्त परिसंपत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	5,276.83		4,863.43	
	न्यून: मूल्य ह्रास, हानि एवं प्रावधान		3,843.25		3,607.44	
	निवल भार मूल्य			**1,433.58**		**1,255.99**
	ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	1,341.88		1,295.49	
	न्यून: मूल्य ह्रास, हानि एवं प्रावधान		1,210.06		1,167.69	
	निवल भार मूल्य			**131.82**		**127.80**

तुलन-पत्र जारी है .....

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी		31.03.2015 को		31.03.2014 को
	iii) पूँजीगत चालू कार्य	10 ख		265.86		106.87
	iv) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ	10 ग		80.19		30.36
(ख)	गैर-मौजूदा निवेश	11		0.08		0.13
(ग)	आस्थगित कर आस्तियाँ			91.95		510.99
(घ)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		172.71		99.86
(ङ)	अन्य गैर-मौजूदा आस्तियाँ	13		17.41		16.33
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**	14	0.03		0.03	
	क) चालू निवेश	15	551.02		450.52	
	ख) वस्तु सूची	16	1,426.88		1,720.01	
	ग) व्यापार प्राप्तियाँ	17				
	घ) नकद एवं बैंक शेष	18	4,563.88		3,852.00	
	ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	377.81		205.25	
	च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	345.73		270.65	
				7,265.35		6,498.46
	कुल			**9,458.95**		**8,646.79**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 33
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणीयाँ 34
उपरोक्त टिप्पणीयाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है।

वी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

सुधीर दत्ता
महाप्रबन्धक (प्रभारी)

वी. आर. रेड्डी
निदेशक (तक.) योज. परि.
डीआईएन – 07001710

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 02186695

दिनांक : 26.05.2015
स्थान : कोलकाता

(डी. चौधरी)
भागीदार
सदस्य संख्या - "052066"
कृते एम. चौधरी एंड कंपनी
अधिकृत लेखापाल
फर्म पंजीयन सं – 302186 ई

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ - हानि लेखा

आय	टिप्पणी	31 मार्च, 2015 हेतु (₹ करोड़ में) को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 हेतु (₹ करोड़ में) को समाप्त वर्ष
संचालन से प्राप्त राजस्व			
क) कोयले का विक्रय	20	13,413.84	11,945.92
न्यून: उत्पाद शुल्क		(655.62)	(595.80)
अन्य उगाही		(2,739.68)	(2,462.33)
शुद्ध विक्रय		10,018.54	8,887.79
ख) अन्य परिचालित राजस्व (शुद्ध)		221.99	221.66
i) परिचालन से राजस्व (क+ख)		10,240.53	9,109.45
ii) अन्य आय	21	672.26	491.25
कुल राजस्व (i + ii)		**10,912.79**	**9,600.70**
व्यय			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	22	797.82	735.36
तैयार माल, चालू कार्य एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	23	-84.84	5.64
कर्मचारी लाभ व्यय	24	5,850.50	5,512.57
बिजली तथा ईंधन		475.78	463.77
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	25	24.85	--
मरम्मत	26	101.22	76.47
संविदात्मक व्यय	27	1,025.03	820.53
वित्तीय लागत	28	--	--
मूल्य ह्रास / ऋण परिशोधन / हानि		244.79	213.50
प्रावधान	29	99.58	-131.57
बट्टे खाते डाला गया	30	73.42	127.70
अधिभार निष्कासन समायोजन		174.42	210.00
अन्य खर्च	31	349.99	264.09
कुल व्यय		**9,132.56**	**8,298.06**
लाभ / हानि पूर्वावधि समंजन, अपवाद एवं असाधारण मदों तथा कर		**1,780.23**	**1,302.64**
पूर्वावधि समायोजन (प्रभार / (आय))	32	-2.18	3.36

तुलन–पत्र जारी है .....

(₹ करोड़ में)

आय	टिप्पणी	31 मार्च, 2015 हेतु (₹ करोड़ में) को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 हेतु (₹ करोड़ में) को समाप्त वर्ष
विशिष्ट मदों		-	-
असाधारण मदों एवं कर के पहले लाभ / (हानि)		**1,782.41**	**1,299.28**
असाधारण मदों {प्रभार / (आय)}		-	-
कर के पहले लाभ / (हानि)		**1,782.41**	**1,299.28**
न्यून : – कर व्यय			
– चालू वर्ष		398.59	73.84
– बकाया कर		−174.62	
– विगत वर्ष		419.04	353.21
अवधि के दौरान लाभ / (हानि)		**1,139.40**	**872.23**
प्रति शेयर अर्जन (₹)			
(₹ 1000/- प्रति शेयर अंकित मूल्य)			
(1) आधार		513.6	393.17
(2) तनुकृत		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	33		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणीयाँ	34		

उपरोक्त संबंधित टिप्पणीयाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है।

बी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

सुधीर दत्ता
महाप्रबन्धक (प्रभारी)

बी. आर. रेड्डी
निदेशक (तक.) योज. परि.
डीआईएन – 07001710

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 02186695

दिनांक : 26.05.2015
स्थान : कोलकाता

(डी. चौधरी)
भागीदार
सदस्य संख्या - "052066"
कृते एम. चौधरी एंड कंपनी
अधिकृत लेखापाल
फर्म पंजीयन सं – 302186 ई

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्षहेतु
[लेखा मानक – 3 (संशोधित) के अनुसार]

(₹ करोड़ में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु
क) परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		1,782.41		1,299.28
योग/(न्यून) : परिचालनेतर खर्च/(परिचालनेतर आय)				
देयता प्रतिलेखन	(12.43)		(124.45)	
मूल्य ह्रास एवं हानि	244.79		213.50	
ब्याज आय	(421.99)		(189.86)	
ओबीआर समायोजन	174.42		210.00	
परिसम्पत्ति बिक्री पर लाभ	(1.10)		(1.63)	
परिसम्पत्ति/सर्वेक्षित बंद परिसंपत्ति ह्रास पर प्रावधान	1.56		4.01	
विदेशी मुद्रा अनिश्चितता पर नामे / (साख)	9.61		13.46	
		(5.14)		125.03
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ -		1,777.27		1,424.31
व्यापार प्राप्य में कमी /(वृद्धि)	293.13		1,862.12	
ऋण एवं अग्रिम में कमी/ (वृद्धि)	(70.79)		(16.27)	
गैर-चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(76.16)		(88.51)	
वस्तुसूची में कमी / (वृद्धि)	(100.50)		(8.19)	
देयताओं एवं प्रावधानों में (देयताएँ प्रतिलेखन छोड़कर) में वृद्धि / (कमी)	(625.68)	(580.00)	(1,054.59)	694.56
परिचालन से उत्पन्न नकद :		1197.27		2118.87
अग्रिम आयकर भुगतान	215.42	215.42	–	–
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क):		981.85		2118.87
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
पूँजीगत चालू कार्य सहित परिसंपत्तियों की खरीद	(686.69)		(408.87)	
अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में समायोजन	(0.67)		6.70	

पावर बॉड का शोधन	0.05		0.02	
प्राप्त पट्टे का भाड़ा	(1213.12)		(1153.55)	
ब्याज आय	421.99		189.86	
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	1.10	(1477.34)	1.63	(1,364.21)
निवेश गतिविधियों (ख) से निवल नकद प्रवाह		(1477.34)		(1364.21)
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
दीर्घावधि उधार का पुनर्भुगतान	(5.75)		(5.74)	
वित्तीय गतिविधियों (ग) से नकद प्रवाह	**(5.75)**		**(5.74)**	
नकद/नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		(501.24)		748.92
नकद/नगद समतुल्य (तीन मास से अधिक जमापूंजी रहित)				
प्रारंभिक नकद एवं नकद समतुल्य	1188.07		439.15	
अंतिम नकद एवं नकद समतुल्य	686.83	(501.24)	1188.07	748.92

पी. आर. रेड्डी
कंपनी सचिव

सुबीर दत्ता
महाप्रबन्धक (प्रभारी)

बी. आर. रेड्डी
निदेशक (तक.) योज. परि.
डीआईएन – 07001710

राकेश सिन्हा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 02186695

दिनांक : 26.05.2015
स्थान : कोलकाता

(डी. चौधरी)
भागीदार
सदस्य संख्या - "052066"
कृते एम. चौधरी एंड कंपनी
अधिकृत लेखापाल
फर्म पंजीकरण सं – 302186 ई

समेकित तुलन–पत्र की टिप्पणी

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2015 तक के तुलन पत्र की टिप्पणी
टिप्पणी – 1

शेयर पूँजी	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
अधिकृत		
i) ₹ 1000/- प्रत्येक के 2,50,00,000 ईक्विटी शेयर	2500.00	2500.00
ii) ₹ 1000/- प्रत्येक के 2,10,00,000 (पी. वाई. शून्य) 6% में	2100.00	–
	4600.00	2500.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹ 1000/- के प्रत्येक के नकद रूप में पूर्ण प्रदत्त 1,03,90,000 ईक्विटी शेयर	1039.00	1039.00
₹ 1000/- के प्रत्येक के नकद के अतिरिक्त प्राप्त	1179.45	1179.45
नकद के अलावा, प्राप्त विचार हेतु पूर्ण भुगतान के रू,	2050.97	–
कुल	**4269.42**	**2218.45**

टिप्पणी 1.1 : कंपनी में शेयरधारकों द्वारा 5% से अधिक धारित शेयर।

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक ₹1000/- का अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत %
कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी (इक्विटी शेयर)	22184500	100%
कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी (प्रेफ्रेंस शेयर)	20509700	100%

टिप्पणी 1.2 : क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या।

टिप्पणी 1.2 : ख) वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी, कोल।

समेकित तुलन-पत्र की टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 2

आरक्षित एवं अधिशेष

	31.03.2015 को	31-03-2014 को
आरक्षित :	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
आरक्षित पूंजी :		
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
योग : वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
पूंजी मोचन आरक्षित :		
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
योग : वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन हेतु आरक्षित		
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
योग - वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	-
न्यून - सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित :		
विगत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
योग - वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
न्यून : सामान्य आरक्षित के अंतरन	-	-
	-	-
सामान्य आरक्षित :		
विगत तुलनपत्र के अनुसार	832.71	832.71
योग - लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-	-
योग/न्यून - वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
	832.71	832.71
लाभ एवं हानि लेखा में अधिशेष	-	-
विगत तुलनपत्र के अनुसार	(4,637.53)	(55,009.76)
प्रतिधारित आय (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार)	(50.58)	-

संमेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ	1,139.40	872.23
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ / (हानि)	(3,548.71)	(4,637.53)
विनियोजन :		
विदेशी विनिमय लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	-	-
सीएसआर आरक्षित को अंतरण	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-
	-	-
	-3548.71	-4,637.53
विविध व्यय		
(बट्टा खाता नहीं डालने के सीमा तक)		
प्रारंभिक खर्च	-	-
पूर्व-परिचालन खर्च	-	-
तुलनपत्र में समाहित कुल शेष	(2,716.00)	(3,804.82)

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 3

दीर्घावधि उधार

सावधि ऋण (क)	**31-03-2015 को (₹ करोड़ में)**	**31-03-2014 को (₹ करोड़ में)**
आई बी आर डी	-	-
जे बी आई सी	-	-
निर्यात विकास निगम, कनाडा	164.33	162.32
निभेर फ्रांस एस.ए. फ्रांस	–	–
कोल इंडिया लि० से ऋण (ख)	–	518.97
कुल (क + ख)	**164.33**	**681.29**
वर्गीकरण – 1		
जमानती	-	-
अजमानती	164.33	681.29

वर्गीकरण – 2

निदेशकों एवं अन्य द्वारा प्रतिभूतित ऋण

ऋण का विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा।	164.33	भारत सरकार
पिछले वर्ष	162.32	भारत सरकार

टिप्पणी 3.1 : सीआईएल द्वारा एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कोरपोरेशन, कनाडा से गैर–जमानती ऋण के संबंध में विनिमय अस्थिरता नामे ₹ 7.89 करोड़ (₹ 13.46 करोड़) को जमानती मूल्य में समायोजित कर लिया गया है तथा इसे लाभ–हानि में टिप्पणी सं. 31 में दिखाया गया है।

टिप्पणी 3.2 : वर्ष के दौरान सीआईएल द्वारा ₹ 5.75 करोड़ (₹ 5.74 करोड़) के विदेशी ऋण की वापसी की गयी।

टिप्पणी 3.3 : वर्ष के दौरान सीआईएल ऋण को 6% गैर परिवर्तनीय संचयी, प्रतिदेय वरीयता वाली ।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी.....)

टिप्पणी - 4

अन्य दीर्घावधि देयताएं :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
विस्थापन एवं पुनर्वास निधि :		
आरंभिक शेष	-	-
योग – निधि के निवेश से ब्याज	-	-
योग – प्राप्त अंशदान	-	-
न्यून – उपयोग की गई राशि	-	-
	-	-
देय व्यापार		
जमानती जमा	17.54	16.79
अन्य (विशिष्ट प्रकृति)	1.38	1.20
कुल	18.92	17.99

टिप्पणी - 5

दीर्घावधि का प्रावधान :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
कर्मचारियों के लाभ हेतु		
- उपदान	256.56	1,515.36
- अवकाश नकदीकरण	499.71	451.72
- अन्य कर्मचारी लाभ	304.14	276.91
	-	-
विदेशी विनिमय लेनदेन हेतु (बाजार ओबीआर समायोजन लेखा)	-	-
ओबीआर समायोजन लेखा	1,785.17	1,610.75
खदान बंदी	148.06	73.52
अन्य (सेवानिवृति के उपरांत चिकित्सा लाभ)	141.59	114.29
कुल	3,135.23	4,042.55

टिप्पणी 5.1: वर्ष समाप्ति पर उपदान, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ तथा अन्य कर्मचारी लाभ जैसे सकल व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी, अवकाश यात्रा रियायत, खदान दुर्घटना में मृत्यु के संबंध में आश्रितों को मुआवजा की वर्ष के अंत देयता को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

टिप्पणी 5.1: ₹ 2042.35 करोड़ (₹ 662.31 करोड़) की उपदान ट्रस्ट राशि शेष के समायोजन के पश्चात दीर्घावधि उपदान का प्रावधान।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी.....)

टिप्पणी - 6

अल्पावधि उधार :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
बैंक में ऋण	-	-
मांग पर चुनौती योग्य ऋण		
कोल इंडिया लि० एवं अन्य अनुषंगियों के साथ शेष	129.01	1,714.51
सावधि जमा के गिरवी के विपरित	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
असुरक्षित ऋण	-	-
कुल	**129.01**	**1,714.51**
वर्गीकरण – 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	129.01	1,714.51

वर्गीकरण – 2
निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य
पिछले वर्ष (शून्य)	शून्य	शून्य

टिप्पणी 6.1 : वर्ष के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ₹ 1532 करोड़ के शेष को 6% गैर-परिवर्तनीय।

टिप्पणी - 7

देय व्यापार :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
राजस्व भंडार के लिए विविध देनदार	72.56	63.86
कुल	**72.56**	**63.86**

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी.....)

टिप्पणी - 8

अन्य चालू देयताएँ :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता		
आई बी आर डी से सावधि ऋण	-	-
जे बी आई सी से सावधि ऋण	-	-
एक्सपोर्ट डेवेलोप्मेंट कॉरपोरेशन, कनाडा से सावधि ऋण	5.88	5.75
लिभिरे फ्रांस एस.ए. फ्रांस से सावधि ऋण	-	-
कोल इंडिया लि० से ऋण	-	-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
पूंजी के लिए (भंडार सहित)	71.59	20.73
व्यय के लिए		
वेतन एवं भत्ते	298.43	330.57
विद्युत एवं ईंधन	55.79	61.01
अन्य	107.38	95.19
	461.60	486.77
वैधानिक बकाया		
विक्रय कर / वैट	3.00	-
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	68.10	66.09
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.32	23.34
कोयला पर रॉयल्टी एवं उपकर	42.11	29.74
नीभरण उत्पाद शुल्क	11.36	11.05
स्वच्छ उर्जा उपकर	98.16	24.51
अन्य वैधानिक कर	42.20	17.52
	265.25	172.25
स्रोत पर काटा गया आयकर	47.00	38.13
जमानती जमा	90.54	79.63
बयाना/अग्रिम धन	49.37	48.02

ग्राहक / अन्य से अग्रिम एवं जमा	526.00	388.17
उधारी पर उपचित एवं देय ब्याज	-	-
उधारी पर उपचित किन्तु वसूल न किया गया	-	-
उपकर समानीकरण खाता	1410.51	1241.82
आईआईसीएम के साथ चालू खाता	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
अदत्त गैर मालिकाना खाता	-	-
राष्ट्रीकरण पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
अन्य देयताएँ	406.33	372.93
कुल	**3,334.07**	**2,854.20**

टिप्पणी 8.1: कोयला धारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर के भुगतान की प्रक्रिया में पहले के दो वर्षों के औसत उत्पादन जो प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को प्रचलित दर पर तथा कोयले के प्रेषण के मूल्य पर पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च के कोयले के विक्रय मूल्य पर विचार करते हुए ग्राहकों से वसूल किया गया, इससे ₹ 1410.51 करोड़ (₹ 1241.82 करोड़) की देय राशि शेष रही जिसे उपकर समानीकरण खाता के तहत दिखाया गया है।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी ...)

टिप्पणी- 9

अल्प अवधि प्रावधान :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
कर्मचारियों के लाभ के लिए		
- उपदान	74.84	76.09
- अवकाश नकदीकरण	73.06	75.03
- पीपीएलबी	261.78	217.39
- पीआरपी	330.29	264.46
- अन्य कर्मचारी लाभ	65.57	69.12
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
निगमित लाभांश कर के लिए	-	-
आयकर हेतु प्रावधान	469.52	154.06
न्यून - स्रोत पर काटा गया कर / अग्रिम आयकर	252.91	18.74
कोयले के शेष माल पर उत्पाद शुल्क हेतु	26.14	18.59
अन्य के लिए	2.58	2.76
कुल	1051.41	858.76

टिप्पणी 9.1 : ₹ 310.93 करोड़ (₹ 355.74 करोड़) की उत्पादन छूट राशि शेष के समायोजन के पश्चात अल्पावधि उपदान का प्रावधान।

टिप्पणी - 10 क

अचल परिसंपत्तियाँ

(■ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				हानि / प्रावधान					निवल वहन मूल्य	
	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/ विक्रय /अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/ विक्रय /अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/ विक्रय /अंतरण	31.03.14 को	कुल मूल्य ह्रास /हानि	31.03.15 को	31.03.14 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(a) पूर्ण स्वामित्व	69.68	34.90	(31.85)	72.73	5.59	-	(5.58)	0.01	--	--	--	--	0.01	72.72	64.09
(b) पट्टाधारी	124.22	99.33	31.38	254.93	33.05	13.57	5.58	52.20	--	--	--	--	52.20	202.73	91.17
भवन/जल वाहनियाँ/सड़क एवं पुलिया	493.02	20.54	(0.30)	513.26	234.59	17.13	13.01	264.78	--	--	--	--	264.78	248.48	258.43
संयंत्र एवं उपकरण	3625.87	288.34	(39.55)	3852.66	2835.36	164.45	(6.36)	2993.45	--	--	--	--	2993.45	859.21	790.51
दूर संचार	31.71	0.28	--	31.99	18.61	1.06	--	19.67	--	--	--	--	19.67	12.32	13.10
रेलवे साइडिंग	26.75	1.50	--	28.25	19.91	0.93	0.94	21.78	--	--	--	--	21.78	6.47	6.84
उपस्कर/कार्यालय टूल्स एवं उपकरण / विद्युत फिटिंग / आरोपण	107.40	8.67	--	116.07	77.67	4.47	4.57	86.71	--	--	--	--	86.71	29.36	29.73
वाहन	13.96	0.44	(0.26)	14.14	11.04	0.26	(0.25)	11.85	--	--	--	--	11.85	2.29	2.12
विमान															
जलयान															
राष्ट्रीयकरण के दौरान अधिग्रहित	9.16	--	(0.99)	8.17	9.16	--	0.98	8.17	--	--	--	--	8.17	--	--
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ	361.66	--	22.97	384.63	--	--	--	--	361.66	1.23	21.74	384.63	384.63	--	--
कुल	**4863.43**	**432.00**	**(18.60)**	**5276.83**	**3246.78**	**201.92**	**10.92**	**3458.62**	**361.66**	**1.23**	**21.74**	**384.63**	**3843.25**	**1433.58**	**1255.99**
मूर्त परिसम्पत्तियां 31.03.2014 को	4272.75	317.08	(88.06)	4501.77	3160.59	161.64	(76.45)	3245.78	--	--	--	--	3245.78	1255.99	1124.94
अमूर्त परिसंपत्तियां															
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकास	1092.75	45.75	--	1138.50	738.06	20.91	--	758.97	231.78	17.26	2.62	251.66	1110.63	127.87	122.91
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग	202.74	0.64	--	203.38	136.79	1.16	(0.20)	137.75	61.06	0.62	--	61.68	199.43	3.95	4.89
कुल	**1295.49**	**46.39**	**--**	**1341.88**	**874.85**	**22.07**	**(0.20)**	**896.72**	**292.84**	**17.88**	**2.62**	**313.34**	**1210.06**	**131.82**	**127.80**
अमूर्त परिसंपत्तियां (31.03.2014 को)	1262.80	32.75	(0.06)	1295.49	842.27	32.57	0.01	874.85	277.86	15.27	(0.29)	292.84	1167.69	127.80	157.83
कुल योग	6158.92	478.39	(18.60)	6618.71	4120.63	223.99	10.72	4355.34	654.50	19.11	24.36	697.97	5053.31	1565.40	1383.79

टिप्पणी 10(क)1 किरायेदारी भूमि की प्रत्यक्ष खरीद को पूरा अधिगृहीत भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
कोयला धारित अधिग्रहण अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण, अधिनियम 1894 के अंतर्गत अधिगृहित भूमि, राष्ट्रीयकरण के समय विरासत में मिली भूमि, सरकारी भूमि एवं जंगली भूमि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण।

टिप्पणी 10(क)2 कंपनी द्वारा अधिग्रहित कुछ भूमि सहित भूमि जिसके लिए स्वत्व विलेख इत्यादि जैसे वैधानिक औपचारिकता लंबित है। यद्यपि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि हेतु मूल्यांकन का निर्धारण लंबित है जिसमें वैधानिक औपचारिकता शामिल है।

टिप्पणी 10(क)3 सर्वे ऑफ परिसंपत्तियों के मूल्य पर ■1.23 करोड़ (■3.87 करोड़) की राशि का पूर्ण प्रावधान।

टिप्पणी – 10 ख
पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				हानि					वहन मूल्य	
	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/ विक्रय/ अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/ विक्रय/ अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/ विक्रय/ अंतरण	31.03.15 को	कुल प्रावधान / हानि	31.03.15 को	31.03.14 को
मूर्त परिसम्पत्तियां															
भवन/जलापूर्ति सड़क एवं पुलिया	19.46	29.74	(20.62)	28.58	5.91	0.01	–	5.92	–	–	–	–	5.92	22.66	13.55
संयंत्र एवं उपकरण	122.37	327.87	(196.15)	254.09	36.69	0.28	(0.01)	36.96	–	–	–	–	36.96	217.13	85.68
रेलवे साइडिंग	7.14	17.81	(1.21)	23.74	2.63	–	–	2.63	–	–	–	–	2.63	21.11	4.51
विकास	–	0.08	–	0.08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.08	–
अन्य	4.08	11.49	(9.71)	5.86	0.95	0.03	–	0.98	–	–	–	–	0.98	4.88	3.13
कुल	**153.05**	**386.99**	**(227.69)**	**312.35**	**46.18**	**0.32**	**(0.01)**	**46.49**	**–**	**–**	**–**	**–**	**46.49**	**265.86**	**106.87**
कुल योग 31.03.2014 को	107.41	318.95	(273.31)	153.05	46.09	0.14	(0.05)	4.18	–	–	–	–	46.18	106.87	61.32

टिप्पणी 10(ख)1: अवधि के अंत तक मूर्त परिसंपत्तियों के लिए कुल प्रावधान ₹ 46.49 करोड़ (₹ 46.18 करोड़) है।

टिप्पणी – 10 ग
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				हानि				कुल मूल्य प्रावधान/हानि	वहन मूल्य	
	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/विक्रय/अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/विक्रय/अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	अवधि के दौरान अनुवृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन/विक्रय/अंतरण	31.03.15 को		31.03.15 को	31.03.14 को
अमूर्त परिसम्पत्तियां															
विकास	62.70	57.11	(40.13)	79.68	10.47	0.01	(2.27)	8.21	22.58	1.78	(0.35)	24.01	32.22	47.46	29.66
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग	4.82	32.66	(0.64)	36.84	2.73	–	–	2.73	1.38	–	–	1.38	4.11	32.73	0.71
कुल	**67.52**	**89.77**	**(40.77)**	**116.52**	**13.20**	**0.01**	**(2.27)**	**10.94**	**23.96**	**1.78**	**(0.35)**	**25.39**	**36.33**	**80.19**	**30.36**
अमूर्त परिसंपत्तियां (31.03.2012 को)	54.12	46.56	(33.16)	67.52	13.94	–	(0.74)	13.20	19.97	4.02	(0.03)	23.96	37.16	30.36	20.21

टिप्पणी– 10 (ग). 1 : अवधि के अंत तक अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत ₹ 36.33 करोड़ (₹ 37.16 करोड़) का कुल प्रावधान/हानि किया गया है।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी ...)

टिप्पणी - 11

गैर चालू निवेश – लागत पर गैर-उद्धृत :

	चालू वर्ष/(विगत वर्ष) में शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति की संख्या	चालू वर्ष/(विगत वर्ष) में शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (₹)	31.03.15 को (₹ करोड़ में)	31.03.14 को (₹ करोड़ में)
व्यापार				
8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड (पूर्णतः प्रदत्त) (विविध देनदार का प्रतिभूतिकरण पर)				
मुख्य राज्यवार विश्लेषित आँकड़े (प्रत्येक 1,65,000/- का 4 बॉन्ड)				
उत्तर प्रदेश		-	-	0.05
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-
पं० बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त कंपनियों में इक्विटी शेयर (संयुक्त उद्यमों के नाम के साथ)	-	-	-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर (अनुषंगीयों के नाम के साथ)	-	-	-	-
अन्य (सहकारी शेयर में)	-	-	0.08	0.08

i) कोल माइन्स ऑफिसरस को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में प्रत्येक ₹1000/- का 500 'बी' क्लास शेयर ₹0.05.

ii) डिसेरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लि. में प्रत्येक ₹100/- का 1000 'डी' क्लास शेयर ₹0.01

iii) मुगमा कोलफील्ड्स कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑप्ट स्टोर लि. में प्रत्येक ₹25/- का 4000 शेयर ₹0.01

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी....)

टिप्पणी - 11

गैर चालू निवेश – लागत पर गैर–उद्धृत :

	चालू वर्ष/विगत वर्ष) में शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति की संख्या	चालू वर्ष/विगत वर्ष) में शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति की अंकित मूल्य (₹)	31.03.15 को (₹ करोड़ में)	31.03.14 को (₹ करोड़ में)
iv) सोदपुर कोलियरी इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में प्रत्येक ₹100/- का 500 'बी' क्लास शेयर और धेमोमेन कोलियरी इम्प्लाईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में प्रत्येक ₹100/- का 500 'बी' क्लास शेयर ₹0.01				
गैर व्यापार				
7.5% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बांड 2021 सिरीज		-	-	- -
कुल :			**0.08**	**0.13**

उद्धृत निवेश का कुल	-	-
गैर उद्धृत निवेश का कुल	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश मूल्य में कमी के लिए बने प्रावधान	-	-

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी ...)

टिप्पणी - 12

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम : (₹ करोड़ में)

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
ऋण		
अग्रिम		
पूँजी के लिए		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	162.29	88.57
- संदिग्ध	3.95	4.80
	166.24	93.37
न्यून : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	3.95	4.80
	162.29	88.57
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	2.23	2.20
- संदिग्ध	0.56	0.56
	2.79	2.76
न्यून : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	0.56	0.56
	2.23	2.20
जमानती जमा		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	7.26	7.89
- संदिग्ध	1.52	0.66
	8.78	8.55
न्यून : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	1.52	0.66
	7.26	7.89
दूरसंचार, विद्युत इत्यादि हेतु जमा		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	0.35	0.37
- संदिग्ध	0.44	0.44
	0.79	0.81
न्यून: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	0.44	0.44
	0.35	0.37

कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण

भवन निर्माण के लिए		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	0.56	0.82
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	0.56	0.82
मोटर कार एवं अन्य साधन के लिए		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	0.02	0.01
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	0.02	0.01
अन्य के लिए	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
न्यून: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	172.71	99.86
अनुषंगी कंपनियों को ऋण	-	
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
कुल	172.71	99.86

टिप्पणी :

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रुचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी ....)

टिप्पणी - 13

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ :

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
दीर्घावधि व्यापारिक प्राप्य राशियाँ		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
न्यून - अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशि हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
अनवेषणात्मक ड्रीलिंग कार्य	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
न्यून- अशोध्य एवं संदिग्ध हेतु प्रावधान	-	-
खान परिसमाप्ति व्यय हेतु प्राप्त	1.09	-
	-	-
अन्य प्राप्य राशियाँ	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	16.32	16.33
- संदिग्ध	4.98	5.22
	21.30	21.55
न्यून - अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशि हेतु प्रावधान	4.98	5.22
	16.32	16.33
कुल	**17.41**	**16.33**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनी के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

न

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी.....)

टिप्पणी - 14

चालू निवेश – लागत पर उद्धृत / अउद्धृत:

	चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) में शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति की संख्या	चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) में प्रति शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (₹)	चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) प्रति शेयर/बॉन्ड/ प्रतिभूति का बाजार	31.03.15 को (₹ करोड़ में)	31.03.14 को (₹ करोड़ में)
गैर व्यापार					
म्यूचुअल फंड निवेश (म्यूचुअल फंड के नाम के साथ) 7.55% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड 2021 सीरीज	-	-	-	-	-
व्यापार					
8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध देनदारों की प्रतिभूतिकरण पर) मुख्य राज्यवार विश्लेषित आंकड़े (प्रत्येक 1,65,000/- का 2 बॉन्ड)					
उत्तर प्रदेश				0.03	0.03
कुल :				**0.03**	**0.03**
उद्धृत निवेश का कुल				-	-
गैर-उद्धृत निवेश का कुल				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
अउद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश मूल्य में कमी के लिए बने प्रावधान				-	-

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी....) :

टिप्पणी - 15

वस्तुसूची :

		31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
	कोयले का स्टॉक	386.00	299.95
	विकासाधीन कोयला	-	-
	न्यून: प्रावधान	1.76	1.76
क)	**न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध विक्रय मूल्य पर कोयले का स्टॉक (निवल)**	**384.24**	**298.19**
	भंडार एवं स्पेयर्स का स्टाक	188.06	177.68
	भंडारों में पारगमन	0.34	0.06
	न्यून: प्रावधान	38.81	43.97
ख)	**भंडार एवं स्पयर्स का निवल स्टाक (लागत पर)**	**149.59**	**133.77**
ग)	**कर्मशाला कार्य :**		
	चालू कार्य एवं तैयार माल	**16.5**	**18.06**
	न्यून : प्रावधान	**0.12**	**0.2**
	कर्मशाला कार्य का निवल स्टाक	**16.38**	**17.86**
घ)	**प्रेस :**		
	चालू कार्य एवं तैयार माल	-	-
ङ)	केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं का स्टॉक (लागत पर)	**0.81**	**0.70**
च)	विक्रय हेतु पूर्वेक्षण एवं बोरिंग / विकसित अन्वेषण/ कोयला ब्लॉक	-	-
	कुल (क से च)	**551.02**	**450.52**

टिप्पणी - 15.1 : केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर मे भंडार का अंतिम स्टॉक भारित औसत लागत पर मूल्यांकन किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 38.81 करोड़ (₹ 43.97 करोड़) के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल –

(क) मार्च, 2015 तक द्विआधारी कार्ड एवं भंडार बही के बीच शून्य (₹ 2.07 करोड़) का देखा गया मात्रात्मक असमानता हेतु प्रावधान।

(ख) बेकार, क्षतिग्रस्त एवं अप्रचलित भंडार हेतु ₹ 10.47 करोड़ (₹ 10.47 करोड़) का प्रावधान।

(ग) अचल भंडार एवं स्पेयर्स हेतु ₹ 28.34 करोड़ (₹ 31.43 करोड़) का प्रावधान।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी....)

टिप्पणी – 15 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ लाख में)

सारणी – क

31.03.2015 को बही स्टॉक के साथ लेखा में अपनाया गया बंद स्टॉक का मिलान

	समग्र स्टॉक		गैर विक्रय योग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.13 को प्रारंभिक स्टॉक	23.64	346.51	4.71	4656.00	19.13	29995.00
(ख) प्रारंभिक स्टाक में समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23.64	34651.00	4.71	4656.00	19.13	29995.00
2. वर्ष के लिए उत्पादन	400.06	1019102.00	0.00	0.00	400.06	1019102
3. पूर्ण-योग (1+2)	423.92	1053753.00	4.71	4656.00	419.21	1049097.00
4. वर्ष के लिए कुल खरीद						
(क) बाह्य प्रेषण	382.20	1001853.00	0.00	0.00	382.20	1001853.00
(ख) वाशरीज को कोयला संभरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) निजी खपत	2.50	8644.00	0.00	0.00	2.50	8644.00
कुल 4 (क+ख+ग)	384.70	1010497.00	0.00	0.00	384.70	1010497.00
5. व्युत्पन्न स्टॉक	39.22	43256.00	4.71	4656.00	34.51	38600.00
6. मापित स्टॉक	38.61	42295.00	4.71	4656.00	33.90	37929.00
7. अंतर (5-6)	0.61	671.00			0.61	671.00
8. अंतर का ब्रेकअप						
(क) 5% के बीच अधिक	0.07	73.00	0.00	0.00	0.07	73.00
(ख) 5% के बीच कमी	0.68	744.00	0.00	0.00	0.68	744.00
(ग) 5% से ज्यादा उपर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) 5% से ज्यादा कमी	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9. लेखा में (5-8 क + 8 ख) में अंगीकृत अंतिम स्टॉक	39.22	43256.00	4.71	4656.00	34.51	38600.00

टिप्पणी : उत्पादन में 0.02 लाख टन जब्त कोयला भी शामिल है।

लेखा पर टिप्पणी का भाग

कोयले के अंतिम स्टाक का सारांश

सारणी – ख

	कच्चा कोयला				वाश्ड/कौशिल्ड कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर–कोकिंग		कोकिंग		गैर–कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टाक (लेखा परीक्षित)	-	-	23.84	34651.00	-	-	-	-	-	-	23.84	34651.00
न्यून : गैर विक्रय योग्य कोयला	-	-	4.71	4656.00	-	-	-	-	-	-	4.71	4656.00
प्रारंभिक स्टॉक (विक्रय योग्य) में समायोजन	-	-	19.13	29995.00	-	-	-	-	-	-	19.13	29995.00
उत्पादन	-	-	400.08	1019102.00	-	-	-	-	-	-	400.08	1019102.00
ऑफटेक												
(क) बाह्य प्रेषण	-	-	382.20	1001853.00	-	-	-	-	-	-	382.20	1001853.00
(ख) वाशरीज को कोयला संभरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) निजी खपत	-	-	2.5	8644.00	-	-	-	-	-	-	2.5	8644.00
											-	-
अंतिम स्टॉक												
न्यून - कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम स्टॉक (टिप्पणी - 15)	-	-	34.51	38600.00	-	-	-	-	-	-	34.51	38600.00
न्यून – स्लरी कोयला	-	-	-	249.00	-	-	-	-	-	-	-	249.00
अंतिम स्टॉक (टिप्पणी - 23)	-	-	-	38351.00	-	-	-	-	-	-	-	38351.00

टिप्पणी : उत्पादन में 0.02 लाख टन जब कोयला भी शामिल है।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी ....)

टिप्पणी - 16

व्यापारिक प्राप्य राशियाँ

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2012 को (₹ करोड़ में)
नियत तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	761.31	1142.74
- संदिग्ध	455.07	423.70
	1216.38	1566.44
न्यून- अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशि हेतु प्रावधान	455.07	423.70
	761.31	1142.74
अन्य ऋण	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	665.57	577.27
- संदिग्ध	8.07	
	673.64	577.27
न्यून -अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्ति राशि हेतु प्रावधान	8.07	
	665.57	577.27
कुल	**1426.88**	**1720.01**

टिप्पणी	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू अवधि	पूर्व अवधि	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी 16.1 :- वर्ष के दौरान पार्टियों के साथ समंजस्य, निपटारण तथा जमा-नोट जारी करके ग्रेड स्लीपेज के लिए ₹86.25 करोड़ (पूर्वावधि में ₹ 382.91 करोड़) की राशि का समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 16.2 :- प्रावधान का विवरण निम्नवत है :

	(₹ करोड़ में) 31.03.2015	(₹ करोड़ में) 31.03.2014
प्रारंभिक प्रावधान	423.70	399.39
न्यून-प्रारंभिक देनदार के विरूद्ध निपटारित / बट्टे खाते में	—	—
योग-वर्ष के दौरान नए प्रावधान	90.23	92.82
न्यून- प्रारंभिक प्रावधान से प्रतिलेखन	50.79	68.51
अंतिम शेष	463.14	423.70

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी ....)

टिप्पणी- 17

नकद एवं बैंक शेष

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
नकद एवं नकद समतुल्य –		
(अनसूचित बैंकों के साथ शेष)		
- एसबीआई लाभांश लेखा (अदत्त/अदावी लाभांश खाता)	318.28	529.32
- 3 महीने तक परिपक्वता के साथ जमा खातों में	219.09	584.43
- चालू खातों में		
- नकद जमा खातों में		
गैर अनुसूचित बैंकों के साथ शेष	-	-
भारत से बाहर के बैंकों के साथ खातों में	-	-
मुद्रा प्रेषण में पारगमन	-	-
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट एवं स्टांप	0.83	0.08
हस्तगत नकदी	0.57	0.72
3 महीने तक की परिपक्वता के साथ स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		
- 3 महीने की परिपक्वता के साथ जमा खातों में	3877.05	2663.93
3 महीने की अधिक की परिपक्वता के साथ स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	-	-
खदान बंदी योजना के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ जमा	148.06	73.52
कुल	**4563.88**	**3852.00**

1) वर्ष के दौरान किसी समय अनुसूचित बैंकों को छोड़कर बैंकों के साथ अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य
2) खरीद की तारीख से 1 (एक) वर्ष से अधिक के लिए जमा	शून्य	शून्य

3) वर्ष के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एस्क्रो खाते में ₹ 66.49 करोड़ रूपये जमा किए गए।

4) वर्ष के दौरान, खान परिसमापन एस्क्रो खाते में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज के रूप में ₹ 8.05 करोड़ जमा किए गए।

समेकित तुलनपत्र पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 18

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
ऋण		
अग्रिम		
(नकदी में या वस्तु के रूप में या मूल्य एवज में प्राप्य वसूली योग्य)		
आपूर्ति कर्ताओं के लिए अग्रिम		
राजस्व के लिए	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	75.21	74.09
- संदिग्ध	0.49	2.50
	75.70	76.59
न्यून- संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	0.49	2.50
	75.21	74.09
	75.21	**74.09**
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	28.03	24.08
- संदिग्ध	-	-
	28.03	24.08
न्यून- संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	28.03	24.08
अग्रिम आयकर / स्रोत पर काटा गया कर	-	-
न्यून : आयकर हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य	-	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	21.53	20.15
- संदिग्ध	0.20	0.44
	21.73	20.59
न्यून - संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	0.20	0.44
	49.56	44.23

कर्मचारियों को अग्रिम		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	78.02	79.84
- संदिग्ध	1.32	1.32
	79.34	81.16
न्यून - संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	78.02	79.84
कोल इंडिया लि० एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता	-	-
अनुषंगियों के साथ ऋण खाता		
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- संदिग्ध	-	-
	-	-
न्यून - संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
दावाकृत प्राप्य राशियाँ	174.62	-
- सुरक्षित मानी गई सामग्री	-	-
- असुरक्षित मानी गई सामग्री	0.01	6.70
- संदिग्ध	2.20	2.20
	2.21	8.90
न्यून-अशोध्य एवं संदिग्ध दावाकृत प्राप्त राशियों के लिए प्रावधान	2.20	2.20
	0.01	6.70
पूर्वदत्त व्यय	0.39	0.39
	253.04	86.93
कुल	377.81	205.25

टिप्पणी :

	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
कंपनियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य है (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक की रूचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी - 19

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	31-03-2015 को (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को (₹ करोड़ में)
- उपचित ब्याज	-	-
- निवेश		
- बैंक के पास जमा	257.35	127.72
- अन्य	-	-
पूर्व स्वामी का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	0.06	0.06
न्यून : प्रावधान	0.06	0.06
जमा :		
सीमा शुल्क, बन्दरगाह प्रभार इत्यादि हेतु जमा	-	-
कोल इंडिया के पास जमा	-	-
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर हेतु जमा	-	-
न्यून: प्रावधान	-	-
अन्य	5.55	3.74
न्यून: प्रावधान	0.49	0.49
	5.06	3.25
पूर्व कोल मंडल के आदेश पर अंतरण हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
न्यून – प्रावधान	–	–
अन्य प्राप्तियाँ	84.42	140.75
न्यून: प्रावधान	1.16	1.13
	83.26	139.62
कुल	**345.73**	**270.65**

समेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ (जारी....)

टिप्पणी - 20

परिचालनों से प्राप्त राजस्व

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
कोयला की बिक्री	13413.84	11945.92
न्यून: उत्पादन शुल्क	655.62	595.80
न्यून: अन्य वसुली		
रॉयल्टी	350.75	322.83
कोयले पर कर	1578.58	1522.89
नौभरण उत्पादन शुल्क	38.22	35.98
स्वच्छ उर्जा कर	192.68	150.20
राज्य विक्रय कर / वैट	374.17	179.89
अन्य वसूली	28.29	12.32
कुल लेवी	**3395.30**	**3058.13**
संचालन से प्राप्त राजस्व (निवल बिक्री)*	**10018.54**	**8887.79**
ख) अन्य परिचालित राजस्व		
कोयला आयात हेतु सुविधा शुल्क		
रेत नौभरण और सुरक्षात्मक व्यय	49.58	53.62
लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन	185.57	181.87
न्यून: उत्पाद शुल्क	8.42	8.37
न्यून: अन्य वसूली	4.74	5.46
अन्य परिचालित राजस्व (ख)	221.99	221.66
ग) परिचालनों से प्राप्त राजस्व	10240.53	9109.45

टिप्पणी 20.1 – पूर्वावधि एवं चालू अवधि हेतु ग्रेड स्लीपेज के लिए निवल कटौती विक्रय है। पार्टी को जमा-नोट जारी करने से अवधि के दौरान विक्रय ₹ 86.25 करोड़ (₹ 382.91 करोड़) से कम हो गई है।

टिप्पणी 20.2 विक्रय 42.50 लाख टन (8.91 लाख टन) के एमओयू परिमाण तथा ₹596.16 करोड़ (₹) एमओयू प्राप्ति शामिल है।

टिप्पणी 20.3 प्रेषण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न उर्जा क्षेत्रों के साथ हुए ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत प्रोत्साहन की तरह विक्रय ₹ 268.40 करोड़ (₹ 349.11 करोड़) सम्मिलित करता है।

टिप्पणी 20.4 विक्रय में 18.89 लाख टन (39.04 लाख टन) की ई-नीलामी मात्रा तथा ₹298.96 करोड़ (₹ 224.3 करोड़) की ई-नीलामी वृद्धि को सम्मिलित करता है।

टिप्पणी 20.5 विक्रय के अंतर्गत भूटान को निर्यात ₹ 1.33 करोड़ की राशि के 0.04 लाख टन का विक्रय भी श

समेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ (जारी....)

टिप्पणी - 21

अन्य आय

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
दीर्घावधि निवेशों से आय		
संयुक्त उद्यमों से लाभांश	-	-
अनुषंगियों से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		
(8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड) (व्यापार)	-	**0.01**
7.55% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड		
चालू निवेशों से आय		
म्यूच्युल फंड निवेश से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		
(8.5% कर मुक्त विशेष बॉन्ड) (व्यापार)		
7.55% अपरिवर्तनीय आईआरएफसी कर मुक्त बॉन्ड		
अन्य से प्राप्त आय :		
ब्याज (सकल)		
बैंक में जमा से	**421.89**	**189.86**
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम से	**0.10**	**0.1**
आयकर वापसी से	-	**0.09**
कोल इंडिया लि. से	-	-
	0.01	0.01
कोयले की अंतिम स्टॉक पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		2.16
शीर्षस्थ प्रभार	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.1	1.63
परिवहन एवं लोडिंग लागत की वसूली	-	-
विदेशी विनिमय लेनदेन पर लाभ	-	-
विनिमय दर अन्तर	-	-
पट्टा भाड़ा		
देयताएं प्रतिलेखन	12.43	124.45
अनुषंगियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय	236.73	172.94
कुल	**672.26**	**491.25**

टिप्पणी : अन्य गैर-परिचालन आय ₹ 143.12 करोड़ (₹ 91.57 करोड़) की विक्रय क्षतिपूर्ति को सम्मिलित करता है।

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी....)

टिप्पणी - 22

खपत हुई सामग्री की लागत –

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
विस्फोटक	147.58	126.14
इमारती लकड़ी	5.04	4.33
पी ओ एल	280.09	277.57
एच ई एम एम स्पेयर्स	134.26	140.79
अन्य खपत योग्य भंडार एवं स्पेयर्स	230.85	186.53
कुल	797.82	735.36

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 23

तैयार माल चालू कार्य तथा भंडार माल की वस्तुसूची में परिवर्तन

तैयार माल चालू कार्य तथा भंडार माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
कोल/कोक का प्रारंभिक स्टाक	297.19	307.06
योग - प्रारंभिक स्टाक का समायोजन		
न्यून: कोल / कोल का क्षय	1.76	1.76
कुल (1)	295.43	305.30
न्यून - कोल / कोक का अंतिम स्टॉक	383.51	297.19
न्यून: कोल / कोक का क्षय	1.76	1.76
कुल (2)	381.75	295.43
क) अंतिम स्टाक की वस्तुसूची में परिवर्तन (1 - 2)	-86.32	9.87
कर्मशाला में निर्मित तैयार माल तथा चालू कार्य का प्रारंभिक स्टॉक	18.06	13.83
न्यून: प्रावधान	0.20	0.20
कुल (3)	17.86	13.63
कर्मशाला में निर्मित तैयार माल तथा चालू कार्य का अंतिम स्टॉक	16.50	18.06
न्यून: प्रावधान	0.12	0.20
कुल (4)	16.38	17.86
ख) कर्मशाला की अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (3-4)	1.48	-4.23
प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
कुल (5)	-	-
प्रेस अंतिम कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
कुल (6)	-	-
ग) तैयार माल तथा चालू कार्य से बने हुए प्रेस जॉब के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (5 - 6)	-	-
स्टाक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन (क+ख+ग)	**-84.84**	**5.64**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी.....) :

टिप्पणी - 24

कर्मचारी लाभ व्यय

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
वेतन, मजदूरी, भत्ता तथा लाभ	4,177.68	4,056.42
अनुग्रह	296.44	231.96
पीआरपी	65.82	64.02
	-	-
भविष्य निधि तथा अन्य निधि में योगदान	489.96	468.03
उपदान	339.79	264.43
अवकाश नकदीकरण	170.36	145.82
वी आर एस	1.85	3.12
श्रमिक क्षतिपूर्ति	5.29	4.13
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	36.41	33.43
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	29.62	13.41
स्कूल एवं संस्थान को अनुदान	6.61	5.96
खेल-कूद एवं मनोरंजन	1.45	1.42
कैंटीन एवं क्रेच	0.24	0.13
विद्युत - नगर	111.21	113.63
बस, एम्बुलेंस इत्यादि का भाड़ा प्रभार	5.33	5.36
अन्य कर्मचारी लाभ	112.44	101.30
कुल	**5850.50**	**5512.57**

टिप्पणी 24.1: अधिकारी अधिवर्षिता लाभ हेतु वेतन, मजदूरी, भत्ता एवं लाभ सहित ₹ 25.16 करोड़ (₹ 24.49 करोड़) का प्रावधान किया गया।

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 25

निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
सी एस आर व्यय	24.85	-
कुल	**24.85**	-

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 26

मरम्मत

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
भवन	6.42	4.24
संयंत्र एवं मशीनरी	92.66	69.60
अन्य	2.14	2.63
कुल	**101.22**	**76.47**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 27

ठेका संबंधी व्यय

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
परिवहन शुल्क :		
-बालू	54.54	53.58
- कोयला एवं कोक	230.58	223.23
- भंडार एवं अन्य	1.66	1.76
वैगन लोडिंग	19.96	7.42
पी एण्ड एम का भाड़ा	540.91	379.16
अन्य ठेका कार्य	177.38	155.38
कुल	**1025.03**	**820.53**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 28

वित्तीय लागत	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
आस्थगित भुगतान	-	-
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	-
सीआईएल निधि ऋण ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों के लिए ब्याज	-	-
अन्य	-	-
कुल (क)	-	-
अन्य उधारी लागत :		
ऋण (आईबीआरडी एवं जेबीआईसी)	-	-
पर प्रत्याभूति शुल्क	-	-
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क + ख)	-	-

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 29

प्रावधान

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
(क) के लिए किए गए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	90.23	92.82
संदिग्ध अग्रिम एवं दावा	0.04	0.03
विदेशी मुद्रा विनिमय	-	-
भंडार एवं स्पेयर	0.55	0.75
भूमि/खदान बंदी व्यय का उद्धार	66.49	71.03
अचल परिसंपत्तियाँ / पूँजीगत चालू कार्य का सर्वेक्षण	1.56	4.01
अन्य	0.09	–
कुल (क)	**158.96**	**168.64**
(ख) प्रावधान का प्रतिलेखन		
संदिग्ध ऋण	50.79	68.51
संदिग्ध अग्रिम एवं दावा	2.49	0.62
विदेशी लेनदेन विनिमय	-	-
भंडार एवं स्पेयर्स	5.71	3.95
भूमि/खदान बंदी व्यय का उद्धार	-	217.38
अचल परिसंपत्तियों / पूंजीगत चालू कार्य का सर्वेक्षण	0.36	1.12
अन्य	0.03	8.63
कुल (ख)	**59.38**	**300.21**
कुल (क+ख)	**99.58**	**-131.57**

टिप्पणी - 29.1 : भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार समस्त परिचालित खदानों के कुल खदान बंदी व्यय के यथानुपात लागत के लिए ₹ 66.49 करोड़ (₹ 71.03 करोड़) का खदान बंदी व्यय हेतु प्रावधान।

समेकित लाभ-हानि पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 30

बट्टे खाता डालना

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
संदिग्ध ऋण	68.66	127.70
संदिग्ध अग्रिम	2.49	-
अन्य	2.27	-
कुल	**73.42**	**127.70**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 31

अन्य व्यय

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
यात्रा व्यय		
- घरेलू	11.11	12.05
- विदेशी	0.13	0.54
प्रशिक्षण व्यय	2.94	2.65
टेलीफोन एवं डाक	1.79	1.78
विज्ञापन एवं प्रचार	3.37	4.21
माल भाड़ा प्रभार	0.08	0.03
विलम्ब शुल्क	0.7	0.38
दान / चंदा	0.03	0.13
सुरक्षा व्यय	73.81	62.30
कोल इंडिया का सेवा प्रभार	7.46	-
भाड़ा व्यय	17.88	16.22
सीएमपीडी आई व्यय	20.57	9.59
विधि व्यय	2.28	1.30
बैंक प्रभार	0.24	0.12
अतिथि गृह व्यय	1.76	1.72
परामर्श व्यय	4.88	0.65
लदान प्रभार के तहत	22.37	10.59
विक्रय/ पृथकरण / सर्वेक्षित परिसम्पत्तियों पर हानि	0.01	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय :		
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.14	0.14
- कराधान मामले के लिए	0.07	0.09
- कंपनी विधि मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा के लिए	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.1	0.09
- व्यय की अतिपूर्ति के लिए	0.14	0.24
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	2.28	1.48
पुनर्वास प्रभार	6.84	-
रॉयल्टी एवं सेस	3.26	1.91

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	7.55	-
किराया	-	-
दर एवं कर	1.92	4.29
बीमा	0.08	0.03
विनिमय दर अंतर पर हानि	9.61	13.46
पट्टा भाड़ा	-	-
खान सुरक्षा एवं बचाव व्यय	3.31	2.82
अनिवार्य किराया / सरफेस किराया	14.44	8.47
साईडिंग रख रखाव प्रभार	2.06	2.93
भूमि / फसल क्षतिपूर्ति	0.01	0.98
आर एवं डी व्यय	7.5	
पर्यावरण एवं वनरोपण व्यय	2.52	2.42
विविध व्यय	116.75	100.48
कुल	**349.99**	**264.09**

समेकित लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियाँ (जारी .....)

टिप्पणी - 32

पूर्वावधि समायोजन

क) व्यय	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)
कोयला एवं कोक की बिक्री	-	-
कोयला एवं कोक का भंडार	-	-
अन्य आय	-	-
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	-	-
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
ठेकागत व्यय	-	2.41
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	-
कुल (क)	-	**2.41**
ख) आय :		
कोयला एवं कोक की बिक्री	-	-
कोयला एवं कोक का भंडार	-	-
अन्य आय	0.45	-1.14
भंडार एवं स्पेयर्स की खपत	-	0.19
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
ठेकागत व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	0.59	-
मूल्य ह्रास	1.14	-
कुल (ख)	**2.18**	**-0.95**
कुल (क - ख)	**-2.18**	**3.36**

नोट – 33

क) महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति

1.0 लेखा-परिपाटी :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक मूल्य परिपाटी एवं लेखा के प्रोद्भवन आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-नीतियों एवं कंपनी की धारा, 2013 के संदर्भित प्रावधानों के साथ-साथ सूचित लेखा मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं।

1.1 आकलन का उपयोग :

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करते हुए प्रबंधन को कभी-कभी कुछ आकलन एवं कल्पना करनी पड़ती है जिसका प्रभाव वित्तीय विवरण की तारीख में तथा रिपोर्ट की गयी अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय के साथ-साथ परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अभिलिखित राशि के प्रकटीकरण पर पड़ता है। अतः वास्तविक परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकता है। इस प्रकार के अनुमान में किसी प्रकार का संशोधन उसी अवधि में माना जाएगा। जिस अवधि में उसे तय किया गया था।

2.0 सरकार से प्राप्त सहायिकी / अनुदान :

2.1 पूँजी लेखा पर सहायिकी/ अनुदान संबंधित परिसंपत्ति के मूल्य से काट ली जाती है। तुलन-पत्र की तारीख पर यदि खर्च न की गई कोई राशि हो, तो उसे तत्काल दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी / अनुदान 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत 'लाभ एवं हानि के विवरण' में जमा किये गए एवं संबंधित खर्च क्रमशः शीर्षों से नामे कर लिए गए। तुलन-पत्र की तारीख पर यदि खर्च न की गई कोई राशि हो, तो उसे तत्काल दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.3 सरकार द्वारा प्राप्त सहायिकी / अनुदान कार्यान्वयन समिति के रूप में :

2.3.1 कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एवं परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में लायी गई एस. एवं टी., पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के अंतर्गत जो अनुदान / राशि प्राप्त हुई है, उसे कैपिटल रिजर्व के रूप में माना गया है एवं उसमें मूल्यह्रास कैपिटल रिजर्व खाते (Capital Reserve Account) से नामे किया गया है। अनुदान की सहायता से सृजित परिसंपत्ति का मालिकाना हक / स्वामित्व उस प्राधिकारी के साथ होता है जिसने अनुदान प्राप्त किया है।

2.3.2 नोडल / कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्राप्त अनुदान / राशि रसीद एवं संवितरण के का लेखा-जोखा दिया गया है।

3.0 मियादी परिसंपत्ति :

3.1 **भूमि :** भूमि के अन्तर्गत उस भूमि के अधिग्रहण की कीमत तथा लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था पर आए खर्च आते हैं। भूमि के बदले नौकरी जैसे अन्य खर्च राजस्व के रूप में लिए जाते हैं।

3.2 **संयंत्र एवं मशीनरी** : प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत उन परिसंपत्तियों के सुधार या संचालन में तथा उन्हें कार्य करने लायक बनाने में आए खर्च आते हैं।

3.3 **रेलवे साइडिंग :** रेलवे प्राधिकारियों को रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु किए गए भुगतान व लंबित कमीशन के भुगतान को (पूँजी हेतु अग्रिम) के अंतर्गत टिप्पणी – 12 'लंबी अवधि ऋण एवं अग्रिम' में दर्शाया गया है।

3.4 **विकास** :- विभिन्न योजनाओं-खानों को राजस्व खाते में जब तक नहीं ले लाया जाता तब तक उनके विकास पर हुए खर्च को (पूँजी-कार्य प्रगति पर) के अंतर्गत (विकास खाते में) दर्ज कर दिया जाता है।

क) स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जिस वर्ष परियोजना ने अपनी क्षमता का 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष उत्पादन किया ठीक उसके बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही, अथवा

ख) कोयले के स्पर्श के दो साल, अथवा

ग) कुल खर्च से अधिक मूल्य के उत्पादन वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, इनमें से जो घटना पहले घटे।

4.0 **पूर्वेक्षण एवं बोरिंग तथा अन्य विकासात्मक व्यय** :

परियोजनाओं के नियमन के लिए, एक पंचवर्षीय योजना अवधि में खर्च अन्वेषण एवं विकासात्मक व्यय की लागत को, बट्टे खाते में डाले जाने के पहले, लगातार दो वर्षों की पंचवर्षीय योजना अवधियों की समाप्ति तक प्रगति-कार्य पूँजी में रखा जाएगा; जब कि किसी बाहरी एजेंसी को विक्रय करने अथवा विक्रय करने के प्रस्ताव हेतु ब्लॉकों को चिहनित किए जाने के मामले में इसे विक्रय का कार्य पूर्ण हो जाने तक वस्तुसूची में रखा जाएगा।

5.0 निवेश -

तत्काल निवेश का आकलन न्यूनतम मूल्य एवं तुलनपत्र के आधार पर उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। पारस्परिक निधि में निवेश तत्काल निवेश के अंतर्गत आता है।

गैर-चालू निवेशों का आकलन मूल्य के आधार पर किया जाता है। वहीं, किसी प्रकार की अवनति की स्थिति में, अस्थायी के अलावा, दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में, इस प्रकार की अवनति को ठीक करने के लिए वहाँ राशि में गिरावट आ जाती है।

6.0 **वस्तु सूची** -

6.1 जहाँ बुक किए गए कोयले के स्टॉक एवं माप किए गए स्टॉक में करीब +/- 5% तक का अंतर होता है वहाँ बुक किए गए कोयले / कोक के स्टॉक को लेखा के अंतर्गत लिया जाता है तथा जहाँ यह अंतर + / – 5% से परे होता है वहाँ माप किए गए कोयले पर विचार किया जाता है इस तरह के स्टॉक का मूल्यांकन उगाही मूल्य या कीमत - जो कम हो उसके आधार पर किया जाता है

6.1.1 कोयले एवं कोक फाइन का मूल्यांकन न्यूनतम मूल्य या कुल उगाही मूल्य के आधार पर किया जाता है।

6.1.2. स्लरी (Slurry) (कोकिंग / अर्ध-कोकिंग), वाशरीज के मध्यांकन एवं उत्पादों का मूल्यांकन कुल उगाही मूल्य के आधार पर किया जाता है

6.2 **भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे** :

6.2.1 केन्द्रीय भंडार के मूल्यगत भंडार लेजर में दिखने वाली शेष राशि ईएएम कोलियरियों / यूनिटों में प्रत्यक्ष जाँच के आधार पर पाए गए पड़े भंडारों के अनुसार भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों का कुल स्टॉक लेखा में विचारणीय है।

6.2.2 केंद्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों में भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों (फुटकर औज़ार सहित)के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर परिगणित लागत पर किया जाता है। कोलियारियों/सह-भंडारों/ड्रिलिंग शिविरों/ उपभोक्ता केन्द्रों में पड़े भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों की वर्षांत वस्तुसूची का मूल्यांकन क्षेत्रीय भंडार लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया जाता है। प्रगति-कार्यों सहित कर्मशाला के सभी कार्यों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। साथ ही, प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा

केंद्रीय अस्पताल में दवाओं के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

6.2.3 स्टेशनरी के स्टॉक (प्रींटिंग प्रेस में पड़े सामान को छोड़कर), ईंट, बालू, दवा (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर), वायुयान सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जों को ऋतुसूची में नहीं रखा गया है।

6.2.4 वैसे भंडार जो सेवा में नहीं हैं, क्षतिग्रस्त हैं एवं अप्रचलित है उनके लिए 100% एवं उन भंडारों के लिए, जो पाँच साल से चल नहीं रहे हैं, 50% दर का प्रावधान है।

7.0 **मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति :**

7.1 कंपनी की धारा,2013 (संशोधित) की अनुसूची – II में उल्लिखित दरों एवं तरीकों के आधार पर मियादी परिसंपत्तियों, अधोलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर,का मूल्यह्रास एक सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। अधोलिखित परिसंपत्तियों का आकलन तकनीकी आधारित उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है जिससे कि मूल्यह्रास का सही एवं उचित दर ज्ञात हो सके : –

दूरसंचार उपकरण –	6 वर्ष एवं 9 वर्ष
अनुलिपि मशीन –	4 वर्ष
फ़ैक्स मशीन –	3 वर्ष
मोबाइल फोन –	3 वर्ष
बेतार टेलीफोन की डिजिटल संवृद्धि –	3 वर्ष
प्रिंटर एवं स्कैनर –	3 वर्ष
भू विज्ञान भंजावधार –	19 वर्ष
उच्च मानक वाले श्वास धूल प्रतिदर्शक –	3 वर्ष
विशेष उपकरण / एचईएमएम –	7 वर्ष एवं 6 वर्ष जैसा प्रयोज्य हो
एसडीएल (उपकरण) –	5 वर्ष
एलएचडी (उपकरण) –	6 वर्ष

7.2 अनुच्छेद 7.3 के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों की मदों को छोड़कर, मूल्यह्रास के उद्देश्य से सभी परिसंपत्तियों का अवशेष मूल्य परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य का 5% माना जाता है।

7.3 कोयला टब,वाईंडिंग रोप, हौलेज रोप, स्टोइंग पाइप एवं सुरक्षा लैंप जैसी परिसंपत्तियों के मामले में, तकनीकी आकलन करके इनका उपयोगी जीवन शून्य अवशेष मूल्य के साथ एक वर्ष तक का माना गया है।

7.4 वर्ष के दौरान शामिल की गयी / निपटान की गयी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास शामिल किए जाने / निपटान किए जाने के महीने के संदर्भ में समानुपात आधार पर किया गया है। इस प्रक्रिया में उन परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनका एक वर्ष का उपयोगी जीवन है तथा अवशेष मूल्य शून्य है, जैसा कि अनुच्छेद 7.3 में उल्लिखित भी है, और जिनका अपने शामिल किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गया था। अत: जिस वर्ष इन परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास हो गया तब से दो वर्षों की समाप्ति के बाद इन्हें परिसंपत्तियों की सीमा से बाहर कर दिया गया।

7.5 कोयला गृहीत क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) की धारा, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि का मूल्य संबंधित परियोजना की

शेष आयु के आधार पर तय किया जाता है। पट्टे की भूमि का मूल्य उसके पट्टे की अवधि या संबंधित परियोजना की शेष आयु में से जो पहले आए उसके आधार पर तय किया गया।

7.6 बीस वर्षों में परियोजना का राजस्व के अंतर्गत आना या परियोजना के कार्यकारी वर्ष में से जो कम हो उसी पर त्रिवरणिका, बोरिंग तथा विकास व्यय आधारित है।

7.7 अमूर्त संपत्ति की पहचान हेतु सॉफ्टवेयर की लागत को, शून्य अवशेष मूल्य के साथ, उपयोग के वैधानिक अधिकार की अवधि अथवा तीन वर्ष, जो कम हो; के लिए सीधी रेखा पद्धति द्वारा दर्शाया गया।

8.0 <u>परिसंपत्ति की हानि</u> :

हानि वहाँ देखी जाती है जहाँ किसी परिसंपत्ति का धारक मूल्य उसके वसूली की राशि से अधिक हो एवं यह हानि 'लाभ एवं हानि के विवरण' के अंतर्गत आती है तथा उसका धारक मूल्य उसके वसूले मूल्य तक घटा दिया जाता है।

पिछले वर्षों में जब अधिक दिनों तक अस्तित्व में न रहने वाली या घटने वाली परिसंपत्ति हेतु हानि के संकेत मिले तब हानि का प्रत्यावर्तन रिकॉर्ड दर्ज किया गया।

9.0 <u>विदेशी मुद्रा लेन देन</u> :

9.1 तुलन-पत्र की तारीख के आधार पर उल्लिखित दरों पर विदेशी मुद्रा लेनदेन के संतुलन को अनुवादित किये गये तथा तद्नुरूप प्रभाव संबंधित खातों में दिये गये। अवधि के दौरान हुए लेनदेन का समायोजन वास्तविकता के आधार पर किया गया।

9.2 अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की, भविष्य में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं में किए गए लेनदेन के द्वारा सौदे के निपटारण को तुलन पत्र के दिनांक पर प्रचलित दरों की पहचान किया है। ऐसे संविदाओं से उत्पन्न प्रभावों को निपटारण के दिनांक से लेखा में लिया गया है।

10.0 <u>सेवानिवृति लाभ/अन्य कर्मचारी लाभ</u> :

क) **परिभाषित अंशदान योजना :**

अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं पेंशन की राशि का लाभ पहुँचाने के लिए कंपनी ने अंशदान योजनाओं को प्रकाश में लाया है। यह भविष्य निधि एवं पेंशन राशि सीएमपीएफ द्वारा संचालित होती है। इन योजनाओं के नियम के अनुसार, कंपनी एक निश्चित प्रतिशत सीएमपीएफ प्राधिकारियों को प्रदान करती है ताकि इन लाभों को लागू किया जा सके।

ख) **परिभाषित लाभ योजनाएं :**

उपदान एवं छुट्टी के लिए भुगतान हेतु तुलन-पत्र की तारीख पर दायित्व परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति के द्वारा बीमांकन एवं मूल्यांकन किया जाता है। आगे, फंडेड ग्रुप ग्रैचुइटी (नकद संचय) योजना की स्थापना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता से कंपनी ने एक ट्रस्ट बनाया है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कथित राशि में अंशदान को शामिल किया जाता है।

ग) **अन्य कर्मचारी-लाभ :**

आगे, छुट्टी यात्रा रियायत (LTA / LTC), लाइफ कवर योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्था-भत्ता, सेवानिवृत के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना एवं खान-दुर्घटना में बीमार हुए कर्मचारियों के आश्रितों को प्रतिपूर्ति भत्ता आदि

अन्य कर्मचारी लाभ तुलन–पत्र तारीख पर दायित्व परियोजित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करके बीमांकन आधार पर लागू किया जाता है।

11.0 आय एवं खर्च को चिह्नित करना :

आय एवं खर्च सामान्यतः बीमांकन आधार पर पहचाने जाते हैं तथा सभी ज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं।

11.1 विक्रय :

क) जब माल की संपदा अपने मालिकाना जोखिम एवं इनाम के साथ अपने खरीददार तक स्थानांतरित होती है तब विक्रय के संबंध में राजस्व की पहचान हो जाती है।

ख) कोयले के गुण को लेकर शुद्ध सांविधिक देय राशि एवं खरीददारों द्वारा स्वीकार्य कटौती को ध्यान में रखकर कोयले की बिक्री की जाती है।

ग) जहाँ संग्रह की पूर्ण निश्चितता होती है वहाँ राजस्व की पहचान की जाती है। दूसरी ओर, प्रबंधन द्वारा यदि कोई अनिश्चितता हो तो राजस्व की पहचान स्थगित की जाती है।

11.2 लाभांश :

जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो, तब लाभांश आय तय किया जाता है।

12.00 उधार की लागत :

अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार की लागत को पूँजीगत किया गया है। अन्य उधार की लागतों को खर्च के रूप में वहाँ चिन्हित किया जाता है जहाँ वे व्यय किए गये हैं।

13.00 कर लागत :

आयकर धारा, 1961 के अनुपालन में वर्तमान आयकर का प्रावधान बनाया गया है। आस्थगित कर दायित्वों एवं परिसंपत्तियों को मौलिक रूप से प्रभावी कर दरों के आधार पर छिहनित किया जाता है। इसके अंतर्गत दूरदर्शिता का विचार, समयान्तर, एक ही अवधि में कर हेतु देय आय एवं लेखागत आय में अंतर तथा एक या लगातार अवधियों में प्रत्यावर्तन शामिल है।

14.0 प्रावधान :

बीती घटनाओं के आधार पर जब किसी उद्यम (Enterprise) को किसी 'बंधन' में रखा जाता है, तो उसे हम प्रावधान की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी संभावना है कि इस तरह के 'बंधन' के निपटान हेतु आर्थिक लाभ से संबन्धित संसाधनों का प्रवाह जरूरी है जिससे संबंधित एक विश्वासनीय आकलन तैयार किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं लगाते तथा ये तुलनपत्र की मुश्किलों के समाधान के लिए जरूरी आकलन पर आधारित होते हैं।

15.0 आकस्मिक दायित्व :

आकस्मिक दायित्व वह बंधन हैं जो बीती घटनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा जिसकी उपस्थिति की पुष्टि केवल एक या एकाधिक भविष्यगत घटनाओं, जो पूरी तरह उद्यम के नियंत्रण में हो, के घटित होने या न होने से की जाती है। इसकी पुष्टि वर्तमान 'बंधन' के आधार पर भी की जा सकती है जो अतित में घटित हुई है लेकिन जिसे चिन्हित नहीं किया जा सका है क्योंकि यह संभावित नहीं है कि इस तरह के 'बंधन' के निपटान हेतु आर्थिक लाभ से संबंधित संसाधनों का प्रवाह जरूरी है जिससे संबंधित एक विश्वासनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है।

लेखा के अंतर्गत आकस्मिक दायित्व को न रखकर उसे 'नोटस्' के रूप में प्रकट किया गया है।

16.0 अधिभार विस्थापन व्यय :

ओपन कास्ट खानों में सालाना एक मिलियन टन या उससे अधिक की क्षमता दर के साथ खानों को राजस्व के अंतर्गत लाने के पश्चात प्रत्येक खान में तकनीकी तौर पर मूल्यांकित औसत अनुपात पर ओ बी आर का मूल्य चार्ज किया गया था। अग्रिम फो का शुद्ध शेष तथा तुलन-पत्र पर अनुपात विभेद को स्थितिमुसार गैर-चालू परिसंपत्ति/लाँग टर्म प्रावधान शीर्ष के हिसाब हेतु जहाँ प्रतिवेदित परिमाण एवं माप किया गया परिमाण का अंतर दो वैकल्पिक स्वीकार्य सीमाओं के अंतर्गत हो, उस अनुपात के गणन में विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डेन का प्रतिवेदन परिमाण निम्नांकित है :-

खान के उपरी संस्तर की वार्षिक मात्रा	अंतर की स्वीकृत सीमा	
	I	II
	%	मात्रा (मिलियन क्यूबिक मी. में)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+ / - 5 %	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+ / - 3 %	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+ / - 2%	शून्य

और, जहाँ यह सीमा स्वीकार न किया जा सके, वहाँ माप लिए गए परिमाण पर विचार होता है।

17.0 पूर्वकालिक समायोजन एवं पूर्व प्रदत्त व्यय :

पूर्वकालिक समायोजन एवं पूर्व प्रदत्त व्यय से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक केस मे 0.10 करोड़ से अधिक न हो, उसे चालू वर्ष के आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

टिप्पणी – 34

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणीयाँ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

1.0 पृष्ठभूमि :

1.1 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक निजी कंपनी के अनुसार 1 नवंबर, 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी के रूप में निगमित हुई। ईस्टर्न डिवीजन ऑफ कोल माइंस अॅथोरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ यह अपनी परिसंपत्तियों तथा दायित्वों सहित निहित हुई। कंपनी मुख्यत: कोयला उत्पादन एवं विक्रय से जुड़ी है।

1.2 कंपनी में दायित्वों एवं परिसंपत्तियों के स्थानांतरण हेतु विधिक औपचारिकताओं के लंबित समापन हेतु कुछ परिसंपत्तियों (खनन अधिकार सहित) को कोल इंडिया लिमिटेड के नाम पर ही जारी रखा गया।

1.3 कोल माइंस लेबर वेल्फेयर संगठन, कल्ला एवं केंद्रीय अस्पतालों के साथ-साथ अन्य अस्पताल/डिस्पेन्सरी, माइंस रेसक्यू स्टेशन, बराकर इंजिनीयरिंग एवं फाउण्ड्री वर्क्स के संदर्भ में कंपनी द्वारा कार्यभार संभालने तथा स्थानांतरित परिसंपत्तियों एवं दायित्वों हेतु विलेख तथा करार/अनुबंध के औपचारिक स्थानांतरण को अंतिम रूप दिया अभी भी शेष है एवं कंपनी के पक्ष में कोई निवारण नहीं किया गया है।

2.0 मियादी परिसंपत्ति एवं पूंजी-कार्य प्रगति पर।

2.1 आवासीय / कार्यालीय / खदानों वाले क्षेत्र में स्थित सड़कों एवं पुलों का निर्माण।

2.2 कार्यक्रम के अनुसार,एक लाख या उससे अधिक व्यय का पालन समस्त स्थायी सम्पत्तियों तथा प्लांट एवं मशीनरी के संबंध में प्रत्यक्ष जाँच की गयी। औपचारिकताओं के समापन पर प्रकाशित अंतर को समायोजित किया गया है।

2.3 कोयला खनन राष्ट्रीयकरण धारा (Coal Mines Nationalization Act), 1973 के अंतर्गत कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण पर अधिगृहीत उन परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य, जिनका वितरण उपलब्ध नहीं है, ₹ 8.17 करोड़ हिसाब में ले लिया गया है तथा मूर्त परिसंपत्ति के समूह के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसके आधार पर समूचा प्रावधान बना है।

3.0 वस्तुसूची :

3.1 राजमहल ओ.सी.पी में 2007-08 में हुई 19.54 लाख टन कोयले की कमी, जिसका मूल्य तब 63.58 करोड़ था, के संबंध में सी.बी.आई., धनबाद द्वारा की जाने वाली जाँच-प्रक्रिया 2011-12 मे पूर्ण हुई तथा उसे कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को उनके सूचनार्थ अग्रेषित किया गया है ताकि वे सतर्कता विभाग को सी.बी.आई. आदेशानुसार दागी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का सुझाव दें। आदेश का परिणाम मिलना अभी भी शेष है।

3.2 4,71,408 मिलियन टन (4,71,408 मिलियन टन) कोयला मिट्टी के मिश्रण के साथ पाया गया जो बेचने योग्य नहीं है तथा उसका मूल्य शून्य आंका गया है।

4.0 विविध देनदार :

4.1 अलग अलग मामलों के आधार पर सामान्यत: विविध देनदार का प्रावधान तैयार होता है। शुरुआती वर्षों में अस्थिर राशि पर सामान्यत: विविध देनदारों का कोई प्रावधान नहीं बना। दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत अस्थिर राशि तक प्रावधान तैयार किया गया था शेष को तीसरे में रखा गया।

5.0 चालू दायित्व एवं प्रावधान

क) चालू दायित्व

5.1 सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 की जरूरत के अनुसार कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएँ दी गयी। 31.01.2015 तक एम एसएमई को दी जाने वाली प्रधान राशि ₹ 0.16 करोड़ (₹ 0.19 करोड़) का भुगतान नहीं किया गया तथा उसपर बकाया ब्याज 'शून्य' रहा।

ख) प्रावधान :

5.2 उपदान, छुट्टी भुनाना, ग्रॉस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एलटीसी एलएलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, बंदोबस्त भत्ता, फैटल एक्सीडेंट बेनीफिट, सेवानिवृत कर्मियों का एवं मेडिकल बेनीफिट का वर्षांत प्रावधान बीमांकक द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है।

बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार ग्रेच्यूटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन इस प्रकार है : -

31.03.2015 के अनुसार उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांक

लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटन

सारणी 1 : प्रकटन मद 120 (C)

ऑबलिगेशन के वर्तमान मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

	31.03.2015 को
वर्ष के आरम्भ में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	25334144509
अधिग्रहण समायोजन	0
ब्याज लागत	1815831560
भूतपूर्व सेवा लागत	0
चालू सेवा लागत	1282602212
लागत में कमी	0
बन्दोबस्त लागत	0
दिए गए लाभ	5272500000
ऑबलिगेशन पर बीमांकिक लाभ/हानि	2937260348
वर्ष के अंत में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	26097338630

सारणी 2 : प्रकटन मद 120 (e)

योजित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

	31.03.2015 को
वर्ष के आरम्भ में योजित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	10180500000
अधिग्रहण समायोजन	0
योजित सम्पत्ति पर आशान्वित रिटर्न	814440000
देन	17650200000
दिए गए लाभ	5272500000
योजित परिसम्पत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि	159160000
वर्ष के अन्त में योजित परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	23531800000

सारणी 3 : प्रकटन मद 120 (f)

राशि की स्थिति को दर्शाती सारणी

	31.03.2015 को
वर्ष के अन्त ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	26097338630
वर्ष के अन्त योजित परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	23531800000
राशि की स्थिति	–2565538630
वर्ष के अन्त में अपरिचित बीमांकिक लाभ/हानि	0
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (देयता)	–2565538630

सारणी 4 : प्रकटन मद 120 (g)

लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च को दर्शाती सारणी

	31.03.2015 को
चालू सेवा लागत	1282602212
भूतपूर्व सेवा लागत	0
ब्याज लागत	1815831560
योजित सम्पत्ति पर आशान्वित रिटर्न	814440000
लागत में कमी	0
बन्दोबस्ती लागत	0
वर्ष में स्वीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	2778100349
लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च	5062094121

सारणी 7 : प्रकटन मद 120 (1)

बीमांकिक परिकल्पनाओं को दर्शाती सारणी

	31.03.2015 को
मृत्यु दर	आईएलएम (2006-08) यूएलटी
अधिवार्षिकी आयु	60
पूर्व सेवा निवृत्ति एवं अयोग्यता	प्रत्येक हजार पर 10 प्रति वर्ष
	45 वर्ष की उम्र से अधिक 6
	29 एवं 45 वर्ष की उम्र के बीच
	29 वर्ष की उम्र से कम
छूट दर	8.00 प्रतिशत
स्फीति दर	6.25 प्रतिशत
परिसंपत्ति पर रिटर्न	8.00 प्रतिशत
शेष कामगार जीवन	12 वर्ष
प्रयोग किया गया सूत्र	परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति

सारणी 8 : प्रकटन मद 120 (m)

चूँकि यह योजना चिकित्सा लागत से संबंधित नहीं है; अत: यह अप्रायोज्य है

सारणी 9 : प्रकटन मद 120 (n)

अंतिम 4 मूल्यांकन रिकॉर्ड का सार

उत्पादन के लिए कंपनी

सारणी 10 : प्रकटन मद 120 (o)

तुलन–पत्र में स्वीकृत देयता में गतिविधियाँ

	31.03.2015 को
शुद्ध देयता की शुरुआत	15153644509
उपरोक्त के अनुसार व्यय	5062094121
देन	17650200000
शुद्ध देयता का समापन	2565538630
वर्ष के अन्त में राशि / प्रावधान का समापन	26097338630

छुट्टी भुनाने का बीमांकिक मूल्यांकन

लाभ (अर्जित अवकाश / अर्धवेतन अवकाश)

31.03.2015 के अनुसार

सारणी 1 : प्रकटन मद 120 (c)

ऑबलिगेशन के वर्तमान मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

	31.03.2015 को
वर्ष के आरम्भ में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	5170239012
अधिग्रहण समायोजन	0
ब्याज लागत	362791120
भूतपूर्व सेवा लागत	0
चालू सेवा लागत	708521490
लागत में कमी	0
बन्दोबस्त लागत	0
दिए गए लाभ	1270700000
ऑबलिगेशन पर बीमांकिक लाभ/हानि	632295283
वर्ष के अंत में ऑबलिगेशन का वर्तमान मूल्य	5063146905

सारणी 2 : प्रकटन मद 120 (e)

योजित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव दर्शाती सारणी :

चूंकि योजना को राशि नहीं मिली; अत: अप्रयोज्य

सारणी 3 : प्रकटन मद 120 (f)

राशि की स्थिति को दर्शाती सारणी

चूंकि योजना को राशि नहीं मिली; अत: अप्रयोज्य

सारणी 4 : प्रकटन मद 120 (g)

लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च को दर्शाती सारणी

	31.03.2015 को
चालू सेवा लागत	708521590
भूतपूर्व सेवा लागत	0
ब्याज लागत	362791120
योजित सम्पत्ति पर आशान्वित रिटर्न	0
लागत में कमी	0
बन्दोबस्ती लागत	0
वर्ष में स्वीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	632295283
लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च	1703607893

सारणी 7 : प्रकटन मद 120 (1)

बीमांकिक परिकल्पनाओं को दर्शाती सारणी

	31.03.2015 को
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) यूएलटी
अधिवार्षिकी आयु	60
पूर्व सेवा निवृत्ति एवं अयोग्यता	प्रत्येक हजार पर प्रति वर्ष
	45 वर्ष की उम्र से अधिक 6
	29 एवं 45 वर्ष की उम्र के बीच-3
	29 वर्ष की उम्र से कम-1
छूट दर	8.25 प्रतिशत
स्फीति दर	6.25 प्रतिशत
परिसंपत्ति पर रिटर्न	अप्रयोज्य
शेष कामगार जीवन	12 वर्ष
प्रयोग किया गया सूत्र	परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति

सारणी 10 : प्रकटन मद 120 (o)

तुलन-पत्र में स्वीकृत देयता में गतिविधियाँ

	31.03.2015 को
शुद्ध देयता की शुरुआत	0
उपरोक्त के अनुसार व्यय	1703607893
देन	0
शुद्ध देयता का समापन	1703607893
वर्ष के अन्त में राशि / प्रावधान का समापन	5603146905

ए एस 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट बी में टिप्पणी

चूंकि इस योजना को राशि नहीं मिली; अत: लाभ / हानि खाते पर चार्ज निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है : -

(1) अंतिम लेखा तारीख में पूर्व ऑब्लिगेशन दिया गया

(2) उपरोक्त प्रावधान के डेबिट के निकास के लिए लाभ का भुगतान किया गया

(3) चालू लेखा तारीख में चालू ऑब्लिगेशन दिया जाएगा

5.3 वर्ष के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड के सुझाव के अनुसार पी.आर.पी. के रूप में ₹ 65.82 करोड़ (₹ 64.02 करोड़) रुपये हेतु कंपनी के पास तदर्थ प्रावधान है।

5.4 अवधि के दौरान, सेवानिवृत कार्यपालकों के लिए 4 प्रतिशत पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफिट के रूप में ₹ 27.30 करोड़ (₹ 11.46 करोड़) कंपनी के पास प्रावधान है।

5.5 वर्ष के दौरान, गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को भुगतान हेतु 40,000/- प्रति कर्मचारी के अनुसार ₹ 296.44 करोड़ (₹ 231.96 करोड़) का प्रावधान कंपनी के पास है।

6.0 लाभ एवं हानि लेखा :

6.1 प्रबंधन द्वारा तय एवं संबंधित ग्रेड बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मुफ्त में दिये गये कोयले का मूल्य ₹ 10.68 करोड़ (₹ 17.65 करोड़) ठहरता है एवं आंतरिक उपभोग में इस्तेमाल हुए कोयले का मूल्य ₹ 75.27 करोड़ (₹ 76.68 करोड़) ठहरता है। इसे लेखा के अंतर्गत विशिष्ट निरोध (Specific Contra) के रुप में प्रदर्शित किया गया है।

6.2 वर्ष के दौरान, समुचित प्राधिकारी द्वारा सजाकर रखे गये सुरक्षात्मक कार्य हेतु बारह महीने के लिए ₹49.58 करोड़ (₹ 58.65 करोड़) आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुए। अन्य चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी 19) के अंतर्गत आर्थिक सहायता ₹ 11.88 करोड़ (₹ 45.28 करोड़) तक प्राप्त हुआ।

6.3 वर्ष के लिए स्थिर संपत्ति पर मूल्यह्रास का निर्धारण, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार करने की जगह, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II (वित्त-वर्ष 2014-15 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया। इस बदलाव से वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 84.67 करोड़ का लाभ हुआ।

6.4 (क) वर्ष के दौरान, तकनीकों पर आधारित उपयोगी जीवन पर आधारित निम्नलिखित परिसंपत्तियों की दरों में संशोधन किया गया है :

क्रम सं	परिसंपत्तियाँ	उपयोगी जीवन
1	फोटोकॉपी मशीन	4
2	फ़ैक्स मशीन	3
3	मोबाइल फोन	3
4	डिजिटल बेतार दूरभाष	3
5	कंप्यूटर (प्रिंटर एवं स्कैनर सहित)	3

ख) एचईएमएम पर अवमूल्यन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II में उल्लिखित दर के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर एचईएमएम पर अवमूल्यन दिया जाता है। यहाँ उन एचईएमएम को शामिल नही किया जाता जहाँ तकनीकी अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार अवमूल्यन की उच्चतर दर लगाया जाता है एवं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है : -

परिसंपत्तियों का विवरण	उपयोगी जीवन
दूर-संप्रेषण उपकरण	6
35 टन तक का डंपर	6
50 टन तक का डंपर	7
1.2 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	7
1.2 से 2.2 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	7

2.2 से 5.0 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	7
5.0 से 10.0 घन मीटर तक के हायड्रोलिक शॉवेल	7
बी एच ड्रिल < 160 मिली मीटर	6

6.5 निर्यात विक्रय :

निर्यात विक्रय : विक्रय के अंतर्गत कोयले का निर्यात विक्रय (डुंगसम सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भूटान को), भारतीय रूपये के संदर्भ में, शामिल है जिसका विवरण इस प्रकार है : -

परिमाण	कोयले का मूल्य	कुल मूल्य
3720.29 टन	₹ 1.33 करोड़	₹ 1.83 करोड़

7.0 पूँजी प्रतिबद्धता

31.03.2015 को पूँजी प्रतिबद्धता : (₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	राशि
1	संयंत्र एवं मशीनरी	123.80
2	भवन	3.85
3	सड़क एवं पुलिया	0.86
4	रेलवे साइडिंग	91.97
5	विकास (प्रोस्पेक्टिंग एवं बोरिंग)	1.94
6	खान विकास	18.08
7	अन्य विकास	1.68
8	जलापूर्ति	1.21
9	अन्य	5.20
	कुल	248.59

8.क वर्ष के दौरान, 400.06 लाख टन (360.46 लाख टन) कोयले का उत्पादन किया गया।

8.ख

कोयला स्टॉक	(परिमाण - लाख टन में)		(रूपए - करोड़ में)	
	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
ओ. पी. स्टॉक	19.13	21.14	299.95	309.74
समायोजन/अभिगृहीत कोयला।	--	--	--	--
विक्रय (*)	382.20	359.78	10018.54	8887.90
अंतिम स्टॉक (**) :	34.51	19.13	386.00	299.95

(*) कर्मचारियों को घरेलु उपभोग के लिए एवं ब्याइलर उपभोग हेतु दिये गये 2.50 लाख टन (2.77 लाख टन) कोयले को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(**) शुद्ध अतिरेक कमी - (–) शून्य लाख टन (शून्य लाख टन)

9.0 विदेशी लेनदेन में अर्जन - शून्य (शून्य)

10.0 आयात का सी.आई.एफ मूल्य :

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क) कच्ची सामग्री	—	—
(ख) सामग्री, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	6.71	10.11
(ग) पूंजीगत सामग्री	176.25	—

11.0 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) यात्रा व्यय	0.13	0.54
ख) तकनीकी जानकारी एवं विदेशी परामर्श पर व्यय	----	----
ग) विदेशी का पेंशन	शून्य	शून्य
घ) अन्य	106.52	12.91

12.0 भंडार का कुल उपभोग :

	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत)	
विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) आयातित सामग्री का कुल उपभोग	11.68	10.11	1.46%	1.37%
(ख) देशी	786.14	725.25	98.54%	98.63
कुल	**797.82**	**735.36**		

13.0 सामान्य :

13.1 जब किसी खान (कैश जेनेरेटिंग यूनिट) का वाहक मूल्य इसके वसूली जाने वाली राशि से अधिक हो जाता है, जो निरंतर मूल्य के स्तर पर गणन करके निरंतर पांच वर्षों के नकद प्रवाह को आधार बनाकर तय किया जाता है, तब परिसंपत्तियों की हानि (पूर्वेक्षित बोरिंग एवं खान विकास) होती है।

13.2 2005-06 में एफ.बी.टी. के लिए 8.10 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया जिसका रिटर्न आत्म-मूल्यांकन-

कर लेखा रिपोर्ट के अनुसार 7.49 करोड़ रुपये जमा किये गये तथा तद्नुसार मूल्यांकन किया गया। साथ-साथ, समुचित प्राधिकारी के पास लंबित पड़े 4.0 करोड़ रुपये के दोहरे दायित्व को दर्शाते हुए एक अपील याचिका दायर की गयी।

13.3 प्रबंधन के विचार में ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी वर्तमान परिसंपत्तियों का स्वीकार्य मूल्य व्यापार के सामान्य आधार पर कम से कम उतना है जितना कि कहा गया था। साथ ही, सभी ज्ञात दायित्वों के संबंध में उचित प्रावधान बनाए गए हैं।

13.4 देनदारों की शेष राशि का पुनर्मिलान शाश्वत आधार पर किया गया। अधिकतर मामलों में लेनदारों एवं अन्य दलों से पुष्टिकरण प्राप्त हो गया है। उनकी पुष्टि के अभाव में खाता शेष को सही मान लिया गया।

13.5 आग, चोरी आदि के कारण पुराने स्टॉकों के क्षय हेतु विक्रय का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

13.6 बीआईएफआर की वर्तमान स्थिति एवं ईसीएल की वित्तीय पुनर्संरचना

31 मार्च, 1997 को कंपनी का संचित घाटा अपने निवल मूल्य से रु 251.20 करोड़ अधिक हो गया। अत: एसआईसीए की धारा 15(1) की शर्तों के अनुसार, अक्तूबर, 1997 में कंपनी को बीआईएफआर के समक्ष रेफर कर दिया गया। 31 मई, 1998 को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ₹ 1179.45 करोड़ के असुरक्षित ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करते हुए जो वित्तीय पुनर्संरचना का कार्य किया गया उससे कंपनी का नेटवर्थ सकारात्मक हो गया तथा कंपनी बीआईएफआर से बाहर आ गयी। किन्तु, कंपनी द्वारा तब भी निरंतर नुकसान दर्ज किया जाता रहा और 31 मार्च, 1999 को कंपनी का नेटवर्थ पुन: नकारात्मक हो गया एवं कंपनी नवम्बर, 1999 में बीआईएफआर में एक बार फिर चली गई। कंपनी का मामला संख्या 501/2000 के तहत पंजीकृत किया गया।

बीआईएफआर ने नवम्बर, 2004 में ईसीएल की सुधार योजना के कार्यान्वियन के लिए मंजूरी दे दी। योजना के अनुसार, कंपनी का शुद्ध मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड की छूट के साथ 2008-09 तक सकारात्मक होने की उम्मीद की गई। दिनांक 06 अक्तूबर, 2006 को आर्थिक मामले पर केबिनट समिति ने बीआरपीएसई की संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। संशोधित योजना के अनुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य 2009-10 तक सकारात्मक होने की आशा की गई।

22.09.2014 को कंपनी द्वारा बीआईएफआर के समक्ष किए गये विविध आवेदन सं. 341/2014 पर सुनवाई की गयी। यह आवेदन कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष फाइल किया गया जिसके माध्यम से सीआईएल से असुरक्षित ऋण की मुक्ति तथा चालू खाते का इक्विटी में परिवर्तन किये जाने हेतु आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया। बेंच ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्वीकृति योजना में परिकल्पित है कि सीआईएल द्वारा असुरक्षित ऋण की मुक्ति तथा चालू खाता शेष के इक्विटी शेयर में परिवर्तन हेतु श्रेणीवार ढंग से छूट की माँग की गयी। अत: बीआईएफआर की अनुमति मिल जानी थी एवं सीआईएल के स्तर पर इसे जारी किया जाना था। इससे बीआईएफआर द्वारा अन्य किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। तद्नुसार, बीआईएफआर बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (निगरानी एजेंसी) को निर्देश दिया कि :

क) निगरानी एजेंसी (भारतीय स्टेट बैंक) ने ईसीएल के समक्ष योजना के उन भागों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट करे जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है तथा साथ ही असुरक्षित ऋण के अधित्याग एवं चालू खाता शेष के इक्विटी शेयर पूँजी में

परिवर्तन के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करें।

ख) निगरानी एजेंसी (भारतीय स्टेट बैंक) एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन ठीक उसी रूप में हुआ है जिस रूप में वह स्वीकृत हुई थी।

बेंच ने कंपनी को चालू तुलन-पत्र के साथ-साथ स्वीकृत योजना के उन भागों के क्रियान्वयन के पश्चात जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ था, कंपनी के नेटवर्थ की स्थिति को दर्शाता हुआ लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 01.01.2014 को ईसीएल को लिखे अपने पत्र के माध्यम से ₹ 519 करोड़ के अनारक्षित ऋण के अधित्याग तथा 31 मार्च, 2003 को ₹ 1532 करोड़ के चालू खाता शेष को इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तित करके कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से राहत एवं छूट की शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा ताकि अनारक्षित ऋण एवं 31.03.2003 को चालू खाता शेष की पूर्ण संतुष्टि के साथ ईसीएल द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को ₹ 2051 के कुल मूल्य के गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयरों को जारी किया जा सके।

प्रत्येक ₹ 1000 के फेस मूल्य के 6% गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयरों का पूर्ण भुगतान करने के लिए 08 नवंबर, 2014 को सम्पन्न अपनी 310 वीं बैठक में, विस्तृत चर्चा के पश्चात, कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) ने ईसीएल के ₹ 519 करोड़ के अनारक्षित ऋण तथा 31 मार्च, 2003 को ₹ 1532 करोड़ के चालू खाता शेष के कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ₹ 2051 करोड़ के कुल मूल्य का परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। प्रिफ्रेंस शेयरों के जारी एवं आबंटित होने के सात वर्षों की समाप्ति के साथ उन्हें छुड़ाया जाना है। वहीं, कोल इंडिया लिमिटेड के पास यह विकल्प है कि वह इनके जारी एवं आबंटित होने के पाँच साल की समाप्ति के बाद कभी भी इन्हें छुड़ा सकता है। प्रिफ्रेंस शेयरों की ऋणमुक्ति फेस मूल्य पर रहेगी। वार्षिक संचयी लाभांश 6% है।

इस प्रकार, ईसीएल की प्राधिकृत पूँजी ₹ 2500 करोड़ से बढ़कर ₹ 4600 करोड़ (टिप्पणी 1 के संदर्भ में) हो गयी तथा 25 दिसंबर, 2014 को आयोजित हुई ईसीएल बोर्ड की 275 वीं बैठक में बोर्ड ने ₹2050.97 करोड़ के प्रिफ्रेंस शेयरों की कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष प्रस्तुति एवं आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उपरोक्त के अनुपालन में, 26 दिसंबर, 2014 को प्रत्येक ₹ 1000 के फेस मूल्य के 20509700 6% गैर-परिवर्तनशील, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर (राशि ₹ 2050.97 करोड़) कोल इंडिया लिमिटेड को आबंटित एवं जारी किये गये और इसके परिणामस्वरूप ईसीएल का नेटवर्थ सकारात्मक हो गया।

कंपनी ने 02.02.2015 को एक विविध आवेदन प्रस्तुत किया है जो बीसी अनुभाग में 53/2015/बीसी, दिनांक 02.02.2015 के रूप में पंजीकृत है। इस विविध आवेदन के माध्यम से, कंपनी ने बेंच से निम्नलिखित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है : -

क) कंपनी के सकारात्मक नेटवर्थ के संबंध में एक स्वीकारात्मक घोषणा करना एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को बीमार औद्योगिक कंपनी के तमगे से मुक्त करने की घोषणा करना।

ख) माननीय बोर्ड को इस संबंध में ऐसे किसी अन्य किसी निर्देश अथवा आदेश जारी करना जो वर्तमान परिस्थितियों में कंपनी के लिए आवश्यक प्रतीत हो रहे हों।

विविध आवेदन संख्या 53/2015 के संबंध में 11.02.2015 को हुई सुनवाई में, कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि 31.12.2014 के लेखा तुलनपत्र के अनुसार कंपनी का सकारात्मक नेटवर्थ ₹ 916.87 करोड़ हो गया था एवं इस संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र भी विविध आवेदन के साथ संलग्न किया जा चुका है; अत: कंपनी को एसआईसीए की परिसीमा से मुक्त किये जाने हेतु कंपनी ने बोर्ड से अनुरोध करते हुए एक विविध आवेदन प्रस्तुत किया है।

कंपनी के सकारात्मक नेटवर्थ को देखते हुए, निगरानी संस्था, भारतीय स्टेटबैंक ने दिनांक 09.02.2015 को जारी अपने पत्र के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(o) के आधार पर कंपनी को एसआईसीए/बीआईएफ़आर की परिसीमा से मुक्त किये जाने की अनुशंसा की।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुति तथा अभिलेखों पर विचार करते हुए, बेंच ने निम्नलिखित निर्देश जारी किये :

क) कंपनी के नेटवर्थ सकारात्मक हो जाने के कारण, एसआईसीए की धारा 3(1)(o) के आधार पर मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (बीआईएफ़आर मामला सं 501/2000) अब बीमार कंपनी की श्रेणी में नहीं आता। अत: इसे एसआईसीए/ बीआईएफ़आर की परिसीमा से मुक्तकिया जाता है।

ख) बोर्ड भारतीय स्टेट बैंक को बोर्ड की निगरानी संस्था के दायित्व से मुक्त करता है।

ग) इस प्रकार, कंपनी द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन संख्या 53/2015 का निबटान कर दिया गया।

13.7 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियमों की अधिसूचना के अभाव में,खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के प्रभावों का उल्लेख इस लेखा में नहीं किया जा सका है।

13.8 **न्यूनतम वैकल्पिक कर(MAT) क्रेडिट पात्रता :** वर्ष हेतु देय सामान्य आयकर से न्यूनतम वैकल्पिक कर अधिक हो जाने के कारण,आलोच्य अवधि के दौरान, कंपनी को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)का भुगतान करना है। देय सामान्य आयकर से एमएटी की अधिकता होने के कारण एमएटी क्रेडिट को आयकर अधिनियम के अंतर्गत आलोच्य अवधि के दौरान सामान्य आयकर के साथ समायोजन हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संस्तुति के अनुपालन में, एमएटी क्रेडिट पात्रता के रूप में चिह्नित किया गया है। कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को ''एमएटी क्रेडिट पात्रता'' की समीक्षा करेगी एवं उल्लिखित अवधि के दौरान आवश्यक समायोजन करेगी।

14.0 लेखा मानक :

(क) एएस-17 : खंड प्रतिवेदन कंपनी मुख्यत: शुरु में केवल कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में व्यस्त थी। एएस-17 के संदर्भ में और किसी प्रकार का मुख्य खंड प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) एएस-18 : संबंधित दल प्रकटीकरण-

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक :

क)	श्री राकेश सिन्हा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ख)	श्री एस. चक्रवर्ती	निदेशक (तकनीकी) संचालन
ग)	श्री सी. के. दे	निदेशक (वित्त) (28.02.2015 तक)
घ)	श्री रमेश चन्द्र	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (30.06.2014 तक)
ङ)	श्री बी. आर. रेड्डी	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (30.09.2014 से)
च)	श्री के. एस. पात्र	निदेशक (कार्मिक)

अंशकालीन आधिकारिक निदेशक :

क)	श्री ए. चटर्जी	निदेशक (वित्त), सीआईएल (28.02.2015 तक)
ख)	श्री बी. पेद्दा	निदेशक, कोयला मंत्रालय
ग)	श्री के. के. गौतम	बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक (28.02.2015 तक)

गैर-आधिकारिक अंशकालीन निदेशक :

क)	श्री सुव्रत चौधरी	(23.06.2014 तक)
ख)	श्री एस. के. मोहंती	(23.06.2014 तक)
ग)	श्री एस. एम. लोढ़ा	(23.06.2014 तक)
घ)	श्री एस. एम. शर्मा	(08.09.2014 तक)

कंपनी सचिव :

क) श्री बी. आर. रेड्डी

वर्ष के दौरान लेनदेन का विवरण

निदेशकों का पारिश्रमिक : (₹ करोड़ में)

	वर्तमानवर्ष	पिछलेवर्ष
वेतन एवं भत्ता	0.86	0.93
भविष्य निधि	0.11	0.11
अनुलब्धियाँ	0.16	0.19
सेवानिवृति लाभ	0.00	शून्य
छुट्टी के लिए नकद भुगतान	0.06	0.04
चिकित्सा	0.02	0.11
विशेष निदेशक का बैठक शुल्क	0.03	शून्य
यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एवं अन्य	0.06	शून्य
कुल	1.30	1.38

वेतन एवं भत्तों के अंतर्गत पी.आर.पी. की राशि शून्य है।

घर का किराया-बिजली उर्जा आदि के मूल्यों की वसूली कंपनी के नियमों के अनुसार की जाती है तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं कंपनी अस्पताल-डिस्पेंसरी में उपलब्ध होने के कारण इन्हें परिलब्धियों के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

इसके अतिरिक्त सेवा नियमों के अनुसार, निदेशक ₹ 400 प्रति महीने का भुगतान कर निजी यात्रा के लिए प्रत्येक महीने 750 कि.मी. तक गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का शेष :

कंपनी का नाम	राशि (नामे)	राशि (जमा)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	17,48,146.60	---
सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड	13,32,382.45	---
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड	8,12,213.08	---
सीएमपीडीआईएल	2,46,85,124.00	---
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,62,681.10	---
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	27,99,07,314.56	---
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	18,47,729.25	---

कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का शेष : ₹ 1,29,01,16,099.58 (जमा).

3) एएस-20 : प्रति शेयर अर्जन: कंपनी द्वारा वर्ष में अर्जित लाभ के साथ संबंधित अवधि के दौरान कंपनी के शेयर की इक्विटी की संख्या के भारात्मक औसत का गणन करके प्रति शेयर अर्जन निकाला गया, जो इस प्रकार है -

(क) 31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष में लाभ - ₹ 1,139.40 करोड़

(ख) भारात्मक औसत शेयरों की संख्या- 22184500

ईपीएस - (मूल एवं मिश्रित) (क/ख) ₹ 513.60 करोड़

4) ए.एस-22 : आस्थगित कर परिसंपत्ति : वर्ष के दौरान उत्पन्न समयांतर के कर प्रभाव एवं परवर्ती अवधि के राजस्व का परिकलन कर आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन किया जाता है। विस्तृत गणनाएं नीचे दी गयी हैं - (₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2014 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	वर्ष 2014-15 के दौरान समायोजन	31.03.2015 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)
आस्थगित कर परिसंपत्ति			
क) बीमांकिक ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	1518.73	−1423.70	95.03
ख) अधिवर्षिता लाभ हेतु प्रावधान	123.12	25.16	148.28
ग) खान समापन हेतु प्रावधान	71.03	66.50	137.53
	1712.88	**−1332.04**	**380.85**

आस्थगित कर देयता:			
क) कर एवं बही मूल्यहास में अंतर	–209.52	99.20	–110.32
कुल	**1503.36**	**–1232.84**	**270.52**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति	510.36	–419.04	91.95
वर्तमान वर्ष में कर दरों में बदलाव का प्रभाव			
लाभ एवं हानि खाते से डेबिट की गई कुल राशि			
आस्थगित कर परिसपत्ति(कुल)	**510.99**	**–419.04**	**91.95**

प्रबंधन के विचार में यह बिल्कुल निश्चित है कि इस प्रकार के आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए पर्याप्त भविष्यगत करयोग्य आय उपलब्ध रहेगा।

5) ए.एस-24 : वर्ष के दौरान किसी भी खदान के किसी भी क्रियाकलाप में कार्यान्वयन में कोई रूकावट नहीं है।

6) ए.एस-28 : वर्ष हेतु डब्ल्यूआईपी पूँजी सहित प्रोस्पेक्टिंग एवं बोरिंग तथा अन्य खान विकास मूल्य पर ₹ 19.66 करोड़ (₹ 19.29 करोड़) रुपयों की हानि हुई जिसे लाभ एवं हानि खाते से डेबिट कर लेखा नीति के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि शीर्ष के अंतर्गत रखा गया।

7) ए.एस-29 : प्रावधान तथा आकस्मिक देयताओं के संबंध में निम्नांकित सूचना उल्लेखनीय है–

क) **प्रावधान का विवरण :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2014 को आगत प्रावधान	वर्ष के दौरान बने प्रावधान	वर्ष के वापस लिए गए प्रावधान	31.03.2015 को समाप्त प्रावधान
गैर सेवा योग्य / क्षतिग्रस्त / लुप्त भंडार	12.54	---	2.07	10.47
अचल भंडार	31.43	0.55	3.64	28.34
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य चालू परिसंपत्ति	19.76	0.04	2.49	17.31
खान समापन योजना	73.52	---	---	148.06
उपदान हेतु बीमांकन प्रावधान	2533.42	76.32	---	2609.74
छुट्टी भुनाने हेतु बीमांकन प्रावधान	517.03	43.29	---	560.32
एलटीसी / एलएलटीसी हेतु बीमांकन प्रावधान	31.27	3.67	---	34.94
लाईफ कवर योजना				

हेतु बीमांकन प्रावधान	17.52	0.79	---	18.31
बंदोबस्त भत्ता हेतु बीमांकन प्रावधान	57.94	0.95	---	58.89
फैटल माईं एक्सीडेंट पॉलिसी बेनीफिट हेतु बीमांकन प्रावधान	46.92	---	3.36	43.56
ग्रॅास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी हेतु बीमांकन प्रावधान	0.15	---	---	0.15
पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफिट हेतु बीमांकन प्रावधान	114.29	27.30	---	141.59
कुल	**3455.79**	**227.45**	**11.56**	**3671.68**

ख) आकस्मिक देयताएँ

कंपनी के ऊपर किये गये दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विक्रय कर	219.16	154.80
रॉयल्टी एवं उपकर	589.70	596.42
अन्य	999.87	565.20
कुल	1,808.73	1,316.42

15.0 कोष्ठक के अंक पिछले वर्ष के अंक को दर्शाते हैं।

16.0 जहाँ जरूरी लगा वहाँ पिछले वर्ष के अंकों को फिर से अंकित किया गया, पुन: सजाया गया एवं उन्हें नया रूप दिया गया है।